लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. LII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22—गुरुवार, 17 मार्च, 1966/26 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 22—Thursday, March 17, 1966/Phalguna 26, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
593	उद्योगों के लिए बिजली की दरें	Rates of Electricity for Industries	4957–61
594	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Audit Report on National Defence Fund	4961–64
595	विदेशों को भेजे गए शिष्टमंडलों पर विदेशी मुद्रा का व्यय	Foreign Exchange Expenditure on Delegations sent abroad	4964–69
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
10	केरल में बिजली में कटौती	Power Cut in Kerala	4972–74

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
596	हिन्दुस्तान कमर्शल बैंक की वित्तीय स्थिति	Financial condition of Hindustan Commercial Bank	4974
597	सरकारी स्थान की समस्या	Problem of Governmental Accommodation	4974
598	दामों को स्थिर रखना	Stabilisation of Prices	4974–75
599	पूंजीगत मास सम्बन्धी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee on Capital Goods	4975
600	राज्यों द्वारा संसाधनों का बढ़ाया जाना	Raising of Resources by States	4975
601	सूडान को ऋण	Credit to Sudan	4976
602	मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करना	Bridging up Gulf between Need and Achievement	4976
603	खाद्य स्थिति	Food Situation	4977
604	खर्च में कमी	Economy in Expenditure	4977
605	वस्तुओं के फुटकर दाम	Retail Prices of Commodities	4977
606	चौथी योजना में आयोजन का रुझाना	Approach to Planning in Fourth Plan	4978
607	सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों की बिजली की दरें	Power rates of Public Sector Power Undertakings	4978

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
608	तकनीकी परामर्श सेवा समिति	Committee on Technical Consultancy Services . . .	4978
609	उत्तर (अपर) कृष्ण परियोजना	Upper Krishna Project . .	4978–79
610	विश्व बैंक की व्याज की दर	World Bank's rate of Interest .	4979
611	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के लिये धन संग्रह	Collection of National Defence Fund	4979–80
612	चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Fourth Plan . . .	4980
613	ब्रिटिश ऋण	U.K. Loans . . .	4980–81
614	नेपाल में भारतीय मुद्रा	Indian Currency in Nepal .	4981
615	श्री लंका को ऋण	Loan to Ceylon .	4981–82
616	विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign Investment .	4982
617	औषधियों का खराब हो जाना	Wastage of Drugs . . .	4982–83
618	सिंचाई और विद्युत नियतन	Irrigation and Power Allotments	4983
619	दामोदर घाटी निगम प्रशुल्क	D.V.C. Tariff	4983–84
620	कुछ अफ्रीकी देशों में जल संशोधनों के विकास के लिए पदाधिकारियों को भेजा जाना	Loan of Officers for Development of Water Resources in Certain African Countries . . .	4984–85
622	पश्चिम बंगाल-सिक्किम सीमा पर चीनी डालरों का पकड़ा जाना	Seizure of Chinese dollars on West Bengal-Sikkim Border . .	4985

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2306	निचली सिलेरू परियोजना	Lower Sileru Project . .	4985–86
2307	भारत के विकास के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा अध्ययन	U.S. Study on Development of India	4986–87
2308	केरल में फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट	Fuel Briquetting Plant in Kerala	4987
2309	भारतीय फर्मों को अमरीकी ऋण	U.S. Loan to Indian Firms .	4987–88
2310	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का समेकन	Integration of Rural Electrification Programme	4988
2311	गर्भाशयान्तर गर्भनिरोध युक्ति (लूप) सम्बन्धी कार्यक्रम	IUCD. Programme .	4988
2312	सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Accommodation for Government Servants	4988–89
2313	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के पीने के पानी की व्यवस्था	Supply of Drinking Water in Drought affected Areas . .	4989
2314	दिल्ली का औद्योगीकरण	Industrialisation of Delhi .	4989–91
2315	मकानों का निर्माण	Construction of Houses	4991

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2316	केरल के अराजपत्रित अधिकारी	Kerala N. G. Os. . . .	4991–92
2317	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना	Central Government Health Scheme	4992
2318	गुलाबी बाग, दिल्ली में अस्पताल	Hospital in Gulabi Bagh, Delhi	4992–93
2319	विट्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली	Vithalbhai Patel House, New Delhi	4993
2320	निर्माण तथा आवास मंत्रालय का पुनर्गठन	Re-organisation of Ministry of Works and Housing . .	4993–94
2321	गण्डक परियोजना के लिये सीमेंट की कमी	Shortage of Cement for Gandak Project	4994
2322	गंडक परियोजना में मशीनों के फालतू पुर्जे	Spare Parts of Machines at Gandak Project	4994
2323	बिहार राज्य में परिवार नियोजन	Family Planning in Bihar State	4994–95
2324	तुंगभद्रा उच्च तल नहर परियोजना के लिये ऋण सहायता	Loan assistance for Tungabhadra High Level Canal Scheme	4995
2325	राजस्थान में नगरीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं	Urban Community Development Projects in Rajasthan .	4995
2326	आस्ट्रिया से सहायता	Aid from Austria . . .	4995–96
2327	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली क्षमता	Irrigation and Power Potential in U. P.	4996
2328	परिवार पेंशन और गृह निर्माण ऋण योजना	Family Pension and House-Building Loan Scheme. . .	4996
2329	खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulteration in Foodstuffs .	4997
2330	औषध निर्माताओं का प्रशिक्षण	Teaching of Pharmacists .	4997
2331	नदियों के पानी का गन्दा होना	Pollution of River Waters . .	4998
2332	राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Rajasthan . . .	4998
2333	राजस्थान सरकार को ऋण	Loan to Rajasthan Government	4999
2334	राजस्थान में कोढ नियंत्रण केन्द्र	Leprosy Control Centres in Rajasthan	4999
2335	राजस्थान का विकास	Development of Rajasthan .	4999
2336	गर्भ निरोधक वस्तुओं का उत्पादन	Production of Contraceptives .	5000
2337	उड़ीसा में मकान बनाने के लिये ऋण	Housing Advance in Orissa . .	5000
2338	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum Clearance in Orissa . . .	5001
2339	उड़ीसा में अनुसंधान योजनाएं	Research schemes in Orissa. .	5001
2340	चौथी पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद का विकास	Development of Ayurveda during Fourth Plan	5001
2341	महाराष्ट्र ग्राम्य जल सम्भरण योजनाएं	Maharashtra Rural Water Supply Schemes	5002

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2342	भारत सरकार द्वारा गाजियाबाद में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in Ghaziabad by Government of India .	5002
2343	रतौंधी रोग	Night Blindness	5002-03
2344	डम्बरू चल-विद्युत परियोजना	Dumbroo Hydro Electric Project	5003
2345	पंजाब के देहातों में उद्योगों की स्थापना	Rural Industrialisation in Punjab	5003
2346	संयुक्त स्कन्ध पूंजी के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum regarding Joint Stock Capital . . .	5003-04
2347	कैंसर विशेषज्ञों के सम्मेलन के निष्कर्ष	Conclusions of Conference of cancer specialists . . .	5004
2348	निर्यात किये जाने वाले माल का अर्जन	Weighment of Export Cargoes .	5004
2349	उड़ीसा के बड़े शहरों और नगरों के लिये बृहद् योजना	Master Plan for Big Cities and Towns in Orissa . . .	5004-05
2350	नई दिल्ली के बाजारों में दुकानों का दिया जाना (अलाटमेंट)	Allotment of Shops in New Delhi Markets	5005
2351	गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification . . .	5005-06
2352	तुंगभद्रा दाहिनी नहर	Tungabhadra Right Canal. .	5006-07
2353	विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम	Extended Family Planning Programme	5007
2354	हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन, दमदम	Airport Health Organisation, Dumdum	5007
2355	अफीम की खेती	Cultivation of Opium . .	5008
2356	कालीकट में रैन बसेरे	Night Shelters in Calicut . .	5008-09
2357	श्रमजीवी महिलाओं के लिये मकान	Accommodation for Working Girls	5009
2358	उत्तर भारत में ऊर्जा की मांग के बारे में सर्वेक्षण	Survey on the Demand of Energy in Northern India . . .	5009
2359	जम्मू और काश्मीर में बिजली तैयार करना	Power Generation in J. & K. .	5009
2360	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी	Shortage of trained Workers for Family Planning Programme .	50[illegible]
2361	कलकत्ता में सालिसिटर की फर्म पर छापा	Raid on Solicitors Firm in Calcutta	5011
2362	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरी पहाडगंज, नई दिल्ली का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of C.G.H.S. Dispensary, Paharganj, New Delhi . .	5011

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2363	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरी, पहाड़गंज को चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव	Proposed Shifting of C.G.H.S. Dispensary, Paharganj to Chitragupta Road, New Delhi . .	5011–12
2364	पोस्त की फ़सल	Poppy Crop	5012
2365	नैशनल राइफल एसोसिएशन को भूमि का दिया जाना	Allotment of Land to National Rifle Association . . .	5012–13
2366	माही नदी पर कादन बांध के समीपस्थ स्थान से गांवों का हटाया जाना	Eviction of Villages from Vicinity of Kadana Dam on River Mahai	5013
2367	दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां	Chit Fund in Delhi . . .	5013–14
2368	आगरा में कोढ चिकित्सा केन्द्र	Leprosy Centre at Agra . .	5014
2369	कोका कोला से लाभ प्राप्ति	Profit from Coca Cola . .	5014–15
2370	एम० एस० और एम० डी० की उपाधियां	M.S. & M.D. Degrees . .	5015
2371	राष्ट्रीय आपात बीमा योजना	National Emergency Insurance Schemes	5015
2372	मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्त व्यवस्था	Financing of Primary Education in Madhya Pradesh . .	5015–16
2373	यमुना नदी को बाढ़ों से ननेरा तथा तमसाबाद गांवों की रक्षा	Protection of Nanera and Tamsabad Villages from Yamuna Floods	5016
2374	अमरीकी सहायता	U.S. Aid	5016
2375	मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh	5016–17
2376	पंजाब से दिल्ली को बिजली संभरण	Power Supply to Delhi from Punjab	5017
2377	पेय जल संभरण संबंधी बृहद् योजना	Master Plan for Supply of Drinking Water	5017
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		Re: Question of Privilege . .	5017–20
विधेयक पर राय		Opinion on Bill . . .	5020
राज्य सभा स सन्देश		Message from Rajya Sabha .	5020
वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के आदर्श फार्मों संबंधी योजना के बारे में याचिका		Petition re: Scheme for model farms for Scientific Agriculture	5020
औचित्य प्रश्न के बारे में		Re: Point of Order .	5020–21
उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक – पुरःस्थापित		Orissa Legislative Assembly (Extension of Duration) Bill—Introduced	5021–22

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—	General Budget, 1966-67—General Discussion	
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh .	5023
श्रीमती मैमूना सुल्तान	Shrimati Maimoona Sultan .	5023–24
श्री प० ला० बारूपाल	Shri P. L. Barupal . . .	5024
श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav . . .	5024–25
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	5026
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah . .	5026–27
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	5027
श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy. .	5028
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadav . . .	5028
श्री बासप्पा	Shri Basappa . .	5029
श्री रा० स० तिवारी	Shri R. S. Tiwary . . .	5029
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	5030–33
पानीपत की घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Incident at Panipat	
श्री नन्दा	Shri Nanda	5033–34
लेखानुदानों की मांगें, 1966-67—	Demands for Grants on Account, 1966-67—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	5039–40

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 17 मार्च, 1966/26 फाल्गुन, 1887 (शक)
Thursday, March 17, 1966/Phalguna, 26, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उद्योगों के लिये बिजली की दरें

* 59 3. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों तथा चीनी सम्बन्धी उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दर में भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दर को युक्तिसंगत बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : चीनी के कारखानों के लिये टैरिफ दर कपास तथा लघु उद्योगों के टरिफ दर से अपेक्षतया कम है, क्योंकि चीनी के कारखानों की बिजली की मांग अपेक्षतया बहुत ज्यादा होती है और उन को सप्लाई निम्न वोल्टता की बजाए उच्च वोल्टता की बिजली में से की जाती है, जबकि लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को सप्लाई निम्न वोल्टता की बिजली में से की जाती है। लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये सरकार ने 1959 में उपदान की एक स्कीम चलाई थी, जिस के अन्तर्गत 20 हार्स पावर का कनेक्शन रखने वाले लघु उद्योगों के लिये डेढ़ आना (9.37 पैसे) प्रति यूनिट से अधिक के दर में केन्द्र तथा संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर अनुपात में उपदान दिया जाता है, बशर्ते कि यह उपदान डेढ़ आना प्रति यूनिट से अधिक न हो।

विवरण

चीनी के कारखानों के लिये टैरिफ दर कपास तथा लघु उद्योगों के टैरिफ दर से अपेक्षतया कम है, क्योंकि चीनी के कारखाने की बिजली की मांगें अपेक्षतया बहुत ज्यादा होती हैं और उनकी सप्लाई निम्न वोल्टता की बजाय उच्च वोल्टता की बिजली में से की जाती है, जब कि लघु उद्योगों तथा कटीर उद्योगों को सप्लाई निम्न वोल्टता की बिजली में से की जाती है। लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये सरकार ने 1959 में उपदान की एक स्कीम चलाई थी, जिसके अन्तर्गत 20 हार्स पावर का कनेक्शन रखने वाले लघु उद्योगों के लिये डेढ़ आना (9.37 पैसे) प्रति यूनिट से अधिक की दर में केन्द्र तथा संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर अनुपात में उपदान दिया जाता है, बशत कि यह उपदान डेढ़ आने प्रति यूनिट से अधिक न हो।

Shri Yashpal Singh : Power is being supplied from Rihand at the rate of three paise per unit to Birlaji, while it is being supplied at the rate of 19 paise per unit to the farmers. This statement is not clear how this great disparity will be removed?

डा० कु० ल० राव : रिहन्द का प्रश्न एक विशेष श्रेणी में आता है। अत: यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यह प्रश्न चीनी उद्योग से संबन्धित है। बिहार से बिजली अल्यूमीनियम उद्योग को दी जा रही है, इस उद्योग में बिजली अधिक खर्च होती है, इसलिये इस उद्योग के लिये बिजली की दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं। बिजली की दरों में इस प्रकार के अन्तर का कारण विवरण में बता दिया गया है।

Shri Yashpal Singh : May I know the maximum and minimum rates of electricity in the country at present?

डा० कु० ल० राव : भिन्न भिन्न प्रकार के भार के लिये बिजली की दरें भिन्न भिन्न हैं। उदाहरणार्थ कुटीर उद्योगों के लिये बिजली की दर 8 नये पैसे से 12 नये पैसे, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये 8 नये पैसे से 20 नये पसे और भारी उद्योगों के लिये 6 नये पैसे से 12 नये पैसे है। विवरण में दिये गये कारणों के अनुसार यह भिन्नता आवश्यमभावी है।

Shri Bagri : Will the Minister be pleased to state the percentage of power used for agricultural and industrial purposes separately ? What is the difference in rates of these two categories of power?

डा० कु० ल० राव : देश में बिजली के उपयोग के लिये उद्योगों की मांग 45 से 75 प्रतिशत तक है और कृषि प्रयोजनों में काम आने वाली बिजली की मात्रा मद्रास में 24 प्रतिशत से लेकर कुछ राज्यों में कम से कम एक प्रतिशत तक की है। कृषि में काम आने वाली बिजली की दरों के बारे में हाल ही में सरकार ने निर्णय किया है कि 12 नये पैसे से अधिक जो दर होगी, उसे राजसहायता दी जायगी। यद्यपि भारी उद्योगों के लिये यह दरें काफी कम होंगी।

Shri Kishan Pattnayak : Are the concessional rates at which power be supplied to heavy industries be less than the cost of production there of and on an all India basis if this be the case, then the extent of loss incurred by State Governments and the Central Government separately?

डा० कु० ल० राव : भारी उद्योगों के लिये जो दर निश्चित की गई है वह लाभ के लिये है न कि हानि के लिये। ऐसा तो केवल उन विशेष उद्योगों के बारे में है जिन में बिजली बहुत अधिक मात्रा में खर्च होती है। और जिन के साथ विशेष समझौता किया हुआ है जैसे एलुमुनियम, उर्वरक आदि, इन उद्योगों में विशेष मामलों में यथासंभव हानि न होने देने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ मामलों में यह दर लागत खर्च से भी कम है।

श्री किशन पटनायक : ऐसे उद्योगों में होने वाले घाटे की कुल राशि कितनी है ?

डा० कु० ल० राव : यह बता सकना संभव नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am prepared to believe that power is being supplied to the industries of Pimpri and Kotah at the rate of 6 paise, although according to my information the rate is 3 Paise. May I know the rate at which power is being supplied for irrigation.

An hon. Member : 12 Paise.

Dr. Ram Manohar Lohia : But I know that at places this rate is 20 to 24 Paise.

So the question is that the rate of supply of power for irrigation has been enhanced by four to five times. May I know whether less power is being used for irrigational purposes on account of the higher rates? Moreover under the rules there should be at least be a distance of approximately 1/4 to 1/2 miles between the two tube wells. May I know whether something is being done in this regard.

डा० कु० ल० राव : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में कृषि में काम आने वाली दरों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ये दरें देश के विभिन्न भागों में 8 पैसे से 20 पैसे तक हैं। मैंने 12 पैसे इस लिये कहा था क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किये है कि 12 पैसे से अधिक जितनी दर होगी, उसके लिये राजसहायता दी जायेगी। इसी कारण मैंने 12 पैसे कहा था अन्यथा यह दरें आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में 8 पैसे से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में 20 पैसे हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि उद्योगों को अन्य प्रयोजनों जैसे पैम्पयिंग, कुटीर तथा लघु उद्योगों से कम दर पर बिजली दी जाती है। इस के तीन कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारी उद्योगों को उच्च वोल्टता अर्थात 3,300 वोल्टस वाली बिजली दी जाती है, जबकि अन्य प्रयोजनों के लिये निम्न वोल्टता अर्थात् 400 वोल्टस वाली बिजली दी जाती है। इस लिये गृह-कार्य तथा लघु उद्योगों को दी जाने वाली बिजली के लिये अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। दूसरे औद्योगिक उपयोग के लिये जो बिजली दी जाती है वह अधिकतर कृषि सिंचाई तथा लघु उद्योगों को दी जाने वाली बिजली से 100 से 1000 गुणी होती है। तीसरे कृषि सिंचाई के लिये बिजली की आवश्यकता वर्ष में केवल वर्ष के दसवें भाग के समय के बराबर होती है, जबकि भारी उद्योगों में इस का समय वर्ष के 60 प्रतिशत भाग के बराबर होता है। इस लिये इन तीन कारणों से उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरें अन्य प्रयोजनों के लिये दी जाने वाली बिजली की दरों से कम हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : Out of the power being supplied from Rihand Dam of Mirzapur, may I know the percentage of power being supplied for irrigation and for Birla aluminium factory and what is the difference in rates between these two categories of power and whether this difference is adversely affecting agricultural production and if so, the steps being taken to remove this difference?

डा० कु०ल० राव : कृषि सिंचाई के लिये और विशेषतया अल्यूमीनियम कारखाने के लिये दी जाने वाली बिजली के सम्बन्ध में आंकड़े बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक स्थानीय उद्योग है। जहां तक मुझे याद है कुल 160 मगावाट में से 30 मैगावाट बिजली अल्युमीनियम उद्योग को दी जाती है, जोकि प्रयोग में आने वाली बिजली का लगभग पांचवां भाग है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें कृषि सिंचाई के लिये अधिकाधिक बिजली देनी चाहिये। यदि माननीय सदस्य को ऐसे किसी स्थान का ज्ञान हो जहां कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली नहीं दी जाती, तो वह बतायें हम उस पर विचार करेंगे तथा बिजली देने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Deputy Speaker, my question has not been answered.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो आप किसी अन्य मौके पर यह प्रश्न उठा सकते है। इस संबंध में आधे घण्टे की चर्चा उठाई जा सकती है, तथा इस के और भी अनेक तरीके हैं, परन्तु प्रश्न काल में इस पर चर्चा जारी नहीं रखी जा सकती।

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has just Stated that aluminium is a special industry and that is why power is being supplied to this industry at a rate of 3 paise. But I want to state that while inaugurating the construction of Rihand Dam Dr. Sampurnanad had said that power would be supplied at cheap rates to 24 districts of U.P. from this Dam. That assurance is still unfulfilled. Power is being supplied at the rate of 3 paise to Birlas, while it is being supplied at the rate of 19 paise to agriculturists who want to raise agricultural production. May I know whether government would supply power at cheap rates to the farmers or not?

डा० कु० ल० राव : मैं नहीं समझ सका कि वास्तव में माननीय सदस्य ने क्या कहा है। इस संबंध में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैंने पहले जो कारण बताये है उन की वजह से यह संभव नहीं है कि कृषि सिंचाई में काम आने वाली बिजली की दरे भारी उद्योगों में और विशेषतया अल्यूनिमियम जैसे उद्योगों में काम आने वाली बिजली की दरों से कम रखी जाय। इस प्रश्न पर पूर्ण रुप से विचार किया गया है और सरकार की राय में 12 पैसे की दर उचित है तथा इसी लिये इसे निर्धारित किया गया है। यदि किसी राज्य में इस से अधिक दर होगी तो उसे राजसहायता दी जायेगी। अत: वास्तव में अब दर केवल 12 पैसे है।

श्री शशि रंजन : गत तीन वर्षों से हम यह मांग कर रहे है कि सारे देश में विभिन्न वर्गों के उद्योगों के लिये बिजली की दर समान होनी चाहिये। मंत्री महोदय ने भी हमें इस का आश्वासन दिया था, परन्तु इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। अभी माननीय मंत्री ने छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगो की दी जाने वाली बिजली की कुछ दरें बताई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह दरें बिहार राज्य में लागू हैं?

डा० कु० ल० राव : बिहार सहित 9 राज्यों में समान दरें लाग की गई हैं। केवल चार राज्य ऐसे हैं, जहा समान दरें लागू नहीं कि गई हैं। वे राज्य हैं—उड़िसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हमें आशा है कि इन चार राज्यों में भी इस वर्ष के दौरान समान दरें लागू की जायेगी। महाराष्ट्र में समान दर लाग करने का प्रयत्न किया गया था, परन्तु यह मामला न्यायालय के समक्ष ले जाया गया। हमने सभा के सामने एक विधेयक पेश किया हैं, जिसके अनुसार समान दर लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सारे देश मे समान दरें लागू की जायेंगी, अब वह प्रत्येक राज्य की समान दरों की बात कर रहेहैं।

डा० कु० ल० राव : हमने ऐसा कभी नहीं कहा था कि सारे देश में समान दरें लागू की जायेंगी। यह तो तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली हो, और इसमें 5 अथवा 10 वर्षों का समय लग सकता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भारी उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरें अलग अलग हैं और कृषि उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुये सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि सारे देश में समान दरें लागू की जायें क्या कदम उठायेगी?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रचलीत दरें अलग अलग ह, क्योंकि ये दरें कई बातों पर निर्भर होती है—जैसें बिजली जल परियोजना से उत्पन्न की जाती है, अथवा भाप से अथवा गैस से इत्यादि। इस संब में हम ने एक कदम उठाया है अर्थात एक राज्य के अन्दर दर समान होनी चाहिये। लगभग 9 अथवा 10 राज्य इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं। परन्तु जब कि हमारे पास अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली न हो, तब तक सारे देश में समान दरें लागू करना संभव नहीं है।

कृषि को दी जाने वाली बिजली की दरें में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न हैं। परन्तु जहां कभी भी यह दर 12 पैसे से अधिक है, वहां 12 पैसे से उपर की राशि के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा राज सहायता दी जायेगी। जहां यह दर 12 पसे से कम है, वहां राजसहायता का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sheo Narain : Our Government have pledged to establish a socialistic pattern of society. But it is surprising to note that electricity is being supplied at the rate of 3 Paise for aluminimum factories, when it is being supplied at the rate of 19 Paise for farmers, whereas food is an essential article and we can not do without food whereas we can do without aluminimum. May I know the reasons for this great disparity between the two rates and in which way it is related to the establishment of a socialistic pattern of society?

डा० कु० ल० राव : श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अल्यूमीनियम एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, यह न केवल सामान्य औद्योगिकरण के लिये आवश्यक है अपितु यह विद्युतिकरण के लिये भी आवश्यक है। हम अपने कुछ गांवों को इसी कारण से बिजली भेजने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अल्यूमीनियम उपलब्ध नहीं है और अल्यूमीनियम देहाती विद्युतिकरण के लिये एक मौलिक पदार्थ है। हम केवल 50,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन कर रहे हैं, जब कि हमारा उत्पादन 5 लाख टन प्रति वर्ष होना चाहिये। अल्यूमीनियम एक मौलिक पदार्थ है जिस पर देहाती विद्युतिकरण निर्भर है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

*594. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि के संबंध में एकत्रित की गई धन-राशियों के लेखा-परीक्षा संबंधी अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं अनियमितताओं का पता चला हैं ;

(ग) सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय रक्षा कोष के हिसाब-किताब के बारे में नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के मन्तव्यों को 1965 और 1966 की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (असैनिक) में शामिल किया गया है, जो सभा की मेज पर रखी जा चुकी है।

(ख) जी हां। कई मामलों में केन्द्रीय नागरिक परिषद को परीक्षित हिसाब-किताब प्राप्त नहीं हुआ और कुछ मामलों में परिषद द्वारा दिये गये अनुदानों की खर्च न की गयी बाकी रकमें वापस की जानी हैं।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा कोष समिति के सचिवालय ने आवश्यक कार्रवाई की है जिसके परिणामस्वरूप पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और राजस्थान राज्यों की नागरिक परिषदों से परीक्षित हिसाब-किताब प्राप्त हो गया है और आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की राज्य परिषदों से अभी ये रिपोर्टें आनी बाकी हैं।

(घ) इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर इनकी उपयुक्त जांच की जायगी और इनके बारे में उचित कार्रवाई की जायगी।

Shri Vishram Prasad : What amount of money was collected in U.P., what amount of money was deposited in the trust of that state and what amount of money was received in the Central Fund?

श्री सचिन्द्र चौधरी : मुझे खेद है कि मेरे पास यह विशिष्ट जानकारी नहीं है कि किस राज्य में कितना रुपया इकठ्ठा हुआ और यह कि केन्द्रीय निधि में कितना रुपया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनके लिये यह जानकारी प्राप्त कर दूंगा।

Shri Vishram Prasadi : My qestion was specific as to what amount had been collected in U.P., but the hon. Minister could not answer. Rupees 9 crores had been collected, Rs. 7 crores was transmitted to the Centre and every body knows that Rs. 2 crores were misappropriated. But the Hon. Minister says that he does not know.

Money was forcibly collected from the farmers and labourers in the villages. No receipts were given for that and that money was misappropriated by Patwaris, Block Development Officers and Tehsildars. May I know what action has been taken against those persons and what amount of money was so misappropriated?

श्री सचीन्द्र चौधरी : मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जबर्दस्ती चन्दा इकठ्ठा किया गया...

श्री विश्राम प्रसाद : ज़बरदस्ती इकठ्ठा किया गया है।

श्री सचीन्द्र चौधरी : .....और जिन अधिकारियों ने चन्दा इकठ्ठा किया था उन्होंने उसका गोलमाल किया। हां, इस प्रकार के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं और सरकार उनकी जांच कर रही है।

Shri Vishram Prasad : My brother is a village head man and Rs. 101 was collected from him and collections were also made from school boys and the villagers and the hon. Minister says.... (**interruptions**)

श्री सचीन्द्र चौधरी : मैं यह जानकारी प्राप्त करके सभा पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शिकायत करें और जांच के लिये कहें।

Shri Yashpal Singh : What amount of money was received in the N.D.F. and how much of that was spent on separately on the purchase of arms and on T.A. and D.A. and what amount remains unspent?

श्री सचीन्द्र चौधरी : मैं इस जानकारी को प्राप्त कर दूंगा और सभा पटल पर रख दूंगा।

Shri Bagri : Sir, this very question was raised in this House some 10-15 days back. In the light of that question I want to know what was the contribution in N.D.F., what amount was misappropriated, how many cases of embezzlement have so far been registered and if not the reasons for the delay.

श्री सचिन्द्र चौधरी : जहां तक अंशदान का प्रश्न है मेरे पास इस संबंध में कुछ आंकड़े हैं जो इस प्रकार हैं: नकदी के रुपये में अगस्त, 1965 तक 59.47 करोड़ रु० और एक सितम्बर, 1965 से अब तक 14.97 करोड़ रु० ; कोष में प्राप्त सोने तथा चांदी का मल्य 1.16 करोड़ रु० ; कुल 75.60 करोड़ रु० ; स्वर्ण आभूषण 26.65 लाख ग्राम तथा चांदी और चाँदी की बनी चीज़ें 15.62 लाख ग्राम।

Shri Bagri : How many cases of misappropriation have been registered?

श्री सचीन्द्र चौधरी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे कुछ समय चाहिये। इन घटनाओं की तुरन्त जानकारी देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कुछ अनियमितताएं बताई गई हैं, माननीय वित्त मंत्रीने माननीय गृह-मंत्री से इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिये क्यों नहीं कहा? क्या ऐसा इस लिये है कि इनमें से कुछ लोग कांग्रस दल में बहुत ऊंचे स्थानों पर हैं?

श्री सचीन्द्र चौधरी : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है 'जी नहीं'। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का प्रश्न है मैं मामले की जांच कर रहा हूं और यदि गृह मंत्रालय को भेजने का कोई मामला होगा तो उसे भेज दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

Shri Maurya : A staunch congress worker of Delhi had collected rupees one lakh and 35 thousand but he has not yet deposited the full amount either in the Congress office or in a government office. Is any action being taken on the special report received by Government?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है कि कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं .....

श्री सचीन्द्र चौधरी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जब तक प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, सरकार को नाम न बतायें, सरकार को पता चलना कठिन है, कि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता, ने वास्तव में ऐसा भद्दा काम किया है।

श्री मौर्य : दिल्ली के महापौर ।

Shri Bagri : The Mayor of Delhi **(Interruptions)**

Shri Sidheshwar Prasad : Will government lay on the Table a statement which.....**(Interruptions)**

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने दिल्ली के महापौर का नाम लिया है। **(Interruptions)**

Shri Bagri : The honourable Minister had asked this.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरा निवेदन है कि हालांकि वैधानिक रूप से यह गलत नहीं है फिर भी किसी व्यक्ति विशेष का सभा में नाम नहीं लिया जाना चाहिये। वह प्रतिवाद करने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं। जहां तक दिल्ली के महापौर का सम्बन्ध है, वह एक उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं और अभी तक उनके विरुध्द कोई शिकायत नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त : फिर उन्होंने नाम क्यों पूछा था? क्या उन्हें नियमों की जानकारी नहीं हैं? **(व्यवधान)**

श्री मौर्य : यह कांग्रेस के महापौर पर दोषारोपण है। यह दोषारोपण मेरी ओर से नहीं है। कांग्रेस दल ने ही यह दोषारोपण किया है **(व्यवधान)** यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

Shri Sidheshwar Prasad : Do Government purpose to lay on the Table a statement showing state-wise collections for the National Defence fund, the amount for which receipts have been received, the amount for which no proper accounts are available and the names of persons responsible for such non-availability of proper accounts.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जैसा कि मैं ने कहा है, मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं। मैं आंकड़े एकत्र कर के सभा के सामने रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य उठे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दो प्रश्नों पर ही 35 मिनिट व्यय कर चुके हैं। **(व्यवधान)** क्या प्रश्न काल में कार्य करने का यह तरीक़ा है?

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, honouable Members on the other side have been obstructing the proceedings. They have not been letting as go ahead and put questions.

उपाध्यष महोदय : श्री प्र० चं० बरुआ।

श्री प्र० चं० बरुआ : हम यह देख रहे हैं कि उधर के माननीय सदस्य सभा के कार्य में बाधा डाल रहे हैं और आप उन के प्रति बड़ी नर्मी दिखा रहे हैं। अत: मैं प्रश्न न पूछ कर अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं।

श्री शिव नारायण : वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री म० ला० द्विवेदी।

श्री म० ला० द्विवेदी : विरोध प्रकट करने के लिये मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स० चं० सामन्त।

श्री स० चं० सामन्त : मैं प्रश्न न पूछ कर अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय—गैरहाजिर हैं। श्री यशपाल सिंह।

विदेशों को भेजे गए शिष्टमंडलों पर विदेशी मुद्रा का व्यय

***595. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी काम से विदेशों में भेजे गये सरकारी अधिकारियों तथा उसके सरकारी दौरों पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिसम्बर 1965 तक, प्रति वर्ष, पृथक् पृथक् कितनी विदेशी मुद्रा खच की गई;

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में भेजे गये संसदीय शिष्टमण्डलों, मंत्रियों के शिष्टमण्डलों तथा अन्य शिष्टमण्डलों पर उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) ऐसे खर्च को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास से सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही उसे सभा की मेज़ पर रख दिया जायगा।

(ग) वरिष्ठ सचिवों की एक समिति, जिसमें मंत्रिमण्डल के सचिव भी शामिल होते हैं, विदेशों में शिष्टमण्डल भेजने के प्रस्तावों की बहुत कड़ाई से जांच करती है। केवल ऐसे ही शिष्टमण्डलों के लिए अनुमति दी जाती है जो अनिवार्य हों या जिनसे विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकती हो या जो रक्षा प्रयत्नों से सम्बन्धित हों या जिनसे प्रशासन को प्रत्यक्ष लाभ होता हो।

Shri Yashpal Singh : How many officers of the Indian Civil Service have been sent abroad twice?

श्री शिव नारायण : जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो माननीय सदस्य वहां खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : आप उन से कुछ नहीं कहते हैं। (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जायें। मैं देख रहा हूं कि मेरे बारबार अनुरोध करने पर भी वे नहीं बैठ रहे हैं। क्या इस प्रकार कोई कार्य चल सकता है? क्या संसद का कार्य इस प्रकार चलाया जाना चाहिये? मुझे बड़ा खेद है कि हम ने संसद को बाज़ार समझ लिया है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया बैठ जायें।

श्री किशन पटनायक : आप अपने आदेशों को कांग्रेस दल के सदस्यों के लिये दें।

Shri Gulshan : Mr. Deputy Speaker, why are you not controlling the Congress Members?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर बैठ जायें। प्रत्येक माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह सभा की गरिमा को बनाए रखें और सभा की कार्यवाही के संचालन में मेरी सहायता करें।

श्री भागवत झा आज़ाद : अब धैर्य की गुंजाइश नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। हम 35 मिनिट में केवल दो प्रश्नों को निपटा पाये हैं। मैं प्रत्येक दल और प्रत्येक वर्ग को अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु कार्य संचालन का यह कोई तरीका नहीं है कि चार या पांच माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो जाये और ज़ोर ज़ोर से चिल्लायें और इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा डालें।

Shri Ram Sewak Yadav : The Congress Members have been obstructing the proceedings. Please control them.

श्री किशन पटनायक : आप ऐसा कांग्रेस दल के सदस्यों से कहें।

Shri Gulshan : Mr. Deputy Speaker, the Members on the other side have been making a noise and obstructing the proceedings. Why are you not controlling them?

Shri Maurya : Sir, why are Congress Members angry?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसी प्रकार व्यवहार करते चले जायेंगे तो मुझ उनको बाहर चले जाने के लिये कहना पड़ेगा ।

Shri Yashpal Singh : What is the criterion for sending people abroad? Is there any Committee for this purpose or the department makes any recommendations in this behalf or they are sent for from abroad?

Shri L. N. Mishra : I have already told that it is not so that a particular person is sent abroad. People go abroad as members of these delegations, on public work. When the work of a Ministry requires people to be sent abroad, then only those who belong to or are connected with that Ministry go abroad but before their despatch, scrutiny is made to ensure that it is unavoidable to send them. If it is possible to get things done by our missions abroad, then people are not sent abroad. If it is found necessary to send somebody, then a screening committee does the scrutiny in that behalf. After that, delegations are sent out upon concurrence of the Finance Ministry and the External Affairs Ministry.

श्री तिरुमल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि वरिष्ठ सचिवों की एक समिति इस बात की जांच करती है कि किस शिष्टमण्डल को बाहर भेजा जाये और किस शिष्टमण्डल को रुपया दिया जाये । प्रश्न के भाग (ख) में संसद सदस्यों, मंत्रियों के शिष्टमण्डलों तथा अन्य शिष्टमण्डलों का उल्लेख है । क्या यह वरिष्ठ सचिव मंत्रियों की भी जांच करते हैं और क्या इन वरिष्ठ सचिवों के विदेश जाने के मामले की जांच किसी अन्य प्रकृष्ठ व्यक्ति द्वारा की जाती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शिष्टमण्डलों को बाहर भेजे जाने के बारे में है । मंत्रियों के बाहर भेजे जाने के बारे में कोई जांच नहीं की जाती । प्रश्न यह है कि क्या किसी शिष्टमण्डल को बाहर भेजे जाने का कोई औचित्य है और यदि उचित समझा जाता है तो शिष्टमण्डल बाहर भेजा जाता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या राज्य सरकारों के मंत्री भी केन्द्रीय सरकार की आज्ञा अथवा सहमति के बिना बाहर जा सकते हैं ? यदि हां, तो उनको विदेशी मुद्रा किस प्रकार मिलती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरा विचार है कि वे बिना केन्द्रीय सरकार की सहमति के बाहर नहीं जा सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह तथ्य है कि 'एयर इन्डिया' के उन विमानों पर जिनसे यह शिष्टमण्डल तथा अन्य लोग यात्रा करते हैं, क्रय-विक्रय व्यवहार के लिये रुपया स्वीकार नहीं किया जाता है अपितु विदेशी चलार्थ के लिये आग्रह किया जाता है ? यदि हां, तो इस अनर्गल परिस्थिति का क्या कारण है ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह बड़ी लज्जा की बात है । यह क्या है ?

श्री हरि विष्णु कामत : वहां पर रुपया अस्वीकार कर दिया जाता है ।

श्री ल० ना० मिश्र : मुख्य प्रश्न इस मसले से भिन्न है । वह शिष्टमण्डलों के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न इस से भिन्न है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे पता है कि 'एयर इन्डिया' की उड़ानों पर रुपया स्वीकार नहीं किया जाता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है। इसका 'एयर इन्डिया' से सम्बन्ध है।

श्री हरि विष्णु कामत : वे इन शिष्टमण्डलों को ले जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, परन्तु इस प्रश्न से उसका बहुत दूर का सम्बन्ध है।

श्री हरि विष्णु कामत : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह तथ्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि क्या वे भारतीय रुपया लेने से इन्कार करते हैं अथवा नहीं। यह 'एयर इन्डिया' से सम्बन्धित प्रश्न है। इसका उत्तर उड्डयन मंत्री देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे उन शिष्टमण्डलों ने जो बाहर गये हैं बताया है कि 'एयर इन्डिया' वायुयानों पर रुपये में भुगतान नहीं स्वीकार किया जाता है। हमारी चलार्थ का हमारे ही वायुयानों पर अपमान किया जाता है। क्या यह राष्ट्रीय अपमान के बराबर नहीं है ?

श्री हेम बरुआ : यह मेरा निजी अनुभव भी रहा है। मैं वहां भारतीय रुपये से सिगरेट नहीं खरीद सका था।

श्री हरि विष्णु कामत : हमारे ही रुपये का अपमान किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसके लिये पृथक प्रश्न की सूचना दें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप इस प्रश्न को पूछने के लिये किस कारण आज्ञा नहीं दे रहे हैं ? मंत्री महोदय कहें कि यह तथ्य है अथवा नहीं। हम उसके ऊपर बल नहीं देंगे परन्तु क्या वह इससे इन्कार करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय उनका सम्बन्ध केवल भारत से विदेशों को भेजे गये शिष्टमण्डलों से है। अब आप यह पूछ रहे है कि क्या 'एयर इन्डिया' उन से रुपया स्वीकार करने से इन्कार करती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विदेश जाने वाले शिष्टमण्डलों के सदस्यों द्वारा 'एयर इन्डिया' के वायुयानों पर अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। क्या सरकार उन्हें उतनी विदेशी मुद्रा देती है ? इसका उत्तर मिलना चाहिये। यदि मैं एक शिष्टमण्डल के सदस्य की हैसियत से 'एयर इन्डिया' के वायुयान पर यात्रा करूं और यदि मुझे 'एयर इन्डिया' को विदशी मुद्रा देनी पड़े तो यह आवश्यक है कि मेरे पास विदेशी मुद्रा हो। क्या सरकार उन्हें इतनी विदेशी मुद्रा देती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पृथक प्रश्न की सूचना दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : भाग (क) में दिसम्बर, 1965 तक की जानकारी मांगी गई थी। आप को याद होगा कि 1964 तक व्यय होने वाली कुल विदेशी मुद्रा की राशि दिखलाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विशेष जानकारी सभा को कब तक दे दी जायेगी और क्या कर्मचारियों, मंत्रियों और संसद् सदस्यों को अब तक दी गई कुल राशि के आंकड़े इस समय उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं समझता हूं कि मैं इसका उत्तर बिना नामों के बताये दे सकता हूं। प्रश्न के 'क' भाग में जो लोग आते हैं उनको 18 अप्रैल 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 तक दी गई राशि 3,18,366 रुपये और कुछ पैसे है। जहां तक भाग (ख) का प्रश्न है, मंत्रियों के शिष्टमण्डलों तथा संसद् सदस्यों के शिष्टमण्डलों को उसी काल के लिये 7,60,302.68 रुपये दिये गये थे।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जो शिष्टमण्डल भेजे गये थे उन्हें विशेष कार्य करना था। उन्होंने विदेशों पर अच्छा प्रभाव डाला है। परन्तु जो विदशी मुद्रा उनको दी गई है वह अपर्याप्त है। व भली प्रकार व्यय नहीं कर सकते और न सुविधापूर्ण ढंग से रह सकते हैं। वे बैरों को "टिप" भी नहीं दे पाते.....

श्री हरि विष्णु कामत : इसी लिये रुपये में भुगतान का प्रश्न उठता है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस मामले पर विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुये विचार किया जाना चाहिये। जो अधिक से अधिक राशि दी जा सकती है हम ने दी है।

श्री रंगा : यह देखते हुये कि स्वयं वित्त मंत्री ही इस मामले में रुचि रखते हैं और इस समय यहां उपस्थित हैं, क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि जो प्रतिपक्षी दल के नेताओं ने प्रश्न उठाया था उसको सुझाव मान कर उस पर पूरा-पूरा विचार किया जाय ताकि भविष्य में कम से कम 'एयर इन्डिया' के वायुयानों पर हमें विदशी मुद्रा व्यर्थ न करनी पड़े और हम रुपये में भुगतान कर सकें ?

श्री हरि विष्णु कामत : वह हमारी अपनी हवाई कम्पनी है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक 'एयर इन्डिया' का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं कह सकता कि जो नियम बना हुआ है वह उसी प्रकार है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है परन्तु प्रतिपक्षी सदस्यों को सही मानते हुये .....

श्री हरि विष्णु कामत : यह तथ्य है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरा उत्तर यह है कि 'एयर इन्डिया' भी एक "पूल" में कार्य करती है जिसमें उन्हें विदेशी मुद्रा को आपस में बांटना पड़ता है। अतः जब वह कोई वस्तु बेचते हैं, वह उसको शुल्क-मुक्त इस कारण बेचते हैं कि वह भारत से बाहर होती है। यदि उस वस्तु को बेचा जाये——चाहे वह सिगरेट हो या पोस्ट-कार्ड या सुगंध हो, उन्हें विदेशी मुद्रा देकर ही खरीदनी पड़ेगी। केवल यही नहीं है। भारतीय नागरिकों को उन्हें खरीदने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। मेरा विचार है कि भारतीय नागरिक इस बात को समझेंगे और या तो उन वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं और यदि खरीदेंगे तो उनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या ऐसा कोई और उदाहरण है कि एक देश के नागरिक को उसके अपने देश के वायुयान पर विदेशी चलार्थ में भुगतान करने के लिये कहा जाये यानी जहां उसकी अपने देश की चलार्थ को स्वीकार न किया जाये ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, विदेशी हवाई कम्पनियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : केवल हमारे ही देश में ऐसा होता है।

Shri M. L. Dwivedi : Two honourable Members are standing; which one of them has been permitted to speak by you.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : स्वयं वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा की है और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ होगा। क्या उन्हें इसके बारे में पता नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि दलों के नेता इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो हम किस प्रकार कार्य कर सकते ह ?

Shri M. L. Dwivedi : Two honourable members are standing; which one of them has been permitted by you to speak.

Shri Onkar Lal Berwa : I have been standing up and sitting down for at least fifty times but I have not been called so far.

श्री शशि रंजन : जैसा माननीय मंत्री ने बताया है, यह बिलकुल संतोषजनक है कि शिष्टमण्डलों को बाहर भेजने से पूर्व सदस्यों की योग्यता पर विचार किया जाता है। क्या कुछ सदस्यों को शिष्ट-मण्डल में जाने के लिये योग्य समझा जाता है और अन्य सदस्यों को योग्य नहीं समझा जाता है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस समय चल रहे मामले के अनुरुप नहीं है ।

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार किसी ऐसे देश का ठोस उदाहरण दे सकती है जिसने हमारे शिष्ट-मण्डलों के कारण अपना रुख या अपनी उदासीनता बदल दी हो, और हमारे साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बना लिये हों ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa: Why was Shri Jagannath Pahari, a member of the Rajya Sabha given such an insufficient amount of foreign exchange that he had to overstay there for fifteen days owing to lack of funds? What is the reason for allowing him to take along such an insufficient amount of foreign exchange?

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत प्रश्न है । मैंने इसको नामंजूर कर दिया है । आप पृथक् प्रश्न करें ।

Shri Onkar Lal Berwa : This is not an individual question. It should be answered. Why was he given such an insufficient amount of foreign exchange?

श्री बसुमतारी : शिष्टमण्डलों को विदेशों में भेजने पर कुछ भी खर्चा आया हो परन्तु क्या यह तथ्य नही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष के बाद इन शिष्टमण्डलों को विदेशों में भेजने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा उन पर अच्छा असर पड़ेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : हां, इस से विदेशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़गी ।

(प्रश्न संख्या 596 के बारे में)

(Re : Question No. 596)

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Deputy Speaker, as three or four honourable members of this House take 50 minutes instead of 3 minutes through shouting, I do not put any question as a protest to this.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० बरुआ ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं भी विरोध करता हूं और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझ खेद है । मैं माननीय सदस्यों से सभा की मर्यादा रखने तथा केवल प्रश्नों के ही सम्बन्ध में बोलने के लिय बराबर अनुरोध कर रहा हूं परन्तु अध्यक्ष महोदय और मरे अनुरोध के बावजूद गड़बड़ी चल रही है । माननीय सदस्यों को सभापति को सहयोग देना चाहिय ताकि कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से ताकि चलाई जा सके ।

श्री म० ला० द्विवेदी : शर्त यह है, उन लोगों को भी अवसर मिलना चाहिये जो परिश्रम करके प्रश्नों की सूचना देते हैं । परन्तु जो लोग परिश्रम नहीं करते, उनको अनेक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है जबकि हम लोगों को जो परिश्रम करते हैं, कोई अवसर नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा के हर सदस्य का कर्तव्य है कि वह सभा का मान और मर्यादा बनाए रखे ।

श्री भागवत झा आजाद : केवल 3 प्रश्नों में ही 50 मिनट का समय व्यतीत हो गया । मैं इसके विरोध में प्रश्न नही करता ।

प्रश्न संख्या 597 के बारे में

(Re : Question No. 597)

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं विरोध म प्रश्न नही करता।

श्री सत्य नारायण सिंह : काफी समय से यह मामला हमारे लिये समस्या बना हुआ है। कल अध्यक्ष महोदय से भी मैंने इस विषय पर बात की थी। वह भी इस बात को मानते हैं कि पिछले 18 वर्षों में इस सदन में ऐसा पहले कभी नही हुआ। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि केवल 3 या 4 प्रश्न सारा समय ले लेते हैं। हाउस आफ कामन्स में यह परम्परा है कि जब तक कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न न हो उन पर तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नही दी जाती।

श्री हरि विष्णु कामत : हमेशा नही।

श्री भागवत झा आजाद : हाउस आफ कामन्स में $1\frac{1}{2}$ अनुपूरक प्रश्नों की औसत है।

श्री सत्य नारायण सिंह : प्रत्येक दिन कम से कम 10 प्रश्न पूरे हो जाने चाहिये क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न पाचवी या सातवी संख्या पर होत हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Please say something about the difference between the Ministers of British House of Commons and the Ministers of this Lok Sabha.

Shri Satya Narain Sinha: Dr. Lohia himself knows better that more questions are covered there but here I have suggested only for 10 questions.

Shri Kishan Pattnayak : Please say something about the manner in which the questions are replied here.

श्री सत्य नारायण सिंह : प्रत्येक सदस्य को पीठ से अनुरोध करने का अधिकार है। किसी एक सदस्य को दूसरे के विरुद्ध नही चिल्लाना चाहिये। पीठ से हमारा निवेदन है कि प्रत्यक दिन कम से कम 10 प्रश्नों की अनुमति दी जाये। कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बाद में होते हैं। सभी के हित में हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिये। हमारे मंत्री भी निश्चय ही सहयोग करेंगे। हम सब को प्रयत्न करना चाहिये कि कम से कम 10 प्रश्न प्रतिदिन निपटाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह खेद की बात है कि अब हम आधे दर्जन प्रश्न भी समाप्त नही कर पाते हैं। इस संसद् के समक्ष जो भी प्रश्न आता है वह महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रश्न लम्बा होता है तो उसका उत्तर भी लम्बा होता है और उस पर सभा का अधिक समय नष्ट होता है। मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम 12 या 15 प्रश्न समाप्त करने में सहयोग दें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं सुझाव .....

Shri Maurya : If he speaks, I will also speak.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नही बुलाया है। कृपया बैठ जाइये। मैं श्री भागवत झा से भी अनुरोध करूंगा कि वह बैठ जायें। हमने इस विषय पर चर्चा की थी।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा सुझाव है कि आप उन सभी सदस्यों की एक बैठक बुलायें जो सामान्यत: अधिक प्रश्न करते हैं और तब हम निर्णय करेंगे कि प्रश्न काल को अच्छी तरह किस प्रकार चलाया जा सकता है।

Shri Maurya : You have called him, please call me also. Listen to us also. how the questions are replied and how they are accepted. .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर हम कल चर्चा कर चुके है।

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक है कि प्रतिदिन कम से कम 10 प्रश्नों का उत्तर दिया जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि आप उन सदस्यों को कभी नहीं बुलाते जिनके नाम में प्रश्न होता है, **(अन्तर्बाधा)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय को सुझाव दे दूंगा कि वह दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायें और इस मामले पर निर्णय करें।

Shri Maurya : We will also give suggestions and tell you in what manner and what machinery frames the questions and what machinery accepts them and how the questions come and how the important question are put at the tail and how some leading persons and a machinery frames the questions and charge money.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। कृपया बैठ जाइये।

श्री मौर्य : मुझे विश्वास है। मै आपको बताऊंगा कि इस सभा में अधिक अनुपूरक प्रश्न क्यों होते है। इसके तीन कारण हैं : एक तो यह कि मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तर या तो अपूर्ण होते हैं या संदिग्ध होते हैं या वे रहस्यों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं ; दूसरे, महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्यत: अस्वीकार किया जाता है और तीसरे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानबूझ कर सूचि में पीछें डाल दिया जाता है। **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मौर्य को बाहर चले जाने के लिये कहता हूं। वह बिना बुलाये बोले चले जा रहे हैं और सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। हमने इस प्रकार 15 मिनट नष्ट कर दिये हैं। श्री मौर्य, अब आप कृपया बाहर चले जाये।

श्री मौर्य : मुझे कृपया कारण बता दीजिये। और मैं चला जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों कि आपने पीठ को मान्यता नहीं दी और आप बोलते चले गये और सभा की कार्यवाही में बाधा डालते रहे। अत: कृपया बाहर चले जाइये।

श्री मौर्य : अनेक सदस्य बोलते रहे। केवल मुझे ही बाहर जाने के लिये क्यों कहा जाता है ? **(अन्तर्बाधा)**

श्री जयपाल सिंह : माननीय सदस्य ने गंभीर आरोप लगाये हैं और उन आरोपों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आरोप क्या हैं ?

श्री जयपाल सिंह : माननीय सदस्य को उन आरोपों का सत्यापन करना होगा अथवा उसके परिणाम निकलेंगे, क्योंकि आरोप यह है कि यहां पर जो प्रश्न आते हैं उन पर एक तरह का राजस्व लगा हुआ है .... **(अन्तर्बाधा)**

श्री मौर्य : जी नहीं। मैं बताता हूं कि मैंने क्या कहा। यदि आप नहीं समझते तो कृपया समझने का प्रयत्न करें।

I said that there are three reasons for why the supplementaries are raised here. In the first place the Ministers do not give the proper reply to the question; there are many defects in the reply, many facts are concealed. Secondly, due to some defect in the machinery many important questions are placed at the tail of the list or they are not admitted. Thirdly, there are some such leading persons in this country and machinery which frame questions and supply them to the Members of both the Houses by taking money. I have received letters in that regard. I said only that.

उपाध्यक्ष महोदय : आम तरीका यह है कि मंत्री उत्तर देंगे और यदि उनके पास उत्तर नहीं है तो वे सूचना के लिये कहेंगे। यदि उत्तर माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार नहीं आया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह खड़े हो कर चिल्लाना आरम्भ कर दें। श्री मौर्य ने बिल्कुल यही किया है। मैं श्री मौर्य से अनुरोध करूंगा कि वह बाहर चले जायें।

(तब श्री मौर्य सभा से उठकर चले गये)

(Shri Maurya then left the House)

श्री जयपाल सिंह : श्रीमन्, यह एक बहुत ही गम्भीर आरोप है और सारी सभा पर एक आक्षेप है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका नाम लेने मात्र से ही हम अपने दायित्व से मुक्त हो गये हैं ? स्थिति क्या है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ये आरोप बहुत गम्भीर हैं और सभा की गरिमा के विरुद्ध हैं।

Shri Madhu Limaye : An impartial Committee should be constituted to go into the allegations.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं सभा की कार्यवाही को निश्चय ही पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या कदम उठाये जाने चाहिये। मैंने कल भी माननीय सदस्यों से अपील की थी कि यद्यपि सभा में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक सदस्य को, वह जो भी कहता है, उसकी सच्चाई की ज़िम्मेवारी लेनी चाहिये।

केरल में बिजली में कटौती

अ० सू० प्र० 10. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री मणियंगाडन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बिजली में और कटौती करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण "ट्रांवणकोर-कोचीन कैमिकल्स, लिमिटेड" और "इण्डियन रेयर-अर्थस् लिमिटेड" जैसे उद्योगों के बन्द हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी तक कृषकों के लिये बिजली में कोई कटौती नहीं की गई है। उद्योग संबंधी बिजली के उपभोक्ताओं के लिये भी कटौतियों में वृद्धि नहीं की जा रही है।

(ग) "ट्रांवणकोर-कोचीन कैमिकल्स" बन्द हो गया है, क्योंकि उन्होंने कम हो गए तीन महीने (जनवरी–मार्च) के अपने कोटे की खपत समय से पूर्व कर ली। 'रेयर्स अर्थस्' पर भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ा है।

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, केरल सरकार ने उसके विपरीत ही कुछ कहा है। उसने कहा है कि उद्योगों के लिये 80 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है। हमें बताया

गया है कि उर्वरक कारखाना बन्द किया जाने वाला है। क्या सरकार मैसूर से बिजली उपलब्ध नहीं करा सकती जहां कि बिजली फालतू है ताकि कम से कम उर्वरक तथा इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण कारखाने चालू रह सकें ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि केरल में बिजली की भारी कमी है और अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को बन्द किया जा रहा है। इस समय केरल को प्रतिदिन लगभग 3 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। हम इसकी मात्रा बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर : यह देखते हुये कि वहां पर पिछले 6 वर्षों से बिजली की भारी कमी है और कि केरल केवल पन बिजली पर ही निर्भर है क्या कोचीन में प्रस्तावित तापीय बिजली घर को स्थापित करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायेंगे ?

डा० कु० ल० राव : हम वहां की बिजली की आवश्यकता को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिये हमने कोचीन में एक तापीय बिजली घर की मंजूरी दी है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या कोचीन में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने का निर्णय हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल तथा हैवी इंजीनियरिंग प्लांट, रांची द्वारा इसके लिये आवश्यक मशीनें तैयार किये जाने पर निर्भर करता है ; यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि इसमें 2 या 3 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है और तब तक के लिये वहां यही दशा रहेगी ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि कोचीन में तापीय बिजली घर यथा शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये और हम मशीनों को देश के भीतर या बाहर से यथा शीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मणियंगाडन : बिजली में कितने प्रतिशत कटौती की गई है ?

डा० कु० ल० राव : भारी उद्योगों के लिये 50 प्रतिशत की कटौती की गई है।

श्री वासुदेवन नायर : केरल सरकार ने औद्योगिक उपभोग पर 80 प्रतिशत कटौती बताई है। यह अखबार की खबर है।

डा० कु० ल० राव : हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार भारी उद्योगों के लिये 50 प्रतिशत की कटौती की गई है और घरेलू उपयोग के लिये 25 प्रतिशत। केरल में वहां की सरकार ने एक और चीज़ की है और वह यह कि 50 प्रतिशत की कटौती के अतिरिक्त उसने भारी उद्योगों को इस बात की स्वतन्त्रता दे दी कि तीन महीनों में वे जिस तरह चाहें बिजली इस्तेमाल करें। अतः कुछ कारखानों ने दो महीनों में बिजली का प्रयोग कर लिया है। यह कारण था कि टी०सी०सी० को समय से पूर्व बन्द करना पड़ा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : चूंकि, केरल, आन्ध्र और अन्य राज्यों में जहां कि दक्षिण ग्रिड से बिजली दी जाती है बिजली की भारी कमी है, क्या सरकार यह वांछनीय नहीं समझती कि अच्छी स्थिति वाले राज्यों से वहा बिजली दी जाये ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि मैसूर आज अन्य राज्यों को बिजली देने की स्थिति में है। दूर्भाग्य से मद्रास को छोड़ कर अन्य राज्यों को बिजली पहुंचाने के लिये लाइनें नहीं हैं। इस कारण जितनी बिजली दी जानी चाहिये थी नहीं दी जा सकी है।

श्री केप्पन : केरल में तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि सभा जानती है इसकी मंजूरी प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। एक तकनीकी समिति स्थापित की गई थी और उसने काफी समय ले लिया। बाद

में अग्रेतर चर्चा के परिणाम स्वरूप और चूंकि ईंधन मंत्रालय ने 40,000 टन मट्टी का तल देने का वचन दे दिया था, अब इसकी मंजूरी दी गई है। मंजूरी अभी दी गई है और जैसा कि मैंने पहले बताया हम इस बिजली घर को स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

प्रश्नों के [लिखित] उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Financial Condition of Hindustan Commercial Bank

*596. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the working of the Hindustan Commercial Bank has been satisfactory during the last 17 years;

(b) whether no dividend was paid by the Bank during the said period;

(c) if so, whether this is so because of the mismanagement or unsatisfactory financial condition of the Bank; and

(d) the action taken by the Reserve Bank of India to improve the working of the Bank?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Choudhuri) : (a), (c) & (d). The Reserve Bank in the exercise of its statutory powers under the Banking Regulation Act, 1949, has inspected the Hindustan Commercial Bank from time to time and has issued certain directions to it in the light of the inspection reports. It will not be in the public interest to disclose the contents of these reports.

(b) No dividend has been paid by the bank during the period in question.

सरकारी स्थान की समस्या

*597. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी स्थान की समस्या को हल करने के लियें सभी केन्द्रीय मंत्रालयों का सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हा, तो किस प्रकार सहयोग मांगा गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रियों को लिखे गये तारीख 7 दिसम्बर, 1965 के अर्धसरकारी पत्र में कठिनाइयां स्पष्ट कर दी गयी हैं जिसकी प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-5794/66 ।]**

दामों को स्थिर रखना

*598. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामों को स्थिर रखने के लिये कोई संगठन बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मूल रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) तक : इस समस्या से निबटने का कुछ प्रबन्ध पहले हो से है, जिसके सम्बन्ध में, यह जानने के लिये जांच की जायेगी कि क्या व्यवस्था में कोई और परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

पूंजीगत माल सम्बन्धी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

*599. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख उद्योगों क लिये पूंजीगत माल की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा डा० ए० नागराजा राव की अध्यक्षता में नियक्त की गई तकनीकी समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कि मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या योजना आयोग ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : : (क) अभी नहीं, जी ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा संसाधनों का बढ़ाया जाना

*600. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्यों को अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि करनी है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये केन्द्र ने कोई नीति निर्धारित कर ली है ; और

(ग) राज्यों द्वारा कितना राजस्व जुटाया जायेगा और क्या प्रत्येक राज्य के लिय कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि नहीं तो, प्रत्येक राज्य के लिये क्या लक्ष्य है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये, योजना आयोग ने कतिपय मार्गदर्शक सुझाव दिए गये हैं । सुझाये गये उपायों में अन्य बातों क अलावा, भू राजस्व पर अधिभार लगाना, सिंचाई की दरों में संशोधन, वाणिज्यिक फसलों पर अधिभार लगाना, समुन्नति कर लगाना, बिजली के शुल्कदर एवं महसूल में वृद्धि तथा शहरी अचल सम्पत्ति कर, बिक्री कर, मोटर-गाड़ियों पर लगाय गय करों इत्यादि में संशोधन हैं ।

(ग) राज्यों द्वारा जुटाई जाने वाली राजस्व की कुल राशि, और प्रत्येक राज्य के भाग का निश्चय चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय किया जायेगा ।

सूडान को ऋण

*601. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री सूडान को दिये जाने वाले ऋण के संबंध में 2 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 607 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की स्थापना के लिये सूडान को 5 करोड़ रूपये का ऋण देने के संबंध में सूडान की सरकार के साथ बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या होंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक बातचीत पूरी हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जी नहीं, ऋण की शर्तों का तय किया जाना अभी बाकी है ।

(ग) ऋण की शर्तें या तो सूडान जाने वाले भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा तय की जायेंगी या सूडान की ओर से भारत आने वाले शिष्टमंडल द्वारा। इस के लिय तारीखें अभी निश्चित नहीं की गयी है ।

मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करना

*602. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि मांग और पूर्ति में बहुत अन्तर होने के कारण जनता में व्यापक असन्तोष फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 18 वर्ष बीत जाने पर भी न्यूनतम आवश्यकताओं को, जिनके लिए भारत की जनता अधिकारी, है, पूरा न किये जाने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तंत्र को कितना क्रियाशील बनाया गया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : आयोजन की सारी प्रक्रिया, एक निश्चित अवधि में जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर प्रवृत्त है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना हमें इस लक्ष्य के समीप ले गई है। चौथी तथा पांचवीं योजना का आधारभूत उद्देश्य यह है कि रोजगार के इच्छुक सब व्यक्तियों को रोजगार मुहैया किया जाय और अगले दस वर्ष या इससे कुछ कम अधिक, अवधि के अन्त तक; देश के प्रत्येक परिवार को निम्नतम रहन-सहन का स्तर सुनिश्चित किया जा सके ।

देश के सार्वजनिक प्रशासन की जांच करने और जहां आवश्यक हो वहां इसमें सुधार करने और इसे पुनर्गठित करने के लिये सिफारिश करने हेतु, भारत सरकार ने हाल में ही प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया है। अपनी सिफारिशें करते समय यह आयोग प्रशासन को विकास के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उपयुक्त साधन बनाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगा ।

Food Situation

*603. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of a team of experts of Planning Commission was recently held at Hyderabad;

(b) If so, whether they had also discussed the fact that good land is being indiscreetly utilised for the construction of houses, factories, roads and cities;

(c) if so, whether they had also considered the fact that if land is not utilised for more economical purposes, the food situation was likely to become more acute; and

(d) if so, the recommendations of this team?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) No, Sir.

(b) to (d): Do not arise.

खर्च में कमी

*604. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री व्यय में कमी के संबंध में 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिए मंत्रिमंडल के सचिव के नेतृत्व में बनाई गई समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या है ;और

(ग) क्या यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। समिति को सरकार के पास कोई औपचारिक रिपोर्ट भजने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन मंत्रालयों के 1966-67 के बजट अनुमान, विशेषकर आयोजना से भिन्न व्यय का अंश, समिति के निष्कर्षों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों के साथ बातचीत करने के बाद तैयार किए गए थे।

(ख) और (ग) : सभा की मेज पर एक विवरण रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5795/66]**

वस्तुओं के फुटकर दाम

*605. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1965 से फरवरी, 1966 तक की अवधि में अनाज (खुले बाजार), मिट्टी का तेल, दाल, खाद्य तेल, चीनी और कपड़ा जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के फुटकर भावों में वृद्धि के बारे में आंकड़े संकलित किये हैं ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि निर्माताओं द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों और उपभोक्ताओं से लिये गये वास्तविक मूल्य में बहुत अन्तर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) तक : सम्बद्ध अधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

Approach to Planning in Fourth Plan

*606. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that our production machinery during the three Plan periods has been oriented more to the production of luxury goods than to meet the necessities of common man;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether there is any likelihood of a change in this approach during the fourth Plan?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) & (b). The orientation that is being sought to be given to the production machinery in all of our development plans is towards the expansion of the supply of essential consumption and capital goods; and not of luxury articles.

(c) In view of what is stated above, the question of change in approach does not airse.

सरकारी क्षेत्र के विद्युत् उपक्रमों की बिजली की दरें

*607. **श्री मुहम्मद इलियास :**

डा० रानेन सेन :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सरकारी क्षेत्र के अधिकांश विद्युत् संभरण उपक्रमों ने वैंकटारामन समिति की सिफारिशों के अनुसार अपनी आय को बढ़ाने के लिये हाल में अपनी बिजली दरों में काफी वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों में बिजली की दरों को बढ़ाने से पहले खर्च में कटौती करने तथा सब मदों में मितव्ययता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ख) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5796/66**]

तकनीकी परामर्श सेवा समिति

*608. **श्री मॅलिगम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी परामर्श सेवा समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन से सदस्य है तथा यह क्या काम करती है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के कार्य और गठन के विषय में संकल्प की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5797/66**]

उत्तर (अपर) कृष्णा परियोजना

*609. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने यह अनुरोध किया है कि मैसूर राज्य की उत्तर (अपर) कृष्णा परियोजना को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेकर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : बृहत बहूद्देश्यीय परियोजनाओं पर धन लगाने की पद्धति के सामान्य प्रश्न के संदर्भ में मैसूर सरकार की इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है कि अपर कृष्णा परियोजना के लिये सारा धन केन्द्र द्वारा दिया जाए।

विश्व बैंक की व्याज की दर

***610. श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री यशपाल सिंह

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि विश्व बैंक व्याज की दरों को बढ़ाने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के निश्चित प्रस्ताव क्या है; और

(ग) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) बताया जाता है कि व्याज दर को 5 1/2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(ग) हालांकि यह स्पष्ट है कि व्याज दर के बढ़ाये जाने से, विश्व बैंक द्वारा विकासोन्मुख देशों को और आगे दिये जाने वाले ऋण पहले की बनिस्बत महंगे बठगे, लेकिन इससे विश्व बैंक को, कम विकसित देशों को ऋण देने के लिये, दुनिया के पूंजी बाजारों से और अधिक धन जुटाने में सुविधा हो जायगी; अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के विकसित सदस्य देशों द्वारा कम विकसित देशों को बिना व्याज के लम्बी अवधि के ऋण देने के उद्देश्य से संघ के साधनों को जितना अधिक बढ़ाया जायगा, विश्व बैंक के ऋणों के व्याज की दर में वृद्धि का प्रभाव उतना ही कम किया जा सकता है और आशा है कि किया जायगा।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के लिये धन संग्रह

***611. श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री शिंकरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के लिये धन इकट्ठा करने और स्वर्ण बांडों के लिये सोना इकट्ठा करने के लिये लोगों तथा कर्मचारियों पर बहुत दबाव डाला जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब के रोहतक जिले में बहादुरगढ के उच्चतर माध्यमिक स्कूल का प्रिंसिपल स्वर्ण बांडों के लिये 10 ग्राम सोना देने के लिये अध्यापकों को बाध्य कर रहा है; और

(ग) क्या समूचे देश में सब प्रकार के प्रतिरक्षा कोषों की लेखापरीक्षा कराने के लिये सरकार का कोई प्रबन्ध करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) हालांकि ऐसा लगता है कि पहले, दबाव डालने के इक्के दुक्के मामले हुए है, लेकिन सरकार को हाल में ऐसा कोई मामला होने की जानकारी नहीं है।

(ख) भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। लकिन राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय रक्षा को और राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडों की लेखापरीक्षा किये जाने का प्रबन्ध पहल से ही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम

*612. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री भागवत झा आजाद ।
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि परिवार नियोजन कायक्रम के लिये चौथी योजना में कितनी राशि नियत की गई है और कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नि ोजन कायक्रम के लियें 95 करोड़ रुपय अस्थायी रूप से नियत किये गये हैं।

कम से कम समय में जन्म दर को 25 प्रतिहजार घटाने के उद्देश्य से गर्भाशयी-गर्भरोधक युक्तियों और वन्धीकरण के राज्यवार, जिलावार और खण्डवार लक्ष्य निर्धारित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ब्रिटिश ऋण

*613. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिंकरे :
श्री राम हरख यादव :
श्री च० का० भट्टाचाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामपुरे :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :
श्री मुरली म ोहर :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या चालू वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को तीन ऋण दिये है ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : चाल वर्ष में, ब्रिटेन की सरकार के साथ अब तक कुल 265 लाख पौंड (35.33 करोड़ रुपये) के चार ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :--

(1) सामान्य प्रयोजन सम्बन्धी सहायता के लिये 15-6-65 को किया गया 50 लाख पौंड का ऋण-करार ।

(2) सामान्य प्रयोजन सम्बन्धी सहायता के लिये 20-10-65 को किया गया 100 लाख पौंड का ऋण-करार ।

(3) ब्रिटिश सहायता पर आधारित उद्योगों के लिये मशीनों के हिस्सों और विशेष प्रकार के कच्चे माल के लिये 20-12-65 को किया गया 40 लाख पौंड का ऋण-करार।

(4) संकटकालीन खाद्य सहायता के लिये 11-2-1966 को किया गया 75 लाख पौंड का ऋण-करार ।

ये सभी ऋण 25 वर्ष की अवधि में अदा किये जाने हैं जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि (ग्रेस पीरियड) भी शामिल है। पहले ऋण के ब्याज की प्रभावी दर लगभग 3 1/2 प्रतिशत वार्षिक है, जबकि अन्य तीन ऋणों पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

नेपाल में भारतीय मुद्रा

*614. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे नेपाल राज्य क्षेत्र में भारतीय मुद्रा का वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन पूर्णतः बन्द हो गया है;

(ख) भारतीय रुपये तथा नेपाली रुपये की विनिमय दर क्या है और इसका नेपाल में प्रचलित भारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या नेपाल में प्रचलित भारतीय मुद्रा का कोई अनुमान उपलब्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भारतीय मुद्रा (करैंसी) का नेपाल राज्य क्षेत्र में वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) के रूप में चलन अभी पूर्णतः बन्द नहीं हुआ है, हालांकि नेपाल सरकार इस दिशा में धीरे-धीरे कदम उठा रही है।

(ख) विनिमय दर के हिसाब से 100 भारतीय रुपये 160 नेपाली रुपयों के बराबर हैं। भारतीय मुद्रा का चलन कम होता जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

श्रीलंका को ऋण

*615. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने श्रीलंका को एक अल्पकालीन ऋण देने की पेशकश की है, ताकि श्रीलंका भारत से उपभोक्ता माल खरीद सके और क्या यह ऋण अन्तिम रूप से तय हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक तय हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) करार की मुख्य बातें ये हैं :

(1) दो करोड़ रुपये के ऋण से 31 दिसम्बर, 1966 तक रकमें निकाली जा सकेंगी;

(2) श्रीलंका की सरकार इस ऋण का उपयोग भारत से 60 लाख रुपये की सूखी मछलियां, 80 लाख रुपये का कपड़ा और 60 लाख रुपये की सूखी मिर्च मंगाने के लिए कर सकेगी; और

(3) इस ऋण का ब्याज 3 प्रतिशत है; और ऋण की अदायगी 1 जुलाई, 1967 से शुरू करके छः छमाही किस्तों में की जायगी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी पूंजी विनियोजन

*616. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की इस नीति में जिसके अन्तर्गत अधिक गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन के सम्बन्ध में दिये गय वचन के विपरीत भारतीय उद्योगों के प्रबन्ध में विदेशियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती, परिवर्तन किया जायेगा;

(ख) क्या अमरीकी औद्योगिक विकास संस्था ने सरकार को प्रस्तुत किये गये एक दस्तावेज में बहुत से परिवर्तनों का सुझाव दिया है और कुछ रियायतों का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या विदेशी विनियोजकों ने इस बात की पेशकश की है कि यदि प्रबन्ध नियंत्रण में उनका कुछ हाथ रहे तो वे अधिक पूंजी लगायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) विदेशी पूंजी के निवेश के सम्बन्ध में नीति यह है कि सामान्यतः, किसी प्रतिष्ठान के स्वामित्व का केवल अधिकांश भाग और उसका प्रभावी नियंत्रण भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन यह कोई ऐसा कड़ा नियम नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। खास खास मामलों में, जहां राष्ट्रीय हित की दृष्टि से पूंजी का अधिकांश भाग विदेशी हाथों में रहना जरूरी समझा जाय, वहां इसके लिए अनुमति दी जा सकती है। इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार के सामने अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें किसी विदेशी सहयोगी ने यह कहा हो कि यदि उसे प्रबन्ध सम्बन्धी नियंत्रण में भाग लेने का अधिकार मिल जाय तो वह अपने पूंजी निवेश को बढ़ा देगा। लेकिन, कुछ मामलों में, विदेशी सहयोगियों ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी उद्योग में उनके भाग लेने की शर्त के रूप में, उसके प्रबन्ध में उनका प्रभावपूर्ण भाग होना चाहिये।

औषधियों का खराब हो जाना

*617. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में पृष्ठ 3 पर "40,000 रुपये के मूल्य की औषधियां खराब हो जाती है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इस हानि के सम्बन्ध में कोई जांच करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां तो इस हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि तारीख बीत जाने के कारण बहुत अल्प मात्रा में लगभग 3600 रुपये की कीमत की औषधि बरबाद हुई है। भारत सरकार इस क्षति की जांच करना आवश्यक नहीं समझती है। तथापि नगर निगम को सलाह दी जा रही है कि वे निकट भविष्य में अधिक सतर्कता बरतें और इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करें।

सिंचाई और विद्युत् नियतन

*618. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसके बावजूद भी कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सब से कम और जन संख्या की दृष्टि से बिहार दूसरे स्थान पर है, बिहार को तीनों योजनाओं में सिंचाई और बिजली के लिये बहुत कम धन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में राशि का नियतन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम प्रशुल्क

*619. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की, किसी वर्ष में प्रयोग में लाई गई अस्तियों की शुद्ध लागत पर कम से कम 7 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बिजली की दरों का पुनरीक्षण करने तथा उनको बढ़ाने से सम्बन्धित योजना को जिसका सुझाव विश्व बैंक ने ऋण देने के लिय एक शर्त के रूप में दिया है, कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया जायेगा और उपभोक्ताओं से बिजली प्रशुल्क की क्या बढ़ी हुई दर ली जायेगी ;

(ग) क्या वेनुगोपालन समिति ने दामोदर घाटी निगम द्वारा सुझाई गई वृद्धि का समर्थन किया है अथवा उसने उस में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि किसी परिवर्तन का सुझाव दिया गया है, तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। दामोदर घाटी निगम के टैरिफ का पुनरीक्षण 1 अप्रैल, 1966 से किया गया था।

(ख) औसतन बढ़ौतरी लगभग 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है। पुनरीक्षित टैरिफ निम्न-लिखित है :—

33 के० वी० पर सप्लाई के लिये

मांग शुल्क : प्रति मास 9 रुपये प्रति के० वी० ए०

जमा

निम्नलिखित ऊर्जा दरें :

प्रति मास प्रथम 200,000 यूनिट, 3.5 पैसे प्रति यूनिट

प्रति मास अगले 300,000 यूनिट, 3.25 पैसे प्रति यूनिट

इससे अधिक 3 पैसे प्रति यूनिट

ऊर्जा की ये दरें कोयले की लागत के अधिकर में कमी पेशी के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं।

132 के० वी० पर सप्लाई के लिये

33 के०वी० टैरिफ पर 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ग) तथा (घ) : जी, हां। समिति ने दामोदर घाटी निगम द्वारा 1-4-65 से बढ़ाये गये बिजली सप्लाई टैरिफ का पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की जा रही बिजली को छोड़ कर, जहां 1-4-65 से पहले की पुरानी दरों पर 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की गई है, समर्थन किया है।

कुछ अफ्रीकी देशों में जल संसाधनों के विकास क लिए पदाधिकारियों को भेजा जाना

*620. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अफ्रीकी देशों यथा केन्या, घाना तथा युगांडा ने उन देशों में जल संसाधनों के विकास के बारे में सलाह देने के लिये भारत से विशेषज्ञों को भेजने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से अनुभवी इंजीनियरों की इन विकसित होते हुए अफ्रीकी देशों को उनके सिंचाई तथा तत्सम्बन्धी परियोजना में सहायता देने के लिये प्रति-नियुक्ति कर दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केनिया

केनिया में डप्यूटेशन पर जाने के लिये सिंचाई के और जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में कुछ विशषज्ञों की सेवाओं के लिये केनिया सरकार से और संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाओं से प्रार्थनाएं आई थीं।

केनिया में नियुक्ति क लिये कुछ अधिकारियों के नाम सुझाएं गये थे परन्तु उन में से किसी को भी नहीं चुना गया है।

घाना

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक अधिकारी जून, 1959 से प्रवर अभियन्ता (जल विज्ञान) के रूप में घाना में डेप्यूटेशन पर गया हुआ है।

युगाण्डा

जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं के लिये युगाण्डा सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल-सिक्किम सीमा पर चीनी डालरों का पकडा जाना

†622. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल-सिक्किम सीमा पर रंगपो नामक स्थान में एक चूंगी चौकी पर भारतीय भू-सीमा शुल्क विभाग द्वारा हाल में पकड़े गये निषिद्ध माल में चीनी डालर भी पाये गये;

(ख) यदि हां, तो माल किन परिस्थितियों में पकड़ा गया, कितने चीनी डालर पकड़े गये और जिन व्यक्तियों से यह चीनी मुद्रा पकड़ी गई वे किस हैसियत के व्यक्ति थे;

(ग) क्या इस बात का कोई सन्देह अथवा प्रमाण है कि चीनी मुद्रा का प्रयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाने के कार्यों के लिये किया जा रहा है; और

(घ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गयी है तो क्या तथा किस के विरुद्ध की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) : 10 फरवरी, 1966 को पश्चिम बंगाल-सिक्किम सीमा पर रंगपो में सीमा-शुल्क चौकी के कर्मचारियों ने, सिक्किम से कलिमपोंग को जीप में जाते हुए एक सिक्किमी नागरिक के पास से, 18 नग चांदी के बरतन, 12 चांदी के भारतीय गैर-चलनवाले सिक्के और 2 गैर-चलन वाले चीनी डालर पकड़े, जिन सबकी कीमत लगभग 408 रुपया थी। सिक्किमी नागरिक कलिमपोंग में चांदी, कपड़ा और जूते का व्यापारी है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

(ग) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चीनी मुद्रा का, इस देश की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निचली सिलेरू परियोजना

2306. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 19 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा निचली सिलेरू परियोजना के लिए रूस से निर्माण सम्बन्धी मशीनरी आदि लेने के लिये मांगी गई विदेशी मुद्रा मंजूर की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) से (ग): जी नहीं। इस पर विचार किया जा रहा है ।

भारत के विकास के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा अध्ययन

2307. श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति (15 अगस्त, 1947) से अब तक भारत के विकास तथा विकास के लिए पूंजी में योगदान के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन से किन मुख्य बातों का पता चला है;

(ग) क्या यह अध्ययन भारत सरकार के सहयोग से किया गया था; और

(घ) अध्ययन में बताई गई बातों के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के दिल्लीस्थित राजदूतावास ने दिसम्बर, 1965 में "भारत का विकास और आर्थिक सहायता (इंडियाज डेवलपमेंट एण्ड इकानामिक एड)" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में, तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधि में हुए भारत के आर्थिक विकास का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है और इस अवधि में भारत को दी गयी विदेशी आर्थिक सहायता की मात्रा और उसके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) इस पुस्तिका में, विदेशी आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी देने के अतिरिक्त, जो मुख्य सामान्य निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे ये हैं :

(1) "भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, काफी आर्थिक विकास किया है । कुछ समस्याओं के बावजूद, इस देश ने इन 18 वर्षों में शायद पहली किसी भी शताब्दी की अपेक्षा अधिक प्रगति की है । यद्यपि इसमें विदेशी सहायता का बड़ा महत्व रहा है, लेकिन भारत ने अपनी विकास सम्बन्धी 80 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं की है ।"

(2) "1951 से, जब भारत ने विकास के लिए आयोजित और सुगठित प्रयत्न शुरू किया, कुल वास्तविक उत्पादन में लगभग 4 प्रतिशत के औसत वार्षिक अनुपात से वृद्धि हुई है; कृषि उत्पादन में 3 प्रतिशत के अनुपात से वृद्धि हुई है । 1964-65 के 7.3 प्रतिशत के विकास-अनुपात से यह प्रकट होता है कि भविष्य में यह देश और अधिक प्रगति कर सकेगा । खाद्य उत्पादन और कुल उत्पादन दोनों की वृद्धि की गति, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की गति से हमेशा अधिक रही है, हालांकि काफी लम्बी अवधि में इनका अन्तर इतना अधिक नहीं रखा कि उससे प्रति-व्यक्ति आमदनी और खपत में अधिक वृद्धि हो ।"

(3) "भारतीय आयोजन के जरिये भारत में, विकास परिव्यय और नीतियों के लिए एक आवश्यक ढांचे का निर्माण हुआ है और इसमें पिछले 15 वर्षों में लगातार सुधार हुआ है ।"

(4) "हालांकि सरकारी क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन गैर-सरकारी निवेश और व्यवसाय में भी काफी वृधि हुई है । विकास, किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा । भारत की आर्थिक नीति में समय-समय पर व्यावहारिक बातों के आधार पर परिवर्तन किया जाता रहा है ।"

(5) "भारत में आयोजना बनाने का अन्तिम उद्देश्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। जैसा कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने अक्टूबर, 1949 में कहा था :

"किसी व्यक्ति की तरह किसी राष्ट्र की भी
सबसे पहली आवश्यकता स्वावलम्बी बनना है।"

और भारत का लक्ष्य यह है कि विकास करने के साथ-साथ स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखा जाय। भारत अपना आर्थिक विकास चीनी साम्यवादी पद्धति से अर्थात् अपने लोगों के रक्त और अश्रुओं के द्वारा और उन्हें बलि चढ़ा कर नहीं करना चाहता।"

(ग) जी नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केरल में फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट

2308. **श्री अ० क० गोपालन्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल प्रशासन इस बारे में जांच कर रहा है कि फ्यूल ब्रिकेटिंग प्लांट चालू करने के लिये कल्लाई, जिला कालीकट में रद्दी बुरादा काम में लाया जा सकता है;

(ख) कालीकट जिले में लकड़ी चीरने के मिलों की कितनी संख्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केरल उद्योग परियोजना अधिकारी ने यह पता लगाने के लिए कि लकड़ी चीरने वाली मिलों के मालिकों से कितना बुरादा मिल सकता है उन्हें एक प्रश्नावली भेजी है; और

(घ) यह कारखाना कब चालू हो जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

विभिन्न ग्रामोद्योग परियोजना क्षेत्रों में उपलब्ध बुरादे को फ्यूल ब्रिकेटिंग निर्माण में उपयोग करने की सम्भावनाओं के अध्ययन के लिए, योजना आयोग की ग्रामोद्योग नियोजन समिति द्वारा, केरल राज्य के खोजीकोड सहित विभिन्न ग्रामोद्योग परियोजनाओं के क्षेत्र में उपलब्ध बुरादे की उपलब्धि के बारे में सूचना मांगी गई। तदनुसार, कोजीकोड परियोजना अधिकारियों ने, परियोजना क्षेत्र में बुरादे की उपलब्धि का अध्ययन किया है। परियोजना अधिकारी, कोजीकोड ने एक प्रश्नावली द्वारा यह सूचना एकत्रित की। संग्रहित सूचना के अनुसार, जिला कोजीकोड में 73 बुरादे की मिलें हैं। कोजीकोड में संयंत्र स्थापना के लिए तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है और अभी इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय फर्मों को अमरीकी ऋण

2309. **श्री राम हरख यादव :**

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने भारत में संयुक्त सहयोग के लिए भारत की पांच फर्मों को तीन करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण किन शर्तों पर दिया जायेगा; और

(ग) ऋण से किन-किन फर्मों को लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : संलग्न विवरण में उन फर्मों के नाम दिये गये है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये से कुछ अधिक रकम के अलग-अलग 5 ऋण दिये हैं। इस विवरण में इन ऋणों की शर्तों और उन उद्देश्यों का ब्योरा भी दिया गया है जिनके लिए वे दिये गय है। इन पांचों फर्मों को अमरीकी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5798/66].**

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का समेकन

2310. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मरली मनोहर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के समेकन के लिए सरकार ने योजना आयोग का एक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की उचित प्रगति के लिए उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या गांव पंचायत तथा खण्ड विकास परिषद् को इस योजना के साथ सम्बद्ध किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जांच की है और अक्तूबर, 1965 में एक प्रतिवेदन तैयार किया।

(ख) और (ग) : प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय म रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 5799/66]**

गर्भाशयान्तर गर्भ निरोध युक्ति (लूप) सम्बन्धी कार्यक्रम

2311. **श्री व० बा० गांधी :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में चिकित्सा कर्मचारियों के अतिरिक्त चिकित्सा-कार्य करने वाले अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की सेवाओं का इस समय जनता को उचित रूप से प्ररित करने तथा बड़े पैमाने पर गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधी युक्ति (लूप) के प्रयोग के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गर्भाशयान्तर गर्भनिरोध युक्ति (लूप) का प्रयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा कराने का है ताकि उलझनों को कम किया जा सके और गर्भाशायान्तर गर्भ निरोध युक्ति कार्यक्रम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गर्भाशयी गर्भ रोधक (छल्ला) का प्रयोग करने के लिये तथा लोगों को इसके प्रयोग की प्रेरणा देने के लिये निजी चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) गर्भाशयी गर्भ रोधक (छल्ला) लगाने से पूर्व सभी मामलों में चिकित्सा परीक्षा की जाती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2312. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को कब तक सरकारी क्वार्टर मिलने की आशा है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) 6,439

(ग) और अधिक मकान बनाने के लिए सरकार सभी संभव उपाय कर रही है, किन्तु उन्हें स्थान देने में अनेक वर्ष लगेंग।

Drinking Water Supply in Drought Affected Areas

2313. Sri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have approached the Central Government for financial assistance for the supply of drinking water to scarcity areas affected by drought and by failure of crops;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the decision taken by Government on their request?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). The Government of India have already laid down the pattern of Central assistance to the States for meeting expenditure on relief operations including provision of drinking water undertaken on account of natural calamities. The Government of Maharashtra have not so far approached the Government of India for any financial assistance on this account.

In the annual plan for 1966-67 for rural water supply schemes the Maharashtra Government have been allocated a provision of Rs. 60 lakhs. The Maharashtra Government have asked for an additional allocation of Rs. 2.50 crores under this head, but the Government of India have not so far agreed to any additional allocation.

A team of officers form the Central Government constituted by the Planning Commission visited the scarcity affected areas of Maharashtra from 10th to 15th January, 1966 to make an on the spot study of the scarcity situation. The recommendations of the team are separately under consideration. This team did not make any specific recommendation for allotment of additional funds to the Government of Maharashtra for water supply schemes.

दिल्ली का औद्योगीकरण

2314. श्री महेश्वर नायक : क्या **निर्माण** तथा **नगरिय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में औद्योगीकरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सभी उद्योगों को शहर के भीतर स्थान नहीं दिया जायगा;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के विकास के लिए किन-किन स्थानों को चुन लिया गया है और वहां किन उद्योगों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) शहर मे पहले से स्थित वर्तमान उद्योगों के सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 1 सितम्बर, 1962 को प्रकाशित किया गया था। ऐसे औद्योगिक उपयोगों को जिनकी पूर्ष्टि मास्टर प्लान मे दिखाये गये भूमि के उपयोगों से नहीं होती उन्हें, हानिकारक उद्योगों के मामले में 3 से 5 वर्षों में उपद्रवात्मक (न्यूसेंस) उद्योगों के मामलों में 4 से 10 वर्षों में तथा अन्य मामलों में 6 से 20 वर्षों में धीरे धीरे मास्टर प्लान में निर्धारित औद्योगिक क्षत्रों में ले जाना होगा।

(ख) स्थान—

	क्षेत्र (एकडो में)
अ-उपद्रवात्मक लघु उद्योग—	
हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	54
ओखला औद्योगिक क्षेत्र (दो स्थान)	164
कालकाजी (दो स्थान)	8
मथुरा रोड पर (तीन स्थान)	169
पूसा इन्स्टीच्यूट के पश्चिम में	279
दिल्ली मिल्क सप्लाई	20
आनंद पर्वत के निकट स्थान	60
रोशन आरा रोड	11
सराय रोहिल्ला	32
वजीरपुर के उत्तर-पश्चिम	27
लोरेंस रोड-नंगल सब-स्टेशन एरिया	279
पूर्व-पश्चिम में रिंग रोड तथा जी०टी० रोड के दक्षिण का क्षेत्र	333
जी०टी० रोड और रेलवे के बीच शहादरा	113
मोती नगर के निकट	13
तिलक नगर के निकट	5
नजफ़गढ़ रोड	16
जोड़	1,583
बडे और भारी उद्योग—	
ओखला के दक्षिण में मार्शलिंग यार्ड के निकट	908
नजफ़गढ़ रोड एरिया	369
रेवाड़ी को जाने वाली रेलवे लाइन तथा न्यू इन्डस्ट्रियल रोड के बीच	331
रोहतक को जाने वाली रेलवे लाइन तथा रोहतक रोड के बीच	194
रोहतक को जाने वाली रेलवे लाइन के उत्तर में	469
रिंग रोड के उत्तर में आज़ादपुर।	410
नई रेलवे लाइन तथा नए राजपथ के बीच शहादरा	919
जोड़	3,600

(ग) फिलहाल ऐसे औद्योगिक यूनिटों को, जो कि स्वच्छा से अपने अपुष्टिकारक स्थानों से हटने को तयार हैं उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा विकास किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दी जा रही है, बशर्ते कि वे वर्तमान परिसरों के अपुष्टिकारक प्रयोग को $2\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि में बंद कर दें। भूमि का आवंटन आरक्षित मूल्य पर किया जा रहा है। यह भूमि अर्जन की लागत के साथ विकास तथा ऊपरी व्यय के आधार पर है। भूमि को खरीदने तथा इमारतों को बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा समुचित ऋण-सहायता दी जा रही है।

Construction of Houses

2315. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri made an appeal early in December last to reduce the expenditure on the construction of big buildings during the emergency period; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Government have no information whether the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri made such an appeal. According to Press reports, while inaugurating the Heavy Power Equipment Plant of the Bharat Heavy Electricals at Ramachandrapuram (Hyderabad) on the 11th December, 1965, he observed that it was not proper to spend a substantial portion of the money allocated to a project on big buildings, as the saving on constructin could be better utilised for more projects.

(b) Due to the emergency, the programme of construction of office buildings and houses by the Central Government has been slowed down considerably.

केरल के अराजपत्रित अधिकारी

2316. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अराजपत्रित कर्मचारियों के संघ ने केरल वेतन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक ज्ञापन पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग के प्रस्तावों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन का ब्यौरा एक विवरण में दिया गया है जो सभा की मेज पर रख दिया गया है। केरल सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है और आशा है जल्दी ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायगा।

विवरण

केरल अ-राजपत्रित अधिकारी संघ ने केरल वेतन आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो ज्ञापन दिया था उस में कही गयी बातें ये हैं :—

(1) वेतन आयोग की सिफारिशों में उचित संशोधन किये जायं ताकि 1 जुलाई, 1959 को जो निर्वाहव्यय सूचक अंक था उसे निष्प्रभाव किया जा सके ।

(2) सभी अ-राजपत्रित अधिकारियों को सेवा के हर तीन वर्षों के लिए एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि दी जाय, लेकिन इन वेतन-वृद्धियों की अधिकतम संख्या पांच होनी चाहिए ।

(3) वर्तमान वेतन संशोधन केवल 500 रुपये तक के वेतनमानों तक ही सीमित रखा जाय ।

(4) महंगाई भत्ते के लिए अब जो वेतन-खण्ड स्वीकार किये गये हैं उनमें राज्य के वेतन ढांचे के अनुरूप उचित परिवर्तन किये जायं ।

(5) सभी अ-राजपत्रित अधिकारियों को 10 रुपये प्रतिमास की समान दर से मकान किराया भत्ता दिया जाय ।

(6) उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य बचत योजना समाप्त कर दी जाय जिनकी आमदनी आय-कर योग्य सीमा से कम हो ।

(7) वेतन आयोग की सिफारिशों में उचित परिवर्तन करने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की जाय जिसमें केरल अ-राजपत्रित अधिकारी संघ का भी एक प्रतिनिधि हो ।

Central Government Health Scheme

2317. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government is formulating a scheme under the Fourth Five Year Plan to extend the Central Government Health Scheme to those persons whose annual income is upto Rs. 150 without the payment of any contribution; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

गुलाबी बाग, दिल्ली में अस्पताल

2318. श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अन्धा मुगल के समीप गुलाबी बाग में एक अस्पताल बनाने के लिये अर्जित की गई भूमि से, वहां पर अवैध रूप से कब्जा किये बैठे लोगों को हटाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस भूमि से अनधिकृत रूप से बसे लोगों को एक बार हटा दिया गया था, परन्तु इस पर बहुत से लोगों ने फिर कब्जा कर लिया है। उन्हें हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) : आर्थिक अड़चनों के कारण 1966-67 में निर्माण कार्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

Vithalbhai Patel House, New Delhi

2319. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament who can be accommodated in the multi-storeyed flats built in the compound of Vithalbhai Patel House constructed in place of the Constitution House;

(b) the number of M.Ps. actually occupying these flats;

(c) the category of persons who are entitled to reside in the flats, not occupied by Members of Parliament and the number of such flats which have been occupied;

(d) the number of flats which constantly or partially remained vacant since the construction of the building till the end of January, 1966; and

(e) the loss sustained by Government by way of rent ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The Vithalbhai Patel House consists of 144 residential units (36 double and 108 single suites). Accommodation to that extent can be allotted to Members of Parliament on demand from them.

(b) 12.

(c) The accommodation surplus to the requirements of the Members of Parliament is allotted generally to officers drawing pay at Rs. 700.00 and more per month or to officers belonging to the Indian Administrative Service, Indian Police Service and State Government Gazetted officers who have joined the Central Government on tenure basis. At present 126 flats are occupied by such officers.

(d) and (e). Some suites have remined vacant for short periods in the normal process of allotment. Vacancies of that nature can not be regarded as involving "loss" of revenue. A few flats have also been kept vacant to meet emergent demands from Members of Parliament and the Administrative Reforms Commission.

निर्माण तथा आवास मंत्रालय का पुनर्गठन

2320. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पुनर्गठन के कारण कुछ कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन लोगों को दूसरे रोज़गार दिलाने के प्रयत्न किये जाएंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कुछ सहायकों तथा क्लर्कों को कम करना पड़ा किन्तु उन्हें अन्यत्र खाली स्थानों में खपा लिया गया ।

Shortage of Cement for Gandak Project

2321. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of cement for Gandak Project in Balmikinagar which may lead to the stoppage of work any time; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken to meet this shortage ?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) There was a temporary shortage in the supply of cement for the Gandak Project during the period October-December 1965, but this did not lead to any stoppage of work.

(b) Due to the general shortage, cement supplies could not match the demand of the Project authorities. Some delay in the movement of cement also occurred on account of the traffic restrictions imposed by the Railway authorities *via* Manduadih between the 7th and the 27th November, 1965. These restrictions were got lifted and arrangements were made to move sufficient quantity of cement to the Project in time by reducing certain other allotments.

Spare Parts of Machines at Gandak Project

2322. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many machines are lying idle at Gandak Project because of the shortage of spare parts and the work in the project has come to a standstill;

(b) whether it is also a fact that the spare parts are not being imported due to the shortage of foreign exchange; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the measures being taken to make arrangements for the supply of spare parts?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) A few machines remained idle for want of spare parts but the work never came to a standstill on this account.

(b) Due to shortage of foreign exchange spare parts are being imported in restricted quantity.

(c) Spare parts are being procured from the Kosi Project and the D.V.C. Purchases are also made from suppliers of the machines who have been granted necessary import licence. A part of the requirements is also met by purchases from other stockists in India.

Family Planning in Bihar State

2323. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have asked for any financial aid for the purchase of contraceptives for distribution among the people there; and

(b) if so, the action taken by Government threon?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). No. The entire cost on contraceptives is borne by the Government of India.

तुंगभद्रा उच्च तल नहर परियोजना के लिये ऋण सहायता

2324. श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ना० स्वा ी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्च तल नहर योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त ऋण की सहायता मंजूर की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1.98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता मांगी थी; इस के प्रति उन को दो ऋण स्वीकार किये गये थे--एक 18 दिसम्बर, 1965 को 1 करोड़ रुपये का ऋण और दूसरा 31 जनवरी, 1966 को 60 लाख रुपये का ऋण ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में नगरीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं

2325. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में नगरीय सामुदायिक विकास से संबंधित अग्रिम परियोजनाएं प्रारंभ करने के संबंध में कोई निर्णय इस बीच में किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : राजस्थान सरकार को नगर सामुदायिक विकास के लिए एक परियोजना नियत की गई है जिसे अजमेर में आरम्भ किया जायेगा ।

आस्ट्रिया से सहायता

2326. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 के लिये भारत सहायता सार्थ-संघ (एड इण्डिया कन्सार्शियम) द्वारा सहायता के अन्तर्गत आस्ट्रिया से कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) इस में से कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 40 लाख डालर (190 लाख रुपये) का एक सरकारी ऋण और 10 लाख डालर (47.6 लाख रुपये) का एक सम्भरक ऋण (सप्लायर्स क्रडिट) दिया गया था ।

(ख) और (ग) :

(1) सरकारी ऋण--(190 लाख रुपये)

(क) 75 लाख रुपया रासायनिक खादों के आयात के लिए निर्धारित (एलोकेट) कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में करार का मसविदा मंजूर किया जा चुका है और अब उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) 50 लाख रुपया इस्पात के आयात के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में करारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) मेसर्स बोहलर को तकनीकी फीस अदा करने के लिए 21.43 लाख रुपये की रकम अलग रख दी गयी है। यह फीस मई 1966 और नवम्बर 1966 में दी जानी है।

(घ) बाकी 43.57 लाख रुपया "अन्यों" के लिए निर्धारित कर दिया गया है जिनमें राज्यों के बिजली बोर्ड और रेलें भी शामिल हैं और इस सम्बन्ध में करारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) सम्भरक ऋण--(47.6 लाख रुपये)

इस ऋण के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली क्षमता

2327. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री राम सेवक यादव :

श्री बागड़ी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1966-67 में अपनी बिजली और सिंचाई क्षमता का विकास करने के लिये सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार पेंशन और गृह निर्माण ऋण योजना

2328. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री परिवार पेंशन और गृह-निर्माण ऋण योजना के बारे में 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने मंत्रालय के उस वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मिल चुकी है, जो परिवार पेंशन योजना के कार्य-संचालन का अध्ययन करने के लिये विदेशों में गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर तथा गृह-निर्माण ऋण योजना सम्बन्धी उसकी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : पेंशन योजना पर, जो मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के लिए है, एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस योजना पर और आवासन वित्त निगम की योजना पर विचार किया जा रहा है।

खाद्य पदार्थ में मिलावट

2329. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर 1965 से लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट किये जाने के प्रत्यक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में कितने अभियोग चलाये गये;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को दण्ड मिला; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या और कितना दण्ड दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5800/66।]**

औषध निर्माताओं का प्रशिक्षण

2330. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औषध निर्माताओं को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अन्य बातों के साथ साथ फार्मसी की शिक्षा के स्तरों को विनियमन करने की दृष्टि से 1948 में औषध अधिनियम बनाया गया था।

प्रवेश एवं परीक्षा से पूर्व अध्ययन के कोर्स का स्वरूप तथा उसकी निजी वस्तु निर्धारित करके, फार्मसी के कोर्स चलाने वाली शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देकर तथा परीक्षा विषय एवं उनके लिये प्राप्य मानक निर्धारित करके भारतीय भेषज परिषद डिप्लोमा स्तर तक फार्मसी की शिक्षा का विनियमन करती है। भेषज अधिनियम, 1948 के अधीन शिक्षा विनियमों को तदनुसार 1951 में अधिसूचित किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने फार्मस्यूटिकल शिक्षा समिति नामक एक विशषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसने फार्मसी की शिक्षा के स्नातक स्तर के आदर्श शिक्षा मानक निर्धारित किये हैं। इस योजना में यह कोर्स चलाने के लिए अपेक्षित उपकरण, स्थान, स्टाफ तथा अन्य अनुदेशात्मक सुविधाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित है।

भारत सरकार ने फार्मसी के डिग्री कोर्स चलाने वाली संस्थाओं के विकास तथा उनमें सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। जिन राज्यों में फार्मसी के डिग्री स्तर के प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वे कम से कम एक ऐसा केन्द्र अवश्य खोलें। इन संस्थाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च का पचास प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में देकर इनकी सहायता करने का विचार है।

इंजीनियरी और टेकनोलाजी में स्नातकोत्तर शिक्षा के समन्वित विकास के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने एक स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान बोर्ड स्थापित किया था। अत तक इस बोर्ड ने फार्मसी के स्नातकोत्तर कोर्स चलाने के लिए तीन केन्द्रों को मान्यता दी है।

फार्मसी के ऊंचे स्तरों के कोर्सों की व्यवस्था करने के लिए जिन के साथ साथ अनुसंधान की सुविधाएं तथा फार्मसी के विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की सुविधाएं भी होगी, केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय फार्मसी संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

Pollution of River Waters

2331. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the inhabitants of the villages situated on the river banks do not use for drinking purposes water of the rivers which is polluted as a result of several tons of sewage flowing into them;

(b) whether it adversely affects their health; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in this regard.

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) There are no statistical data available on a country-wide basis in regard to the number of inhabitants of villages situated on river banks who use or do not use river water, polluted by sewage, for drinking purposes. However, during cholera investigation in Orissa in 1963, it was observed that 79.7 per cent of the population investigated there, used water for drinking purpose from wells and ponds and only 2.8 per cent used river or canal water for drinking. Similar observations were made last year in Kerala also and experience in other States in India *viz.*, Bihar, Assam, Maharashtra and Gujarat was no different. The above findings regarding the nature of sources from which the people in the rural areas of the country draw their drinking water were more or less in conformity with the results of health surveys carried out by the Community Project Blocks in 9 different States. Except in the surveyed villages in West Bengal, in all other areas surveyed open wells and ponds rather than rivers serve as the main source of supply of water for domestic purposes. All these studies go to show that compared to wells and ponds, river water is not so much used in this country for drinking.

(b) Drinking river water polluted by sewage will, no doubt, adversely affect the health of the people.

(c) The Government of India have prepared a comprehensive draft enactment for control of water pollution. This is being examined by a Committee constituted for the purpose.

राजस्थान में पिछडे क्षेत्रों का विकास

2332. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राजस्थान को कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य ने इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : 1965-66 के दौरान, पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान को कोई विशिष्ट राशि नहीं दी गई। इन क्षत्रों का विकास, राज्य की समस्त योजना का भाग है।

राजस्थान सरकार को ऋण

2333. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1965-66 में राजस्थान सरकार को अपनी अर्थोपाय स्थिति को सुधारने के लिये कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राजस्थान में कोढ नियंत्रण केन्द्र

2334. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कितने कोढ़ नियंत्रण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) उन में कितने रोगियों के लिये प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिये वर्ष 1965-66 में कुल कितनी राशि का ऋण या अनुदान दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : राजस्थान में कुष्ठ की बहुत कम व्यापकता होने के कारण राज्य सरकार देश में चल रहे राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही है । अतः इस राज्य में कोई कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र नहीं खोला गया है । तथापि इस समय राज्य में दो कुष्ठ आश्रम, एक जयपुर में तथा दूसरा जोधपुर में चल रहे हैं जिनमें क्रमशः 40 और 55 पलंग है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान का विकास

2335. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में राजस्थान के विकास के लिये राजस्थान सरकार को वास्तव में कितनी धनराशि नियत की गई और उसमें से कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 52.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये । इसमें से, राजस्थान नहर परियोजना पर होने वाले 6 करोड़ रुपये के खर्चे सहित, सम्भावित खर्चा 51.27 करोड़ रुपया बताया गया है ।

(ख) राजस्थान नहर परियोजना के लिए अपेक्षित राशि को छोड़कर 36.66 करोड़ रुपये ।

गर्भ निरोधक वस्तुओं का उत्पादन

2336. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्भ-निरोधक इस समय कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध है और यह देश की वतमान आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(ख) उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देश में उत्पादित । निर्मित विभिन्न प्रकार के गर्भरोधकों की मात्रा इस प्रकार है :—

1. झाग वाली टिकिया	.	2 करोड़ 95 लाख टिकिया
2. जैली/क्रीम/पैस्ट	. .	214 टन
3. रबड़ के गर्भरोधक	. .	3 करोड़ 74 लाख 40 हजार

इन के अतिरिक्त रबड़ के एक करोड़ गर्भरोधक इस चालू वित्तीय वर्ष में आयात किये जा रहे हैं। रबड़ के गर्भरोधकों को छोड़कर अन्य गर्भरोधकों का उत्पादन देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(ख) गर्भरोधकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) कुछ फर्मों को रबड़ के गर्भरोधकों के उत्पादन के लायसेन्स दिये गये हैं और उनकी उत्पादन क्षमता 17 करोड़ 71 लाख 70 हजार गर्भरोधक है। इस समय केवल एक फर्म ने उत्पादन शुरू किया है। लघु पैमाने के क्षेत्र में चार और फर्मों ने फैक्टरियां लगाई है और उनकी उत्पादन क्षमता 6 करोड़ गर्भरोधकों की है किन्तु जो गर्भरोधक वे इस समय तैयार कर रहे हैं वे कम मानक के हैं। इन फर्मों से अपने माल का स्तर ऊंचा करने के लिये कहा गया है।

2. भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में भी गर्भरोधक तैयार करने का निश्चय किया है और इस कार्य के लिये केरल में एक फैक्टरी खोली जा रही है।

3. झाग वाली टिकियाओं का निर्माण भारत सरकार द्वारा मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर डिपो में गर्भरोधक क्रीम तैयार करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में मकान बनाने के लिये ऋण

2337. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के लिए 20 नवम्बर, 1965 से अब तक की अवधि में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) सरकार ने कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये; और

(ग) उक्त अवधि में उन्हें कुल कितना ऋण दिया गया?

निर्माण, आवास तथा **नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) 2 ।

(ख) आवेदन भजने वाले विभागों से कहा गया है कि वे आवेदकों से त्रटियों/चूंको को परिशोधित करायें। जब यह कर लिया जायेगा, आवेदन पत्रों पर तभी आगे की कार्यवाई की जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

2338. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये वस्तुतः कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उड़ीसा को इस कार्य के लिये कितनी धनराशि देने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) उड़ीसा में 1965-66 के दौरान गंदी बस्ती सफ़ाई योजना के लिए अनुमोदित खर्चा 5 लाख रुपये है, इसमें 3.75 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिये जायेंगे, तथा 1.25 लाख रुपये राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार को वास्तव में दी जा सकने वाली राशि, इस वर्ष के दौरान उनके द्वारा किये गये खर्चे पर निर्भर करेगी।

(ख) अनुमोदित कुल खर्चा संभवतः 14 लाख रुपये होगा।

उड़ीसा में अनुसंधान योजनाएं

2339. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 के लिये उड़ीसा में कोई अनुसंधान योजनाएं मंजूर की गई है अथवा मंजूर की जायेगी; और

(ख) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5801/66]**

चौथी पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद का विकास

2340. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल आयुर्वेद मंडल की ओर से इस चिकित्सा प्रणाली से संबंधित समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र ग्राम्य जल सम्भरण योजनाएं

2341. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र की ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं को स्वीकृति कब तक दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अतारांकित प्रश्न संख्या 1258 के उत्तर में जिन 32 योजनाओं को राज्य सरकार के पास लौटाने की बात कही गई थी उनमें से प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वित करने के बाद उनसे केवल 9 योजनाएं प्राप्त हुई थीं। इनमें 7 मंजूर कर दी गई हैं और 2 की केन्द्रीय जल स्वास्थ्य इंजिनियरी संगठन में जांच की जा रही है।

उन 11 योजनाओं में से जिनके बारे में यह बतलाया गया था कि उनकी जांच हो रही है, 7 अब तक मंजूर हो चुकी हैं। 3 को राज्य सरकार के पास संशोधन के लिये भेज दिया गया था और 1 की केन्द्रीय जल स्वास्थ्य इंजिनियरी संगठन जांच कर रहा है।

इन के अतिरिक्त इस राज्य सरकार से 17 नई योजनाएं प्राप्त हुई इनमें से 3 मंजूर हो चुकी है। एक स्पष्टीकरण के लिए लौटा दी गई है और शेष 13 की केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा जांच की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा गाजियाबाद में भूमि का अर्जन

2342. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के प्रयोग के लिये गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में भूमि अर्जित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है तथा उसके लिये कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ग) भूमि का उपयोग किस काम के लिये किया जायेगा तथा कब परियोजना प्रारंभ होने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के लिए गाजियाबाद में 250 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाई शुरू की जा चुकी है। जब अर्जन की कार्यवाही पूरी हो जायेगी राशि का पता तभी चलेगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा निवास स्थानों के लिए।

रतौंधी रोग

2343. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतौंधी रोग संबंध में कोई प्रयोग-कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग का पूर्णतया उन्मूलन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) पोषण अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान्, कलकत्ता के पोषण विभाग द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। ये सर्वेक्षण रतौंधी से पीड़ित लोगों तथा विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिशत का निर्धारण करने तथा यह जानने के

लिए कि क्या यह रोग पोषक आहार के साथ सहसम्बन्धित हो सकता है या नहीं, बनाये गये थे। सामन्यतया यह पाया गया है कि किसी अन्य क्लीनिकी लक्षण के प्रकट होने से पहले विटामिन-'ए' की साधारण कमी भी रतौंधी का कारण हो सकती है कलकत्ता में स्कूल के बच्चों में हुये सर्वेक्षण से पता चला कि सभी बच्चों में लगभग 2 प्रतिशत बच्चे रतौंधी से पीड़ित हैं। दक्षिण में ये आंकड़े थोड़ा अधिक हैं (3 से 4 प्रतिशत)।

(ग) सामान्य पोषण के स्तर को सुधारने के उपायों से यह रोग स्वतः समाप्त हो जायेगा। विशेष आवश्यकता भोजन में दूध, अण्डे और गाजर आदि की मात्रा बढ़ा कर विटामिन-'ए' की मात्रा में सुधार करने की है। सुरक्षित खाद्यान्न पैदा करने और आक्राम्य वर्गों में उसका वितरण करने के लिये जितने ब्लाकों में हो सके उतने ब्लाकों में विस्तृत पोषण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है।

डम्बरू जल-विद्युत् परियोजना

2344. श्री दशरथ देव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र अथवा त्रिपुरा प्रशासन ने उन आदिवासियों को बसाने के लिये, जिनके त्रिपुरा में डम्बरु जल-विद्युत् परियोजना के क्रियान्वित हो जाने पर उस स्थान से विस्थापित हो जाने की सम्भावना है, कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केवल उन लोगों को ही बसाने के लिये पहले से ही कोई एक स्थान अथवा बहुत से स्थान चुन कर नियत करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख): अभी नहीं। जब स्कीम का कार्यान्वित आरम्भ होगा, पुर्नस्थापन समस्या तब हल की जाएगी।

पंजाब के देहातों में उद्योगों की स्थाप्ना

2345. श्री दलजीत सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की ग्राम्य उद्योग योजना समिति द्वारा प्रायोजित ग्राम्य उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिये पंजाब में कौन कौन से क्षेत्र चुने गये है;

(ख) किस आधार पर क्षेत्र चुने गये है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5802/66]**

संयुक्त स्कन्ध पूंजी के सम्बन्ध में ज्ञापन

2346. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टाक ऐक्सचेंजों के प्रधान ने हाल ही में उन को मद्रास में एक ज्ञापन पेश किया है, जिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में नई अभिदत्त स्कन्ध पूंजी का 2/5 भाग पिछले तीन वर्षों में समाप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में और क्या बातें कही गई है; और

(ग) इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जी हां। ज्ञापन में कही गयी दूसरी बातों का आशय यह था कि किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा सामान्य शेयरों पर घोषित किये गये लाभांश

पर 7½ प्रतिशत कर, कम्पनी के लाभ पर अधिकर, बोनस निर्गमों पर 12½ प्रतिशत कर, और किसी कम्पनी के शेयरहोल्डरों के पास के बोनस निर्गमों पर पूंजी-लाभ-कर लगाने जैसी कर सम्बन्धी व्यवस्थाओं के कारण, सामान्य शेयर पूंजी पर उचित आमदनी होने और पूंजी के मूल्य में वृद्धि होने की सम्भावनाएं बहुत कम हो गयी है। इन बातों के अलावा, ज्ञापन में, मुद्रा बाहुल्य के कारण, मूल्यों में हुई वृद्धि, व्यक्तिगत करों के ऊंचे स्तरों और ब्याज की दरों के मौजूदा ढांचे का उल्लेख भी किया गया है।

(ग) सरकार ने ज्ञापन की जांच कर ली है और वह निवेश सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से उस पर बराबर नजर रखती है।

Conclusions of Conference of Cancer Specialists

2347. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a conference of the International Cancer Specialists was held on the 12th January, 1966 in Bombay;

(b) if so, the conclusions arrived at by the conference for treatment of cancer; and

(c) Government's reaction thereto;

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

निर्यात किये जाने वाले माल का वर्जन

2348. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विदेश व्यापार में कम बीजक और अधिक बीजक बनाने की कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से क्या सरकार निर्यात किये जाने वाले माल के वजन और धन परिमाप (क्यूबिक मेज़रमेंट) का परीक्षण करने के लिये कलकत्ता तथा अन्य बन्दरगाहों में काम करने वाले मान्यताप्राप्त स्वतंत्र निकायों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। बीजक में किस हद तक कम या ज्यादा बताये गये हैं इस बात का निर्धारण करने में निर्यात किये जाने वाले माल के वजन और धन (क्यूबिक) परिमाप की जांच पड़ताल से, आम तौर पर कोई सहायता नहीं मिलती। बीजक में कम दाम या ज्यादा दाम लगाने की सीमा का निर्धारण करने में सही कीमत आंकने का पहलू ही महत्वपूर्ण होता है। यदि निर्यात किये जाने वाले किसी माल के मूल्यांकन के सही होने के बारे में कोई सन्देह होता है, तो सम्बन्धित माल का ठीक मूल्य जानने के लिए सीमा-शुल्क कार्यालय जैसी जरूरी हो वैसी पूछताछ करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के बड़े शहरों और नगरों के लिये वृहद् योजना

2349. श्री रामचंद्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 21 फरवरी, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े शहरों और नगरों

के लिये वृहद् योजना तैयार करने के लिये उड़ीसा के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सरकार को बड़े शहरों तथा नगरों के मास्टर प्लान बनाने के लिए 10.85 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल किये जाने वाले नगरों के मास्टर प्लान बनाने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण तथा अग्रिम कार्रवाईयां करने के लिए 75,000 रुपयों की और व्यवस्था की गयी है ।

नई दिल्ली के बाजारों में दुकानों का दिया जाना (अलाटमेंट)

2350. श्री दलजीत सिंह : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के विभिन्न बाजारों में अब तक कितनी दुकानें अलाट की गई हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को एक से अधिक दुकानें अलाट की गई हैं तथा एक ही नाम में अधिक से अधिक कितनी दुकानें अलाट की गई हैं;

(ग) कितने अलाटी (1) सरकारी तथा (2) विभागीय कर्मचारियों संबंधी हैं;

(घ) कितने अलाटियों ने दुकानें आगे किराये पर उठा दी हैं; और

(ङ) जिन लोगों ने आगे किराये पर दुकानें उठा दी हैं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) नई दिल्ली में अब तक संपदा निदेशालय के द्वारा 1381 दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं ।

(ख) निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय को ऐसे किसी मामले का पता नहीं जिसमें कि किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक दूकान आवंटित की गई हो ।

(ग) इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि आवंटियों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे अपने संबंधियों के विवरण दें ।

(घ) और (ङ) : उपकिरायेदारी की 60 शिकायतें नोटिस में आई हैं । इन मामलों की जांच पड़ताल चल रही है ।

गांवों में बिजली लगाना

2351. श्री मुहम्मद इलियास :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री रानेन सेन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब वर्तमान बातों को, जिसमें प्रत्येक संगठन की वर्तमान क्षमता तथा गावों में बिजली लगाने के लिये अपेक्षित सामान की स्थिति भी सम्मिलित है, ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य द्वारा कितने गावों में बिजली लगाई जा सकती है;

(ख) गावों में बिजली लगाने का विशाल कार्यक्रम, जिसे 1969 में महात्मा गांधी जन्म दिवस शताब्दी समारोह के अवसर पर आरम्भ किया जाना है, क्या वह क्षमता तथा अन्य सीमाओं के ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि गावों में बिजली लगाने का इस समय जो कार्यक्रम बनाया गया है उसका अन्य ग्राम विकास योजनाओं के साथ समन्वय नहीं किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) चौथी योजना के दौरान कितने ग्रामों को बिजली दी जाएगी, इस के सम्बन्ध में विविध राज्यों और संधीय प्रदेशों के साथ परामर्श करके अस्थाई रूप से एक अनुमान लगाया गया था। अस्थाई आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालयों में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5803/66]** किन्तु देश में खाद्य उत्पत्ति में वृद्धि लाने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया हुआ है कि ग्राम विद्युतन कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाए जिस में पम्पों को बिजली देने के लिये बल दिया गया हो। चतुर्थ योजना का अस्थाई लक्ष्य लगभग 7 लाख पम्पों को बिजली देना है और इसको विविध राज्य बिजली बोर्डों तथा खाद्य व कृषि मंत्रालय के साथ सलाह करके निर्धारित किया गया है। कहीं ग्राम विद्युतन का सामाजिक—आर्थिक लक्ष्य ध्यान से परे न हो जाए, राज्य अधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे चतुर्थ योजना के दौरान ग्राम विद्युतन स्कीमों को इस तरीके से तैयार करें जिससे उनके अन्तर्गत ऐसे ग्रामों के समूह आ जाए जिनमें पम्प समूहों के समूहों हो और जिससे अन्य ग्रामीण मांगों को भी उस क्षेत्र में पूरा किया जा सके। अतः पम्मों को ऊर्जित करने के कार्यक्रम पर यथा-संभव बल देने से प्रत्येक राज्य में 15 से 20 प्रतिशत ग्राम चतुर्थ योजना अवधि में विद्युतन कार्यक्रम के अधीन आ जाने चाहिये। किन्तु चतुर्थ योजना कार्यक्रम अभी तैयार नहीं हुआ है और केवल चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष के लिये ही यह बनाया जा रहा है।

(ख) अक्तूबर, 1964 में हुए सिंचाई व बिजली सैमिनार में अक्तूबर, 1969 में पड़ने वाली महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी तक एक लाख ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवम्बर, 1965 में हुए राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में इस लक्ष्य की प्राप्ति का समर्थन किया गया था। उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार राज्य अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम विद्युतन लक्ष्यों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिये समिनार में सुझाए गए कई एक पग उठाएं जैसा कि राज्यों में सभी स्तरों पर संगठनात्मक ढांचे को दृढ़ करना, योजना संस्थाओं के क्रिया-कलापों और संबद्ध मामलों का समन्वय करने के विचार से केन्द्रीय स्तर पर ग्राम विद्युतन कक्ष का दृढ़ करना, और निर्माण आदि में मितव्ययिता लाने के लिये अन्य उपाय भी। बहुत से राज्यों ने उपर्युक्त सुझावों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी हुई है।

(ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे चौथी योजना के लिये ग्राम विद्युतन स्कीमों को बनाते समय कृषि, सिंचाई, विकास और आयोजन विभागों के साथ निकट सम्पर्क रखें और स्कीमें उनसे परामर्श करके तैयार करे, ताकि कार्यक्रमों का समन्वित विकास सुनिश्चित हो जाए। नवम्बर, 1965 में राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भी इस पहलू पर जोर दिया गया है।

तुंगभद्रा दाहिनी नहर

2352. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी फसल के लिये आन्ध्र प्रदेश के लिये तुंगभद्रा दाहिनी नहर से उपलब्ध फालतू पानी का अनुमान लगाने के बारे में मैसूर सरकार का केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो इस मतभद के क्या कारण बताये गये हैं;

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या दूसरी फसल के मौसम को ध्यान में रखते हुए तत्काल कोई कार्यवाही की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : कोई मतभेद नहीं था। प्रथम कार्य तालिका को भी सब के साथ परामर्श करके बनाया गया था। बाद में जल के अन्तः प्रवाह को ध्यान में रखते हुए मुख्य वाम नहर की मरम्मतों और जल के अन्तः प्रवाह क तब्दील किये गये कार्यक्रम के कारण तालिका का तब्दील करना आवश्यकता हो गया। तालिकाएं बना ली गई है किसी भी नदी प्रणाली में इस प्रकार का अन्तः प्रवाह अन्तर्निहित है।

विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम

2353. श्रीमती अकम्मा देवी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, मलेरिया और परिवार नियोजन कार्यक्रम मिले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख): जी हां। जिन क्षत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरा कर दिया गया है और वह देख-रेख अवस्था में पहुंच गया है, वहां प्रति 2,000 परिवारों अथवा 10,000 व्यक्तियों के पीछे एक पुरुष आधारिक स्वास्थ कार्यकर्त्ता और सहायक एक नर्स-धात्रि नियुक्त किय जा रहे हैं ताकि वे घर घर जायें, लोगों को छोटा परिवार रखने की प्रेरणा दें और मलेरिया के दुबारा होने पर भी निगरानी रखें। इस तरीके से परिवार नियोजन में अच्छे परिणामों की आशा की जाती है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को लोग भली प्रकार स्वीकार करेंगे और उनकी सलाह पर अधिक ध्यान देंगे।

हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन, दमदम

2354. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डा स्वास्थ संगठन, दमदम में काम करने वाले राजपत्रित पदाधिकारियों को पुनरीक्षित दलों के अनुसार सवारी भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) अराजपत्रित कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर सवारी भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर चाहे वे राजपत्रित हों अथवा अराजपत्रित, सवारी भत्ता देने के सम्बन्ध में एक जसे ही नियम लागू होते ह। चूंकि विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, दम दम में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी निर्धारित शत पूरी नहीं करता है इसलिए उनमें से किसी को भी सवारी भत्ता नहीं दिया गया है। तथापि अराजपत्रित सुपरवाइजरी फील्ड कर्मचारी, जो साइकिल भत्ता मिलने की शर्तें पूरी करते हैं, ऐसा भत्ता ले रहे हैं।

Cultivation of Opium

2355. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only those poppy growers whose average yield is first or second class are given *dadni* for cultivating opium;

(b) if so, whether Government are aware that there are certain farmers in Barabanki (U.P.) whose average yield was third class but who have been given *dadani* ; and

(c) if so, whether all the farmers with third class average have been given *dadani* or only a few were given and if so, the reasons for discrimination?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (c). Licences ('dadni') were given to the poppy cultivators in the order of priority depending upon the average yields tendered by them to the Government in the previous years. The area available for poppy cultivation during 1965-66 season was subdivided among the different poppy growing districts and in each of these the above priorities were followed. Only in respect of some of the high-yielding villages of Bara Banki District (U.P.) it was possible, keeping within the overall ceilings, to cover even farmers whose average yield was of the thrid category. These were, therefore, also licensed. In view, however, of the general reduction in acreage authorised for poppy cultivation this year, it has not been possible to go down to all the farmers falling in third category in the other areas of Bara Banki or in the other authorised poppy growing districts. However, in those villages where cultivators falling in third category were actually licensed, no discrimination was made between one grower and another.

कालीकट में रैन बसेरे

2356. श्री मुहम्मद कोया : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट शहर में अनुमानतः कितने व्यक्ति पटरियों पर वास करते हैं ;

(ख) उनके लिए कितने रैन बसेरे बनाये गये हैं ;

(ग) यदि किसी रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है; और

(घ) क्या केरल के किसी अन्य शहर में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) केरल सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा जैसे ही वह मिलगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) कालीकट में भारत सेवक समाज के द्वारा एक रन बसेरा चलाया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारत सेवक समाज के द्वारा निम्नांकित स्थानों पर भी रैन बसेरों की व्यवस्था है :

(1) त्रिवेन्द्रम ।

(2) एर्नाकुलम ।

(3) कोट्टयम ।

(4) अलेप्पि ।

राज्य सरकार के द्वारा गंदी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत कोट्टयम में एक रैन बसेरा बनाने की परियोजना स्वीकृत गयी है ।

श्रमजीवी महिलाओं के लिये मकान

2357. श्री मुहम्मद कोया : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गैर-सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थानों मे काम करने वाली महिलाओं की मकान सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी नहीं । सरकार केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । तथापि गर्ल्स होस्टल में जहां तक स्थान उपलब्ध हो सका, गैर-सरकारी कर्मचारियों को हमने स्थान आवंटित किया है ।

उत्तर भारत में ऊर्जा की मांग के बारे में सर्वेक्षण

2358. श्री रघुनाथ सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर भारत में ऊर्जा की मांग के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : योजना आयोग को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा "उत्तर भारत में ऊर्जा की मांग" के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है और हाल ही में प्रकाशित कर दिया गया है । इस प्रतिवेदन पर यथावधि में विचार किया जायेगा ।

जम्मू और काश्मीर में बिजली तैयार करना

2359. श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर में बिजली तैयार करने की एक योजना को हाल में स्वीकृति प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी धनराशी व्यय होने का अनुमान है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली परियोजनाओं से सम्बन्धित सलाहकार समिति ने अपर सिंध पन बिजली स्कीम चरण—, जिसकी अनुमित लागत 421.16 लाख रुपये (357.79 लाख रूपये उत्पादन के लिये और 63.37 लाख रुपये परिषण के लिये) है, को सिद्धान्त रूप से मान लिया है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

2360. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी कमी है ; और

(ग) इस को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां । परिवार नियोजन कार्यक्रम की अपेक्षित प्रगति के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ।

(ग) इस कमी की पूर्ति के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं । जा रहे हैं :

(1) और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे और मौजूदा केन्द्रों को और आगे है सुदृढ़ किया जा रहा है ।

(2) चिकित्सा छात्राओं को, जो उतनी अवधि तक परिवार नियोजन तथा प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत काम करने के लिए सहमत हो जाती है जितनी अवधि तक के लिये वे छात्रवृत्ति लें, 100 रुपये प्रतिमांस के हिसाब से प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियां देने की एक योजना प्रारम्भ कर दी गई है ।

(3) देहातों के प्रति चिकित्सा अधिकारियों को आकर्षित करने के लिये उनकी सेवा शर्तें उदाहरणार्थ जन स्वास्थ्य अथवा प्रैक्टिस न करने का भत्ता देना, रहने के लिये मकान की व्यवस्था करना आदि, अधिक उदार कर दी गई हैं ।

(4) सेवा निवृत्ति चिकित्सा अधिकारियों के सेवाकाल को उदारतापूर्वक बढ़ाना तथा उनकी पुनः नियुक्ति करना ।

(5) सहायक सर्जनों के पद पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा को 35 वर्ष और विशेषज्ञों के पदों के लिये 40 वर्ष करना ।

(6) स्थायी नियुक्ति, दक्षता अवरोध पार करने तथा ऊचें पदों पर और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये चुनाव के लिये देहातों में किसी कम से कम अवधि तक काम करने की शर्त को अनिवार्य शर्त बनाना ।

(7) स्थायी आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव देकर सरप्लस क्षेत्रों से डाक्टरों की भर्ती करना ।

(8) आरक्षित सीतों पर मनोनीत तथा छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के स्नातक परीक्षा पास करने के बाद एक निश्चित अवधि तक राज्य सरकार की सेवा करने का बाण्ड भारना पड़ता है ।

(9) मौजूदा मेडिकल कालेजों में जहां कहीं सम्भव हो और नये मेडिकल कालिज खोलकर दाखिलों की संख्या बढ़ाना ।

कलकत्ता में सालिसिटर की फर्म पर छापा

†2361. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 फरवरी, 1966 को भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कलकत्ता में एक सालिसिटर फर्म के कार्यालय की तलाशी ली ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या फर्म पर कोई मुकदमा चलाया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) : कुछ दस्तावेज तथा कुछ विदेशी मुद्रा पकड़ी गई है । पकडे गये दस्तावेजों की जांच की जा रही है । आगे कार्यवाही का प्रश्न जांच के परिणामों पर निर्भर होगा ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरी, पहाडगंज, नई दिल्ली का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

2362. **श्री काजरोलकर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की पहाड़गंज डिस्पैंसरी को क्वार्टर संख्या 13–17 ई, चित्र गुप्त रोड, नई दिल्ली में ले जाने का प्रस्ताव था, जिसे इसी काम के लिये जनवरी, 1965 में खाली करवाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो डिस्पैंसरी को इस के वर्तमान स्थान से हटाकर प्रस्तावित स्थान में न ले जाने के क्या कारण हैं, विशेषकर, जब कि इस के वर्तमान स्थान में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) इस औषधालय को वर्तमान स्थान से नये स्थान पर तब ही ले जाया जायेगा जब इन क्वार्टरों में एक औषधालय की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्धन और परिवर्तन कर दिए जायेंगे ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा डिस्पैंसरी पहाड़गंज को चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव

2363. **श्री काजरोलकर :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय को पहाड़गंज में उसके वर्तमान स्थान से नई दिल्ली की चित्रगुप्त रोड पर स्थानान्तरित करने के लिए चित्रगुप्त मार्ग, नई दिल्ली पर क्वार्टर नम्बर 13 से 17ई जनवरी, 1965 में खाली करा लिये गये थे ;

(ख) क्या ये क्वार्टर अब भी खाली पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण सरकार को किराये की कितनी हानि हुई ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :(क) दखलकारों से खाली कराने के बाद चित्रगुप्त रोड के क्वार्टर संख्या 13, 14, 16 तथा 17 ई, स्वास्थय सेवा महानिदेशालय को 20 फ़रवरी 1965 को सोप दिये गये तथा क्वार्टर संख्या 15 ई उन्हें 25 मई 1965 को सौंप दिया गया ।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा जब वह प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) स्थान किराया-मुक्त है।

Poppy Crop

2364. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ganri Shankar Kakkar:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the poppy crop in Mandsaur and Ratlam districts has been affected immensely as a result of the inadequate rains this year;

(b) whether it is also a fact that the water made available for this crop from the sources other than rain, was also very inadequate and was not supplied in time;

(c) whether it is also a fact that in case the cultivator fails to give the fixed average production of per bigha or per acre, his permit for poppy cultivation is not renewed; and

(d) if so, the steps taken to remove these difficulties?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The crop has been affected, to a certain extent, as a result of inadequate rains this year but the general condition of the crop is reported to be good.

(b) While it is correct that because of shortage of rains supply of water nas been inadequate, Central Government are not concerned with the matter. Cu tivators have to make their own arrangements for irrigating their fields.

(c) Yes, Sir.

(d) At the time of framing the licensing policy from yeai to year the Government also take into consideration factors such as natural calamities, including general fai lure of rains, during the previous year.

नैशनल राइफल एसोसिएशन को भूमि का दिया जाना

2365. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविलियन टार्गेट शूटिंग हेतु दिल्ली में राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र (रेंज) बनाने के लिये भारत की राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन को भूमि देने के बारे में अब तक की स्थिति क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : इस सम्बन्ध में स्थिति अतारांकित प्रश्न संख्या 2148 के उत्तर में 9 दिसम्बर 1965 को सभा पटल पर रखे नोट में पहले ही स्पष्ट कर दी गयी थी ।

इसके पश्चात् संस्था के उपसभापति ने तत्कालीन प्रधान मंत्री को यह अनुरोध करते हुए लिखा कि संस्था को रिज पर आवंटित की गयी भूमि को इस प्रयोजन के लिए उपयोग करने दिया जाये क्योंकि इसके लिए कोई इमारत नहीं बनाई जायेगी तथा ग्रीन बैल्ट का

उद्देश्य बना रहेगा। इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेज दिया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थाई समिति ने बताया है कि इस समय संस्था के पास अपरिज रोडएरिया में जो भूमि इस स्थान के लिए है वह "रीजनल पार्क" है, अतएव राइफल रेन्ज बनाने के लिए इस भूमि का उपयोग, मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि के उपयोग के विरुद्ध है। प्राधिकरण ने इसलिए सिफ़ारिश की है कि उस स्थान पर राइफल रेन्ज बनाने की अनुमति संस्था को न दी जाये।

माही नदी पर कादन बांध के समीपस्थ स्थान से गांवों का हटाया जाना

2366. **श्री रतन लाल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सीमा पर गुजरात राज्य में माही नदी पर कादना बांध से, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना के फलस्वरूप अनेक गावों के निवासियों को इन गांवों को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाना होगा; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान और गुजरात में इन गांवों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 3,86,905 एकड़।

(ख) तथा (ग) : जी, हां। ग्रामों की ठीक ठीक संख्या और उनके नामों का, विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद ही पता चलेगा।

दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां

2367. **श्री लखमू भवानी :**

श्री वाडीवा :

श्रीमती श्याम कुमारी देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कितनी चिट फन्ड कम्पनियां मद्रास चिट फन्ड अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक पंजीबद्ध नहीं हुई हैं;

(ख) अपंजीकृत चिट फन्डों के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या देय राशि का भुगतान न किये जाने पर ये अपंजीकृत चिट फन्ड कम्पनियां अपने सदस्यों को नोटिस जारी कर सकती है और न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा भी चला सकती हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) दिल्ली में लागू किये गये मद्रास चिट फन्ड अधिनियम, 1961 के अधीन चिट फण्ड कम्पनियों का पंजीबद्ध (रजिस्टर्ड) किया जाना आवश्यक नहीं है। 15 जुलाई, 1964 के बाद कम्पनियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा जारी की गयी चिटों से सम्बद्ध उप-विधियों का (बाइ-लाज) पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है, लेकिन चूंकि यह अधिनियम पिछली तारीख से लागू नहीं होता इसलिए उन चिटों पर, जो इस अधिनियम के लागू किये जाने के समय चल रही थीं, इसके उपबन्ध लागू नहीं होते और उनका पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है। चूंकी इन अपंजीबद्ध (अनरजिस्टर्ड) चिटों को किसी खास नाम से पुकारा या पहचाना नहीं जाता, इसलिए इन के नामों की सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है, लेकिन विश्वास है कि इस समय अपंजीबद्ध चिटों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।

(ख) जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों के बारे में जांच-पड़ताल की जाती है और अगर चिट चलाने वाले व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए दोषी जान पड़ते हैं जिसके लिए कानून के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है, तो उनके सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जाती है ।

(ग) अपंजीबद्ध चिट-करारों से सम्बन्ध रखने वाले संचालकों (फौरमैन) और विभिन्न अन्य व्यक्तियों के करार-सम्बन्धी दायित्व वैध बने रहेंगे और उन्हों लागू किया जा सकेगा बशर्ते कि ये करार कानून के किसी उपबन्ध का उल्लंघन न करते हों ।

आगरा में कोढ़ चिकित्सा केन्द्र

2368. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाड़ीवा :
श्रीमती श्याम कुमारी देवी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कोढ़ चिकित्सा केन्द्र, आगरा में काम आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक निर्माण-कार्य का 75 प्रतिशत भाग पूरा हुआ है ।

(ग) इस केन्द्र पर अनुमानतः 50 लाख रुपये का कुल खर्च होने की सम्भावना है ।

कोका कोला से लाभ प्राप्ति

2369. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाड़ीवा :
श्रीमती श्याम कुमारी देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोका कोला से प्राप्त होने वाले लाभ का कुछ भाग नियमित रूप से अमरीका को भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी राशि भेजी जाती है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कोका कोला को बोतलों में भरने से और उसकी बिक्री से जो लाभ होता है, वह विदेश नहीं भेजा जाता । लेकिन, बोतलों में भरने वाली कम्पनियों के हाथ बेचने के लिए तथा निर्यात के लिए भारत में कोका कोला के सार द्रव्य (कंसेंट्रेट्स) बनाने वाले अमेरिका के कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा लाभ की रकम संयुक्त राज्य अमेरिका भेजी जा रही है ।

(ख) प्रत्येक कम्पनी को कितना लाभ होता है, इसकी सूचना गोपनीय समझी जाती है और उसे बताना सार्वजनिक हित नहीं होगा । लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में जो रकमें बाहर भेजी जाती हैं, इस कम्पनी द्वारा किये जाने वाले निर्यातों से उससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है ।

(ग) भारत में जो विदेशी रकमें लगी हुई हैं, उनसे प्राप्त लाभ और लाभांशों को, भारतीय करों की अदायगी के बाद, बाहर भेजने पर कोई रोक टोक नहीं है ।

एम० एस० और एम० डी० की उपाधियां

2370. डा० श्रीनिवासन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नये विश्वविद्यालयों में चिकित्सा छात्रों को बिना किसी नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छः महीने की अवधि में एम० एस० और एम० डी० की उपाधियां मिल जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उन्हें मान्यता दी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सेवा में नियुक्ति, पदोन्नति तथा वरिष्ठता के मामलों में एम० एस० और एम० डी० उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को बराबर समझा जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार को विदित है, चिकित्सा स्नातकों को भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में बिना नियमित स्नातकोत्तर कोर्स किये छः महीने के भीतर एम० एस० एण्ड एम० डी० की डिग्रियां नहीं दी जाती ।

(ख), (ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय आपात बीमा योजना

2371. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आपात बीमा योजना से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के खातों में आपात जोखिम बीमा योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में तारीख 9-3-1966 तक दिखायी गयी कुल जमा रकम इस प्रकार है :

आपात जोखिम (माल) बीमा योजना . .	334.74 लाख रुपये
आपात जोखिम (कारखाना) बीमा योजना . . .	911.43 लाख रुपये

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्त व्यवस्था

2372. श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री लखमू भवानी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्त व्यवस्था करने के बारे में भूतपूर्व वित्त मंत्री ने सितम्बर, 1965 में मध्य प्रदेश से निर्वाचित संसद् सदस्यों से कोई बातचीत की थी;

(ख) क्या उन्होंने मध्य प्रदेश से निर्वाचित संसद् सदस्यों को सितम्बर, 1965 में कोई आश्वासन दिया था कि मध्य प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों में प्राथमिक तथा मिडिल

स्कूल खोलने की योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में तथा आगामी योजना अवधि में राज्य योजना के अतिरिक्त वित्त व्यवस्था करने के बारे में वित्त मंत्रालय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा;

(ग) क्या इस बीच मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) यह संकेत दिया गया था कि आदिम जाति क्षेत्रों के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से ऐसा किया जा सकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) योजना आयोग के परामर्श से इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

Protection of Nanera and Tamsabad Villages from Yamuna Floods

2373. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have taken any steps to save Nanera and Tamsabad villages on the banks of the Yamuna, which have been partly washed away by that river; and

(b) whether the Central Government also propose to take any action to remove the bend in the flow of the Yamuna in order to lessen the intensity of floods in that river at those places?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) & (b). A scheme for the protection of the villages against erosion and spilling, prepared by the Government of Punjab is under examination. Certain technical studies in this connection are being carried out.

अमरीकी सहायता

2374. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के विशेषज्ञों ने कहा है कि कृषि के लिए ऋण के रूप में दी गई अमरीकी सहायता का भारत के अपने पांवों पर खड़े होकर प्रगति करने के प्रयत्नों पर उतना प्रभाव नहीं हो सकता जितना कि मशीन निर्माण उद्योगों के लिए दी जाने वाली सहायता से होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय सहायता

2375. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के विकास के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता दिये जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ज्ञापन की मुख्य बातें क्या है; और

(घ) ज्ञापन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है । लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था ।

(ख), (ग) और (घ) : मुख्य बातें ये हैं (i) राज्य की आयोजना के लिए 1966–67 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ii) सूखा-पीड़ितों को राहत पहुंचाने पर होने वाले खर्च के लिए सहायता । यह फैसला किया गया है कि आयोजना के लिए कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी जा सकती लेकिन सूखा-पीडितों को राहत पहुंचाने के लिए और सहायता देने के प्रश्न पर अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विचार किया जायगा ।

पंजाब से दिल्ली को बिजली संभरण

2376. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को और अधिक बिजली देने के बारे मे में हाल में पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां । दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने दिल्ली को अधिक बिजली देने के लिये पंजाब सरकार से 25 फरवरी, 1966 को प्रार्थना की थी ।

(ख) पंजाब सरकार ने मान लिया है कि यदि फरवरी और मार्च, 1966 के महीनों में सप्लाई को औसतन 20 मैगावाट तक सीमित कर दिया जाए, तो अप्रैल, मई, जून, 1966 के महीनों के दौरान दिल्ली को अधिक बिजली दी जाएगी ।

पेय जल संभरण संबंधी वृहद योजना

2377. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सब नागरिकों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने के लिये एक वृहद योजना बनाई गई है और स्वीकार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में इस बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : ऐसी कोई वृहद् योजना तैयार नहीं की गई है ।

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

उपाध्यक्ष महोदय : 16 मार्च 1966 को श्री राम सेवक यादव ने सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी जिसका सम्बन्ध संसद् भवन नई दिल्ली के द्वारा संख्या, 1 के बाहर डा० राम मनोहर लोहिया की टैक्सी को एक पुलिस के सिपाही द्वारा रोके जाने से था ताकि प्रधान मंत्री की गाड़ी के लिये रास्ता साफ हो जावे ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

मैं ने इसकी जांच की है और लोक सभा के रक्षा प्रहरी अधिकारी ने बताया है कि डा० लोहिया की गाड़ी को इस लिये रोका गया क्योंकि पुलिस के सिपाई ने दूसरी ओर के यातायात को गुज़रने के लिये संकेत कह दिया था । साथ ही दूर्घटना से उपाय के लिये भी ऐसा किया । ज्युही प्रधान मंत्री की गाड़ी निकली, डा० साहब की गाड़ी को गुज़र जाने दिया गया । इस लिये विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : It is completely wrong. Both the vehicles were going in the same direction. Now the question arises about the use of road. According to articles 14 and 15 of the Constitution there has to be equality for law about the use of wells, tanks, bathing ghats, roads etc. So there has been violation of it. The Prime Minister cannot take advantage of the special provision about children and women, because here she is a member of Parliament.

If Parliament reflects the sovereignty of India, then it should be equal for all.

Another point is that all Government servants including constables on duty are Government and their respective duties are even higher than the ministers. Hence they should not be told that they were just following the orders of their superiors. It would have been better if the Prime Minister herself would have clarified it.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपूर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व मुझे भी इसी प्रकार की आपत्ति का सामना करना पड़ा । मैं ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू को इसके बारे में लिखा और उन्होंने मुझे उत्तर भेजा और इस पर खेद प्रकट किया ।

यह कार्यवाही आदेशों के अनुसार होती है चाहे वह आदेश जबानी हो अथवा लिखित । इस लिये सभा को इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम सब इस हक में हैं कि यात्रियों की सुरक्षा का इन्तज़ाम हो तथा उन्हें मान दिया जावे । परन्तु यह कहां की बात है कि औरों की गाड़ियों को रोक दिया जावे ।

मैं इस समय की प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार के जो विशेष इन्तजाम किये जाते हैं उन्हें समाप्त कर दें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) हम सब को इस बात का पता है कि लोगों को सुरक्षा की आवश्यता है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सुरक्षा पुलिस वाले दूसरों के साथ अशिष्ट व्यवहार करें । कलकत्ता जैसे नगरों में तो जब कोई सम्मानित व्यक्ति आता है तो दो तीन घंटे पहले ही यातायात रुक जाता है ।

इस लिये सरकार को चाहिये कि अध्यक्ष महोदय के साथ बैठकर इस पर गंभीरता से विचार करे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला डा० सिंघवी ने उठाया है । यह कहां कि बात है कि एक मंत्री की गाड़ी को रस्ता देते समय एक संसद् सदस्य की गाड़ी को रोक लिया जावे । प्रश्न तो पुलिस वालों तथा अधिकारियों के रवैया का है । यह संसद् सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते है । केन्द्र में तो फिर भी यह कम है । राज्यों में तो बहुत ही अधिक है । इस लिये गृह-कार्य मंत्रालय से सब अधिकारियों को यह निदेश भेजना चाहिये कि संसद् सदस्य का अपमान इस देश की प्रभुसत्ता का अपमान है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं डा० सिंघवी के साथ सहमत हूं । प्रधान मंत्री की सुरक्षा हो ठीक है परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि संसद् सदस्यों का अपमान किया जावे । एक बार मेर साथी ऐसी ही घटना घडी ।

मैं आप से प्रार्थना करूगां कि वह पुलिस वालों को आदेश दे दें कि किसी संसद सदस्य गाड़ी न रोकी जावे ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : मैं समझता हूं कि एक स्वतन्त्र देश में किसी ससंद सदस्य की संसद भवन को आती गाड़ी को रोकना लोकतन्त्रता के विरुध्द है । मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूगां कि वह इस बुरी परम्परा को छोड़ दे । यहां हम सब बराबर हैं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सभा के सामने बहुत ही सीमित सा प्रश्न का उसका संबंध विशेषाधिकार के प्रश्न से था ।

डा० लोहिया ने तीन प्रश्न उठाये हैं । पहला यह कि सड़क पर यातायात का अधिकार सब के लिये है । दूसरा यह कि एक संसद सदस्य और दूसरे संसद सदस्य के बीच भद नहीं करना चाहिये । तीसरी बात यह कि पुलिस वाले जो अपने काम पर खड़े होते है उन्हें उनके कर्तव्य के बारे में जताना चाहिये ।

हम सब इस बात पर सहमत हैं कि सड़क सब के लिये है । जहां तक तीसरी बात का संबंध है, पुलिस वालों का यह कर्तव्य है कि वह दुर्घटना को रोकें । यदि गरीब पुलिस के सिपाई को यह पता होता कि वह गाड़ी श्री हेम बरूआ की है तो वह बिल्कुल नहीं रोकते । इसी लिये उन्हें पता नहीं होता कि कौन जा रहा है ।

यातायात के नियम तो सब के लिये एक जैसे हैं । इसका उदाहरण सड़क पर लाल बत्तियां है जिसे देखकर सब रुक जाते हैं और कोई मंत्री हो अथवा न हो । मेरे विचार में सब इस से सहमत हैं ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे व्यक्तिगत रूप में तो कुछ नहीं, परन्तु मेरा इतना कहना जरूर है कि प्रधान मंत्री को विशिष्ट स्थिति का ध्यान रखना ही होगा । यह ठिक है कि कई ऐसे देश है जहां कि प्रधान मंत्री के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं होता । परन्तु अधिकांश देश ऐसे ही हैं जहां ऐसी विशेष व्यवस्था होती है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : If this is done in England, the person concerned will not remain Prime Minister the next day.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अमरीका में यह है क्योंकि वहां राष्ट्रपति के साथ मैंने यात्रा की है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Now she wants to be the President.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रधान मंत्री के लिए यातायात के बारे में विशेष व्यवस्था तो करनी ही होगी परन्तु इस बात का पूरा ख्याल रखा जायेगा किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए । मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय सदस्य को दो घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । यह व्यवस्था केवल प्रधान मंत्री के लिए है अन्य मंत्रियों के लिए नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैने सारी बात सुन ली है । भारत में सब सड़के खुली है और सभी माननीय सदस्यों का स्तर एक जैसा है । परन्तु इस पर भी यातायात पुलिस वालों को अपने कर्तव्य का पालन करना होता है । प्रधान मंत्री को कुछ विशिष्टता तो देनी ही होगी । कुछ प्राधिकार का प्रश्न है, अतः मैं पूर्व निर्णय को कायम रखता हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether you would believe the traffic police or the honourable member of the House, when both make different statements. I feel that you can do justice like this.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Prime Minister says that the Prime Minister has a special Statius. I say the person who believes in this principle should be rejected. In Lok Sabha everybody should be equal.

विधेयक पर राय
OPINION ON BILL

श्री अ० सिं० सहगल (जंगजीर) : मैं, भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरूद्वारा के सुप्रबन्ध का तथा तत्सम्बन्धी मामलों की जांच करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक जिसे 3 सितम्बर, 1965 को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, एक पत्र संख्या सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :-

"लोक सभा द्वारा 10 मार्च, 1966 को पास किये गये आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1966 से राज्य सभा अपनी 15 मार्च, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।"

वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के आदर्श फार्मों सम्बन्धी योजना के बारे में याचिका
PETITION RE-SCHEME FOR MODEL FARMS FOR SCIENTIFIC AGRICULTURE

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैं वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के आदर्श फार्मों सम्बन्धी योजना के बारे में एक याचिका दाता द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

औचित्य प्रश्न के बारे में
RE-POINT OF ORDER

Shri Madhu Limaye : Kindly listen to my point of order.

Shri Ram Sewak Yadav : As a protest against your decision, I walk out.

(इसके बाद श्री राम सेवग यादव बहिगमन कर गये)

(Shri Ram Sawak Yadav then left the house)

Deputy Speaker : There is no point of order in it.

Shri Madhu Limaye : I also walk out as a protest against your decision.

(इसके बाद श्री मधु लिमये बहिगमन कर गये)

(Shri Madhu Limaye then left the House)

Shri Kishan Pattnayak : I also walk out as a protest.

(इसके बाद श्री किशन पटनायक बहिगमन कर गये)

(Shri Kishan Pattnayak then left the House)

श्री हेम बरुआ : मैंने पानीपत की दुर्घटना के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षक प्रस्ताव दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी, यह पंजाब सरकार का मामला है और इस पर पंजाब विधान सभा में चर्चा हो चुकी हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : पानीपत में तीन कांग्रेसियों को जिन्दा जला दिया गया है हम इस बारे में जानकारी चाहते हैं परन्तु सरकार कुछ बता ही नहीं रही । हमारा सरकार को परेशान करने का कोई इरादा नहीं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमें इस दुर्घटना पर खेद है, और इस बारे बारे में ध्यान आकर्षण नोटिस आज 4.30 बज अथवा 5 बजे ले लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार का वक्तव्य 4.30 बजे सभा के समक्ष आ जायेगा ।

उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढाया जाना) विधेयक
ORISSA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION BILL)

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान उड़ीसा विधान सभा की कार्यावधि के बढ़ाये जाने सम्बन्धी विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाय" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर): संविधान के अनुच्छेद 172(1) के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल की वतमान अवधि आपात के कारण है । इन चुनावों को सामान्य चुनावों तक नहीं रोका जाना चाहिए । मैं इस विधेयक के पुर:स्थापति करने का विरोध करता हूं ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : इस विधेयक के उद्देश्यों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि इसे क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है । इस विधेयक के परन्तुक से स्पष्ट होता है कि उड़ीसा में तो आपात काल समाप्ति के बाद भी वहां निर्वाचन छ मास तक नहीं होंगे । इस का कारण साफ है कि वहां दो मुख्य मंत्रियों ने गलत कार्य किया और इस लिये इन्हें डर है कि कहीं निर्वाचन में हार न जावें । इन्हें यह डर है कि उड़ीसा में स्वतन्त्र दल का राज्य हो जावेगा और यह सारे देश के लिये उदाहरण बन जावेगा । हम इस पर राय डालते समय अपने दल की शक्ति दिखावेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : हम इसका विरोध करते हैं । पांच वर्ष पूर्व जब उड़ीसा में निर्वाचन होने वाले थे तो हम विरोधी दलों के नेता स्वर्गीय श्री नेहरू से मिले और कहा कि अभी वहां निर्वाचन न होने चाहियें । परन्तु बाद में कांग्रेस दल ने उन पर जोर दिया और यह देख कर के कि उस समय सारे विरोधी दल आपस में फूट में थे, निर्वाचनों को पीछे हटाया नहीं गया । ऐसे ही अब इन्हें यह डर है कि यदि अगस्त 1966 में निर्वाचन हुए तो कांग्रस दल हार जावगा । इस प्रकार के कार्य संसदीय लोकतन्त्र की प्रणाली के विरुद्ध हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय नियम संख्या 72 के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि अपनी इच्छानुसार करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप अपनी इच्छानुसार करें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हमें इस विधान पर संदेह होने लगा है। कारण यह है कि पिछले दो मुख्य मंत्रियों ने अपने शासनकाल में अच्छा कार्य नहीं किया। वह रुपया बनाने पर लग गये।

विधान में तो कोई विशेष कारण दिये नहीं गये कि इसकी अवधि को क्यों तथा कितने दिन के लिये बढ़ाया जा रहा है। इस लिये हम सब का विचार यह है कि यह जो हो रहा है, ठीक नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय आपातकाल स्थिति को यह सरकार अपने लाभ के लिये प्रयोग कर रही है। मुझे यह सुन कर दुःख हुआ कि पीछे कलकत्ते में प्रधान मंत्री ने कहा था कि बंगाल के गड़बड़ के कारण सरकार को आपातकाल को समाप्त करने के प्रश्न पर अपने विचारों को दोहराना होगा।

इंगलैंड में हिटलर के साथ लड़ाई समाप्त हुए अभी तीन सप्ताह ही हुए थे कि वहां सामान्य चुनाव हो गये। यहां तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध भी समाप्त हो गया है और उसमें हम सफल भी हो गये है परन्तु अभी तक उप-चुनाव नहीं हुए। इस कारण उड़ीसा में चुनावों को टालना इस सरकार के लिये बहुत अपमानजनक होगा। बेईमान मंत्रियों के विरुद्ध जनता को अपनी राय प्रकट करने का अवसर देना चाहिये।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : In the last five years there have been five Chief Ministers in Orissa. That shows the instability in the government there. There should be new assembly in Orissa after the new elections.

विविध मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मुझे इस एतराज में कोई तथ्य नहीं दिखाई देता कानूनी तौर पर इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि कोई आपत्ति है तो वह तब भी आ सकती है जब विधेयक विचाराधीन हो।

सरकार तथा संसद को पता है कि उड़ीसा की विधान सभा का समय शीघ्र समाप्त होने वाला है (संविधान के अनुसार वहां विधान मंडल होना ही चाहिये। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्तमान उड़ीसा विधान सभा के कार्यविधि के बढ़ाये जाने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाय"।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में 97; विपक्ष में 38

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted*

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सामान्य आयव्ययक, 1966-67 सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET, 1966-67 GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri Virbhadra Singh (Mahasu) : Mr. Deputy Speaker our country is passing through very difficulties. Due to shortage of foreign exchange we are face to face with many troubles.

I am happy that Expenditure Tax has been removed. It was a tax for which we got very little. But I am surprised that on Khandsari and Diesel oil there has been placed a duty. It will not help agriculturists as diesel oil is used in tractors.

Expenditure on defence is reasonable. If there is still more need of it that too should be given.

We should try to be friend nations. But so far as chair is cancerned, it is folding a strange policy and has become the greatest centre of impenalise with Pakistan although that country has not responded favourably to our peace efforts, yet we should continue striving to that end.

[श्री सोनवने पीठासीन हुए
MR. SONAWANE *in the Chair*]

Ours is one of the most taxed countries of the world. Still there is rise in taxes. There is still extravagance all around.

On administration our expenditure is mounting year after year. There is need to bring it down. We should device better methods of tax realisation. At the same time we should find out new sources of income.

There should be no regional imbalance. But it is not so. Areas will Haryana and eastern U. P. as well as Himachal Pradesh are those which were neglected. In Himachal Pradesh there does not exist even a small factory. There is dearth of capital there. Others are exploiting the resources of Himachal Pradesh. I want the Government of India to look into the demands and rights of Himachal Pradesh. I welcome the decision of Congress Working Comittee above formation of Punjabi Suba. Decision should be taken about formation. of Haryana I also want merger of certain areas e. g. Kangra Kulu, Lalaul, Spiti, and to Simla Himachal Pradesh.

श्रीमती मैमूना सुल्तान (भोपाल) : सब से पूर्व तो मैं विरोधी दल के नेताओं का उल्लेख करूंगी जो इस बजट पर बोल चुके हैं। श्री मसानी एक दिशा में खेंच रहे थे तो श्री मुकर्जी दूसरी दिशा में। यह दोनों नेता आपस में एक दूसरे से खूब भिडे।

श्री मसानी को एक बड़ी आपत्ति यह है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही। ऐसी ही बात श्री रंगा ने भी कही। वह कहते हैं कि यदि उनकी बात मान ली जाती तो यह कोई मुद्रा स्फीति नहीं होती, कोई मूल्य नहीं बढ़ते आदि। वास्तव में उनकी बात के मानने पर अमीर तो अमीर होते और गरीब, गरीब होते। परन्तु श्री मुकर्जी की बात में तो भाव ही था। वह कहते हैं कि सरकार ने बड़े बड़े धनी लोगों के सामने रुपया लुटा दिया। उन्होंने वही बात कही है जो साम्यवादी नेता सारी दुनिया में कहते हैं।

पाकिस्तान की लड़ाई से यह सिद्ध हो गया है कि हमारा एक बड़ा शक्तिशाली देश है। परन्तु हमें सदा अपने ही आदमियों से खतरा हुआ है।

मैं यह नहीं कहता कि सरकार में कोई दोष नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि जनता को खाना दे तथा सुरक्षा दे। परन्तु साथ ही विरोधी दलों का भी तो कर्तव्य है।

यह कहा है कि बजट में उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है। परन्तु श्री मसानी के अनुसार यह निराशा उत्पन्न करने वाला बजट है। मैं तो इसे यथाथवादी तथा

[श्रीमती मैमूना सुल्तान]

ईमानदार बजट कहूं गी । परन्तु वित्त मंत्री ने समाजवाद के साथ वही व्यवहार किया है जो वौल्टायर ने भगवान के साथ किया था । इस लिये इस बजट को समाजवाद की ओर भी अच्छा होना चाहिये ।

खाद्य मंत्री ने कहा था कि समाजवाद बच्चों से आरंभ होता है । परन्तु बजट में बच्चों के लिये कोई आराम नहीं पहुंचाया । इस लिये हमारे कहने और हमारे करने में सदा बड़ा अन्तर रहा है । यह दूर होना चाहिये ।

साधारण व्यक्ति को सोचना चाहिये उसके साथ बजट में अच्छा व्यवहार हुआ है । उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हुआ है । वह तो करों के बोझ तले चीखें मार रहा है ।

उनके पास बहुत ही कम खुराक है । जीवन की अन्य सुविधायें भी उनके पास नहीं है । सामान्य व्यक्ति का अस्तित्व बहुत ही कठिन हो रहा है । अतः सामान्य जीवन पर प्रभाव डालने वाले करों का मैं विरोध करती हूं । चीनी और खांडसारी पर लगे करों का मैं विरोध करती हूं । चीनी पर कर लगाना छोटे छोटे बच्चों से अन्याय करना है जो कि सब से अधिक चीनी का प्रयोग करते हैं ।

Shri P. L. Barupal (Gangatrapur) : This is an ordinary Budget. It is not bringing us near Socialism. Our Finance Minister should have presented a socialistic budget. Let me state that I am representing an area which is on the border of Pakistan. Pakistan even now is keeping army on the Rajasthan border. I am of the opinion that Government should not trust the bonafides of Pakistan. Our defence efforts should not relax. It is very clear that Pakistan is not following the Tashkent spirit. Pakistan is concentrating her troops every where on the Indian borders.

How much food grains we require, there are no accurate figures in that connection. I am of the opinion that the official statistics of food are not reliable. And this is the main reason that this food problem is not being tackled. There are difficulties and difficulties in the way of its solution. The trouble is that no scientific method is followed in the collection of the data and the verdict of the Patwari is taken as final. The Patwari's verdict is taken for granted.

If we really want to solve the food problem we must pay attention to the vast land being uncultivated. I am of the opinion that if the last land lying uncultivated is distributed among the farmers and the proper irrigation facilities are provided, our food problem can be solved without any difficultv. As far as Rajasthan is concerned it had to suffer a great deal because of the canal water dispute. The Agreement with Pakistan on this matter under which the supply of water have been cut down has gone against our national interest. This has very badly effected in lowering of food production. Those who have been affected by this should be given sufficient tubewell facilities, so that they may not have any difficulties in the irrigation matters. Arrangements should also be made to give cheap seed and implements to the farmers.

In order to bring changes in our social system we should bring about mental revolution. This is the only way to bringing Socialism and establishing Socialistic Pattern of Society. For this aim in view lectures and talks will be of no avail. India is the country of 48 crores of people. No section of the Indian Society should be allowed to be weak. The Finance Minister should give ample money for education of backward classes in Rajasthan. There are nearly 10 million beggars in the country whose contribution to the national effort is practically nil. They may be made bound to work for various developmental activities.

I may also state that our jawans of the R.A.P. have been doing very laudable work. Today they are doing a lot in the Police Posts at the border. They are very bravely protecting the borders of Rajasthan under very strenuous conditions.

More attention should be given to these Jawans. They should be provided with more facilities and their families should be very carefully looked after. I shall strongly urge upon the Finance Minister to solve the problems of these people, therein lies the protection of our Rajasthan border.

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : देश में सूखा पड़ रहा है कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन शोचनीय अवस्था में है, देश की अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है, ऐसे हालत में वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ उसका प्रभाव भी हमारी अर्थव्यवस्था पर है। इन सब हालात को देखते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि 95 करोड़ रुपये का जो व्यय प्रशासन पर बढ़ाया गया है वह ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा और सीमा पुलिस पर जो खर्च किया गया है वह भी बहुत ज्यादा है। गत बार यह कहा गया था कि इस दिशा में 150 करोड़ रुपय की कटौती की जायेगी। मैं यह महसूस करता हूं कि प्रशासन के खर्च को कम करने और उसकी उपयोगिता को अधिक दक्षता से चलाने के प्रयास किये जायेंगे। वैसे मैं यह महसूस करता हूं कि प्रशासन के कामों में अनावश्यक तौर पर देरी होती है और कई बार जिस उद्देश्य के लिए प्रशासन का सहारा लिया जाता है वह ही समाप्त हो जाता है।

छोटी कारों के उत्पादन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि बहुत से मामलों में हमारे देश में कारों के उत्पादन की लागत दूसरे देशों की तुलना में तीन अथवा चार गुणा अधिक है। इसलिए यह बड़ा ज़रूरी है कि छोटी और सस्ती कारों के उपलब्ध किये जाने के बारे में कुछ किया जाय। इसके अतिरिक्त कार खरीदने के लिए लोगों को जो काफी समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है वह भी हटनी चाहिए। यह बात कोई बहुत अच्छी नहीं।

हमारे देश में खाद्यानों की कमी हो रही है और हम दूसरे देशों से भिक्षा मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। किसी भी देश के लिए यह अच्छी बात नहीं है। हमें यह प्रयास करना चाहिये कि हमारे देश में ही उत्पादन बढ़े। हमें छोटे किसानों को सुविधायें देनी चाहियें। उन्हें काफी ऋण देने चाहियें ताकि वे अपना काम सुविधा पूर्वक कर सकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छो किसानों को ऋण 25–30 प्रतिशत व्याज पर मिलता है। इस बुराई को दूर किया जाना चाहिये। यदि छोटे किसानों को प्रर्याप्त ऋण की सुविधायें नहीं मिलेंगी तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

हमारे यहां उर्वरक के अधिक कारखाने होने चाहियें। उर्वरक के कारखानों के लिये अधिक लाइसेंस दिये जाने चाहिये। चाहे ये कारखाने सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में। किसानों को उर्वरक समय पर तथा उचित मूल्य पर दिया जाना चाहिये। यह किसानों को उत्पादन की लागत पर दिया जाना चाहिये। हमारे यहां अधिक ट्रैक्टर होने चाहिये और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक किसान के पास एक ट्रैक्टर हो ताकि वह अपनी खेती में उत्पादन अधिक कर सके। हमें फालतू पुर्जे मंगवाने का यत्न करना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह पुर्ज उन किसानों को दिये जायें जिनके ट्रक्टर पुर्जों के अभाव के कारण बन्द पड़े हैं।

मुझे यह भी महसूस हुआ है कि समाहार मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्यों में बहुत बड़ा अन्तर है। इसे बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकती। मेरा निवेदन है कि इस बारे में सुधार किया जाना चाहिये। राज्यों को 50 प्रतिशत से भी ऊपर मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हल्के डीजल तेल पर कोई कर नहीं होना चाहिये। हल्का डीजल तेल किसानो के लिये आवश्यक है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित दामो पर डीजल तेल दिया जाना चाहिये। अब समय आ गया है कि हम चिनी पर स नियंत्रण हटा लें जस सिमेंट तथा अन्य वस्तुओं पर नियंत्रण हटाया गया है। हमें किसानों को उस अवधि के लिये बिजली के लिए भुगतान करने के लिये नहीं कहना चाहिये जब वे उसका उपयोग नहीं कर रहे होते हैं।

[श्री मा० ल० जाधव]

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपर गोदावरी करन्जबन परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये और महाराष्ट्र में अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें जिससे अधिक भूमि में खेती की जा सके और अधिक उत्पादन हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को अधिक छात्रवृत्तियां और तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। सरकारी सेवाओं में भी ग्रामीण जनता को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। मेरा आग्रह है कि वित्त मंत्री को ग्रामीण जनता से न्याय करना चाहिए।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand) : We very much realize the difficulties of our Finance Minister. For some years to come I think every Finance Minister who so ever he may be will be critisized. There is a shortage of food grain and other things in this country. It will take sometime and lot of Labour, before it is alright. We shall have to construct dams and formulate some irrigation plans, this is a fact that in spite of difficulties and differences of religion and language the country has advanced further on the path of progress, If we pay a visit to the big projects we will come to know about the definate progress of the Country. Our problem is that we dont come forward to do hard labour. We have developed the habit of talking more and working less. We should look at every project from a national point of view and narrow Communal and linguistic consideration should have no weight.

This talk of socialistic pattern of Society is also very strange. We are sometimes unable to decide what type of socialism we should adopt. I think we should concentrate on humanism. Let me also urge that the funds of the L.I.C. should be utilised for the uplift of rural areas and should also take to crop Insurance. This is very essential for the welfare of the rural people.

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

One thing should be understood that unless and until the condition of the down-trodden is improved there is no question of the country going towards progress. Poor people should be given relief in the taxes and rich classes should be taxed. And the money that will be received like this should be spent for raising the standard of the poor and better the lot of down-trodden. I had the occasion to go to Jagdalpur at Bastar. I found even in this enlightened age, people living in savage conditions. They have to put up hard labour in order to earn both ends meet. Their poor voice is not heard here. In order to help these people both the party in power and the oppositions should cooperate and help these people to improve their lot.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : श्री शचीन्द्र चौधरी जिस विकट परिस्थिति में वित्त मंत्री बने हैं वसी परिस्थिति किसी भी वित्त मंत्री के सामने नहीं आई। और जिस असाधारण हालात में उन्होंने बजट का निर्माण किया है वह बहुत ही कमाल की बात है। माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार से इसकी आलोचना की है और इसकी कमियां बताने का प्रयास किया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारी समस्यायें हैं और उन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। परन्तु हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में समस्याओं को हल करने के लिए केवल सरकार की ही जरुरत नहीं होती प्रत्युत उसके लिए लोगों का सहयोग भी बड़ा जरूरी होता है। दोनों को एक साथ सहयोग से काम करना होता है। इसी दृष्टि से मैं बजट पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

खाद्यान्नों की कमी, कीमतों का बढ़ना, लोक तंत्रीय समाजवाद, सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, गरीब और अमीर का भद। मैं उन सब बातों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं परन्तु समय न होने के कारण सीधे बजट की ही बात करता हुं। मैं वित्त मंत्री को

इस बात के लिये मुबारक बाद देता हूं कि उन्होंने छुट की सीमा 3000 से बढ़ा कर 3500 रुपये कर दी है। मेरे विचार में इसकी सीमा 6000 कर दी जानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिये कि आजकल 500 रुपये मासिक से कुछ नहीं बनता । 6000 से 10000 तक की आय के लोगों को बचतों में रुपया लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे अन्ततोगत्वा देश के साधनों को इकट्ठा करने का श्रेय सरकार को भी मिलेगा । इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों को भी कराधान के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए जिसे कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करों से मुक्त रखा हुआ है। विशेष कर पहाड़ी क्षेत्र जिनके विकास के लिए सरकार ने लाखों खर्च कर दिय हैं और जहां के लोग काफी समृद्ध हो गये हैं। इससे सरकार को काफी लाभ होने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि चाय उद्योग के विकास के लिए यह जरूरी है कि निर्यात की जाने वाली चाय पर लिया जाने वाला उत्पादन शुल्क वापिस किया जाना चाहिए। इससे सरकार को अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा। अपने क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुझे यह कहना है कि आसाम इस समय ऐसा राज्य है जो कि विदेशी मुद्रा कमाता है। यह खेद का विषय है कि वहां पर कोई भी, पटसन, कपास का कागज का कारखाना नहीं है। उद्योग की दृष्टि से यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। लोगों में बहुत ही असन्तोष पाया जाता है। यदि स्थिति को सुधारा नहीं गया तो हो सकता है कि यह काबू से बाहर हो जाय। अतः मेरा यह निवेदन है कि लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : देश की वर्तमान स्थिति को सामने रखकर ही हमें इस बजट को देखना चाहिए। 15 अथवा 18 वर्ष एक राष्ट्र के जीवन में बहुत लम्बा समय नहीं है। मेरा मत यह है कि भारत ने गत 18 वर्षों में जितनी प्रगति की है वह इस अवधि में किसी भी अन्य देश द्वारा की गयी प्रगति के मुकाबले में अधिक है। मेरे विचार में वित्त मंत्री ने देश की वर्तमान स्थिति को समझ लिया है परन्तु उन्होंने सिद्धान्तों को नहीं अपनाया है। उन्होंने एक युक्तिसंगत बजट पेश किया है।

मैं इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री को प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति पर कर के बोझ के प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। जिन राज्यों को कर इतने बढ़ गये हैं कि और कर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं। उन राज्यों को केन्द्रीय सरकार को अनुदान और ऋण देकर सहायता करनी चाहिए।

प्रादेशिक सन्तुलन भी स्थापित किया जाना चाहिए। यद्यपि पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार की नीति पर अमल करने की घोषणा की गयी थी परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध यह है कि धन राशि की अलाटमैन्ट करते समय वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

कीमतें चढ़ रही है। बिना किसी अनुपात के उनमें वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें इस पर विचार करना चाहिए। महंगाई भत्ता बढ़ाते जाने से मामला नहीं सुलझगा। कीमतें कम करने का कोई स्थायी हल निकालना चाहिए। देश में गरीब और अमीर की विषमता भी बराबर बढ़ रही है। समाजवाद हमारा लक्ष्य है तो हमें देश में उत्पादन तो बढ़ाना ही होगा। देश की समृद्धि में वृद्धि करनी होगी। गत 18 वर्षों में देश की हालत बहुत खराब हो गयी है। देश के धन और उत्पादन को बढ़ाना होगा। धन कुछ गिने चुने हाथों में ही केन्द्रित नहीं होना चाहिए। धन का वितरण समान रुपसे होना चाहिए। यही समाजवाद का रास्ता है। उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला यह बजट है और कृषि के लिए काफी राशि स्वीकृत की गयी है।

विदेशी सहायता प्राप्त करना कोई नई बात नहीं है। यदि सीमेंट की भांति अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी पर से भी कन्ट्रोल हटा दिया जाय तो ठीक होगा।

[श्री मणियंगाडन]

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि केरल में तापीय बिजली केन्द्र स्थापित करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा मंजूर की जाये, नहीं तो सभी क्षेत्रों जैसे कृषि और उद्योग आदि में मुश्किल होगी।

Shri Sivamurthi Swami (Koppal) : I am shocked to know this Budget. I feel as to how a Government which claims to establish a welfare state and make up the food deficiency, can depend on such Budget. I want to draw the attention of the House to the development expenditure. It includes expenditure on social and development services. I have calculated the expenditure on these. It comes to about 9.6 per cent. It is not adequate. I would like the Hon. Minister of Finance to clarify this aspect of the Budget.

Our new Prime Minister is emphasising every day that we should become self-sufficient in the matter of agricultural production. But when I see this Budget I find that only 6 per cent of it has been allocated for this item, which includes rural development, animal husbandry, cooperation, community development, and irrigation. About 80 per cent people of our country are farmers. You can well imagine the progress we can make with this meagre allocation. I feel Government should change its attitude towards agriculture. This Budget is neither a democratic budget nor a socialistic or welfare budget. If you want to establish a welfare state, at least 50 per cent of the Budget should be for the development of agriculture.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Sir, it is a very disappointing Budget. There is no provision in it for the welfare of farmers, who are the back bone of our country. Agriculture should be given top priority. The imported fertilizer will not be of any use unless adequate supply of irrigation water is arranged. Sitamarhi sub-division of Bihar has not got any irrigation facilities. This area is very important from defence point of view and it should be developed.

While preparing Budget it should be seen that no burden is put on poor people. Duty should not be increased in the case of sugar and diseel oil etc.

After 18 years of independence there is no improvement in the condition of people of North Bihar. This area is still very backward. No industries have been set up there.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

There is no big Government factory in this area. The people of Bihar do not get enough opportunity for employment. The Central Government has been neglecting this area. It is vary improper. The land of that area can become very fertile, if necessary inputs are provided. I urge the Central Government to pay proper attention to the uplift and development of this area. There should not be any disparity between the salaries of Central Government employees and State Government employees. Government should not take loans from foreign countries. Its repayment will become a big problem.

The common man in the country has to face many difficulties. There has not been any improvement in his lot since the independence. The unemployment has become more and more acute. Government should pay proper care to this. The banks should be nationalised and vigorous action should be taken to unearth black money. The rural areas should not be negleted in the matter of development.

We should make atom bomb for the protection of our country. Government has reduced the money for the development of backward areas this year. It is not good. Government should pay proper care to the development of North Bihar area. More roads should be constructed in that area. It is necessary from defence point of view.

श्री बासप्पा (तिपतुर) : मैं उन परियोजनाओं के बारे में ही बोलूंगा जोकि मैसूर राज्य तथा भारत के लिये बहुत महत्व रखती है। अपर कृष्णा परियोजना के पूरे हो जाने पर 4 या 5 लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होने लगेंग और इस से गुलबरगा, बीजापुर और रायचूर जिलों को बहुत लाभ होगा। इस परियोजना पर कुल 120 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मैसूर जैसे एक छोट राज्य के लिये यह खर्च सहन करना बहुत कठिन है। इसलिये मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस के लिये सहायता प्रदान करें। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की बहुत सहायता की है।

मुझे पता चला है कि सिचाई मंत्रालय ने 9 परियोजनाओं के बारे में सिफारिश की है कि उनको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और अपर कृष्णा परियोजना भी उनमें शामिल है। अब सरकार को यह सिफारिश स्वीकार कर लेनी चाहिये। या राज्य सरकार को अपेक्षित सहायता देनी चाहिये। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है।

मैसूर राज्य में कच्चे लोहे के बहुत भंडार हैं। इसके निर्यात विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। इस कार्य को बढ़ाने के लिये वहां पर रेलवे तथा संचार सुविधाओं का विस्तार होना चाहिये। मुझे पता चला है कि इस काय पर 4 करोड़ रुपये व्यय किये गये है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इस बारे में सहायता देने का आश्वासन दिया था। सरकार को वह आश्वासन पूरा करना चाहिये। मंगलौर बन्दरगाह के बारे में निर्माण काय बहुत धीमी गति से हो रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिय। बंगलौर में एक बड़ा होटल स्थापित किये जाने के बारे में कार्यवाही यथाशीघ्र होनी चाहिये। सरकार को मैसूर राज्य में सीमेंट तथा चीनी की मिलें अविलम्ब स्थापित करनी चाहिये। बेलारी इस्पात कारखाने को बनाने का काम जल्दी आरंभ होना चाहिये। संकट कालीन स्थिति में गोआ तथा बेलगाम के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये।

Shri R. S. Tiwary (Khajuraha) : Sir, Acharya Kripalani has suggested that the posts of Governors should be abolished. When these posts were created under the constitution, at that this objection shoud have been raised. The opposition Parties criticise the taxation proposals of Government but they want the Government employees should be given more dearness allowance. How can it be that taxes should not be increased and dearness allowance should be increased? This type of opposition is for opposition's sake only.

Recently there have been political upheavals in eight countries. The cause for this has been internal instability and external aggression. We could not understand them and paid no heed to that. It is so because our ambassadors to those countries were not in those countries at that time. They were in Delhi at that time. Government should pay proper attention to these matters.

It is said that we have shortage of fertilizer and that is the cause of fall in food production. Our farmers are quite capable of producing 60 maunds per acre if they are provided enough irrigation facilities. Our farmers do not require any advice from big officials or from experts.

I request that the requirements of farmers should be fulfilled and country will become self sufficient in one year. Our production of tractors is far below than our requirements. Its production should be stepped up. The tax on diesel and Khandsari should not be increased. It would be a burden on poor people.

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : श्रीमन्, मैं इस चर्चा के दौरान की गई आलोचना का स्वागत करता हूं। यह कहा गया है कि यह बजट बहुत निराशा जनक है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने किसी प्रकार की आशा नहीं बंधाई थी, जो अब निराशा में बदल गई है। मैं तो कहता हूं कि हमें कुर्बानी के लिये तैयार रहना चाहिये। इसलिये मैंने कोशिश की है कि बोझ को इस प्रकार बांटा जाये कि उसमें एक प्रकार की समानता आ जाये। मुझे अपने किये पर खेद नहीं क्योंकि मैंने किसी खराब भावना से कोई काम नहीं किया है। मैंने अपना बजट उत्पादन प्रधान बनाया है और समाजवाद के सिद्धान्तों को समक्ष रखा है। मेरी यही कोशिश रही है कि निर्धन जनता की हालत सुधारी जाय। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये करों का लगाना आवश्यक है। मैंने करों द्वारा केवल 100 करोड़ रुपय एकत्र किये हैं। हमारे देश के उद्योगों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद काफी प्रगति की है। वे कुछ करों का भार तो सहन कर ही सकते है।

मैंने रिजर्व बैंक से आंकड़े प्राप्त किय हैं। उनसे ज्ञात होता है कि वर्ष 1965 में प्रतिबन्धों के बावजूद आयात में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इससे सिद्ध होता है कि धन लोगों के पास है। इसके अतिरिक्त लोगों के निजी खातों में भी धन की वृद्धि हुई है। सरकार काले धन को निकालने के लिये भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है। इस कार्य में हम प्रतिपक्ष वालों के सहयोग के इच्छुक हैं और हम उनके सुझावों पर गम्भीरता से विचार करने को तैयार हैं। हम कर अपवंचन करने वालों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दे सकते बल्कि उस को समाप्त करना है। यहां पर यह कहा गया है कि हमारे देश में कर बहुत अधिक हैं इसलिये कर अपवंचन भी अधिक है। मुझे करों के बारे में काफी अनुभव है। मुझे याद है कि अंग्रजों के राज्य काल में लोग कहते थे कि हम विदेशी सरकार को कर नहीं देना चाहते परन्तु अब वह कहते हैं कि हमें सरकारी क्षेत्र का मुकाबला करना है। मैं इस बात को नहीं मानता कि दोनों क्षेत्रों में किसी प्रकार की लड़ाई है।

हम कर अपवंचकों को किसी प्रकार की राहत या प्रोत्साहन नहीं दे सकते। ऐसा करना तो बेइमानी को बढ़ावा देना होगा। यह उचित नहीं है।

हमें अपने देश की परिस्थितियों को देखकर अपनी नीति निर्धारित करनी है। हमने बोनस तथा लाभांश के बारे में कुछ राहत दी है।

मैं किसी प्रकार की राहत देने का वायदा नहीं कर रहा हूं। जो कर 55 प्रतिशत कर दिया गया है बड़ी बड़ी कम्पनियों के बारे में ही है। इसके बाद भी उन कम्पनियों को काफी मात्रा में लाभ मिलता रहेगा। और इसको वे व्यापार में फिर लगा सकते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे देश में पूंजी की कमी नहीं है। हां, उद्योग धंदे चालू करने के लिये मशीनरी की आवश्यकता होती है। उसे प्राप्त करने के लिये लाइसेंस आदि चाहिये और विदेशी मुद्रा के लिये भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं समझता क्योंकि दोनों का काम उत्पादन करना है।

गैर-सरकारी क्षेत्र पर बोझ कुल 47 करोड़ रुपये और 37 करोड़ रुपये का पड़ेगा। मैं जानता हूं कि यह बोझ उठाया जा सकता है। मेरा गैर-सरकारी क्षेत्र वालों से अनुरोध है कि वह हमें हर प्रकार का सहयोग दें ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्हें अपने धन और मशीनों आदि का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये।

यह ठीक है कि थोड़ी आय वाले लोगों को अधिक राहत नहीं दी गई है फिर भी आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर कुछ राहत दी गई है। आज देश के समक्ष जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह कम नहीं है। जिन लोगों की आय 25,000 रुपये तक है उन्हें भी वार्षिकी जमा के मामले में कुछ राहत दी गई है। यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे देश में विश्व के सभी देशों से अधिक कर लगे हुए हैं। जिन लोगों की आय तीन लाख रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक है हम उनसे इससे अधिक कर नहीं ले सकते या कि जितना ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों में लिया जाता है। हमारे देश की अपेक्षा कई देशों में कर बहुत अधिक है। यह सब स्थानीय स्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तविक बात यह है कि हमारे पास करारोपण के अधिक साधन नहीं है।

जहां तक व्यक्तिगत करारोपण की बात है यह ठीक है कि यह एक भार है परन्तु इसे सहन किया जा सकता है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जसे गुड़, मिट्टी का तेल आदि जो गरीब जनता प्रयोग में लाती है, उन पर कर नहीं लगाया गया है। डीज़ल तेल पर कर में बहुत मामुली वृद्धि की गई है।

मैंने केवल उन्हीं वस्तुओं पर कर में वृद्धि की है जो विलास की वस्तुएं हैं।

मैं खाद्य मंत्री महोदय से बातचीत कर रहा हूं कि क्या चीनी पर नियन्त्रण हटाया जाये अथवा नहीं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आंशिक रूप से नियन्त्रण हटा दिया जाय। हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि हमारे देश ने काफी प्रगति की है। आज देहातों में नलकूप लग गये हैं या लगाया जा रहे हैं। लोगों के रहन-सहन में सुधार हुआ है। ऐसा होते हुये भी हमें और प्रयत्न करने हैं और जहां पर त्रुटियां हैं उन्हें समाप्त करना है।

डीज़ल पर कर बढ़ाने से बसों आदि में प्रयोग आने वाले डीज़ल के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। बिक्री कर के बारे में संतुलन लाया जाया रहा है। इस बारे में मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वे बहुत अधिक व्यय कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा है कि वे ऋण की राशि में कमी करें। इस वर्ष उनका 74 करोड़ रुपये का घाटा था। इसे राज्यों ने कम कर के 34 करोड़ कर दिया है। हमें आशा है कि करों, आदि की अच्छी तरह वसूली करने से और व्यय में कमी कर के वे इस घाटे को पूरा कर सकेंगे।

हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि रिज़र्व बैंक से अधिक धन न निकाला जाये। हम राज्यों द्वारा बैंक से ली गई राशि को चार या पांच वर्षों में वापिस किये जाने की कोशिश करेंगे। योजना का व्यय दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उन बड़ी परियोजनाओं के बारे में है कि जो सिंचाई या भारी माल के लिये है। उनके लिये व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। इस खर्चे में भी हमने लगभग 144 करोड़ रुपये की बचत की है।

प्रशासनिक खर्चे के बारे में मैंने अपने बजट भाषण के दूसरे भाग में स्पष्टीकरण दिया है। इस वर्ष इस व्यय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यह विषय निरन्तर रूप से सरकार के विचाराधीन रहता है। इस वर्ष इस में केवल तीन करोड़ रुपय की वृद्धि हुई है। इस व्यय का कुछ भाग देश की विकास योजनाओं के काम में भी आता है। हम बिना विचार किये छंटनी नहीं कर सकते। कई बातों पर विचार करना पड़ता है। एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कर दी गई है और हमें उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। व्यय कर के बारे में प्रबन्ध करने के लिये बहुत काम करना पड़ता है। और 36,000 से अधिक आय वालों को बड़े बड़े फार्म आदि भरने पड़ते हैं। अतः इसे समाप्त किया जा रहा है।

हमारे सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रम हैं कि जिन से कोई धन के रूप में लाभांश प्राप्त नहीं होता। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपक्रम हैं। इनसे हमारे सार्वजनिक जीवन में सुधार होगा। जहां तक औद्योगिक उपक्रमों का सम्बन्ध है, हमने छः महीने को गलती की है और इसलिये निर्धारित उत्पादन नहीं हो पाया।

हो सकता है कुछ ऐसी बातों के कारण जो हमारे काबू से बाहर हैं, जैसे कि विदेशों में हड़तालों का होना, मूल्यों में वृद्धि होना, हम पूरा उत्पादन नहीं कर सके हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ काबू से बाहर कारणों की वजह से उत्पादन पूरा नहीं हुआ है। यही करण है कि निकट भविष्य में हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अच्छे उत्पादन की आशा नहीं कर सकते हैं।

[श्री० शचीन्द्र चौधरी]

यदि इन उपक्रमों को 2–3 साल के लिये सहायता मिले तो इनका उत्पादन इच्छानुसार हो सकेगा। इसलिये सरकार की अब यह नीति है कि इन उपक्रमों की सहायता के लिये हम इस समय थोड़ा कष्ट उठा लें ताकि अन्त में हमें अच्छे परिणाम मिल सकें।

अब मैं विदेशी सहायता के प्रश्न को लेता हूं। यह ठीक है कि कोई भी देश मुफ्त में किसी दूसरे देश की सहायता नहीं करता है; परन्तु मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बाहर के देश सहायता देने के लिये करार करते हैं तो वे इस बात को देखते हैं कि जिस देश को वह सहायता दे रहे हैं वह एक विकासशील देश है और जो सहायता वे देंगे उससे और अधिक प्रगति होगी और उनको अपने विनियोजन के बदल अच्छा पैसा मिलेगा। इस विनियोजन के विश्व से लोगों में हमारे प्रति व्यापार तथा राजनीतिक दृष्टि से सद्भाव भी बढ़ता है। इसलिये हमें विदेशी सहायता से घृणा नहीं करनी चाहिये।

इस सभा में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि हम विदेशों में भीख मांगने के लिये जाते हैं। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब मैं सोचता हूं कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न को भीख मांगना बताया जाता है। हम ठेकों और करारों के अन्तर्गत पैसा लेते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। उस कर्ज़ को हमें करार की शर्तों के अनुसार बाद में चुकाना होता है। साधारण जीवन में देखते हैं कि लोगबाग अपना काम-काज चलाने के लिये अपने रिश्तेदारों से पैसा कर्ज़ लेते ह और बाद में मुनाफा अर्जित करके उसे लौटा देते हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम चलता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में एक प्रश्न यह उठाया गया है कि मूल अनुमान के अनुसार इस पर 600 करोड़ रुपया लागत आनी थी, परन्तु अब इसकी अनुमानित लागत बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि इस संयंत्र के लिये आवश्यक कुछ पुर्जों को हम देश में ही बनाना चाहते हैं ताकि हमारे उद्योगों को काम मिल सके और भविष्य मे इसी प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिये हमें अनुभव भी प्राप्त हो सके।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थापित करने की क्या आवश्यकता है। इस्पात की हमारे देश में कमी ही नहीं है अपितु कुछ ऐसी प्रकार का इस्पात भी है जो हमारे देश में पैदा नहीं होता है। मैं मानता हूं कि कुछ प्रकार का इस्पात हमारे देश की अपेक्षा संसार की मंडी में अधिक सस्ता है; परन्तु इस्पात एक बुनियादी वस्तु है और हमेशा के लिये विदेशों पर इसके लिय निर्भर नहीं कर सकते हैं।

मूल्यों में वृद्धि एक कारण यह भी है कि जो मशीने बाहर से आयात की जाती है उन पर भारी आयात शुल्क तथा कर लगाये जाते है। भारी शुल्क लगाने का कारण यह है कि हम चाहते है कि वस्तुओं का निर्माण देश में ही किया जाय और देश के धन को देश में रखा जाय।

इस सभा में उर्वरक संबंधी करार की भी आलोचना की गई है। जो कुछ हुआ है वह इस प्रकार है कि विदेश के एक गैर-सरकारी उपक्रम से करार किया गया है जिसके अन्तर्गत 7 वर्ष के लिये निर्माण तथा वितरण के अधिकारी उस विदेशी उपक्रम को दिये जायेंगे। मै इसको कोई अलाभप्रद सौदा नहीं समझता। हमें अधिक मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता है। इसके लिये या तो हमें पूरी उत्पादन क्षमता को इस देश में स्थापित करना होगा जिसका अर्थ है विदेशी मुद्रा स्वतन्त्र रुप से उपलब्ध हो या वर्षानुवर्ष उर्वरकों का आयात किया जाय।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप उनको उचित मुनाफा दे सकते हैं, परन्तु आप उनको वितरण का अधिकार क्यों देते हैं?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह करार देश में उर्वरकों के सम्पूर्ण उत्पादन के लिये नहीं है अपितु केवल एक किस्म के उर्वरक के लिये ही है। सात वर्ष के बाद इसका भी उत्पादन हमारे हाथ में होगा। इस उपक्रम का 30 प्रतिशत उत्पादन स्वयं सरकार खरीदेगी और केवल 70 प्रतिशत ही आम जनता में वितरण के लिये बच जायेगा। उस 70 प्रतिशत के दामों में भी वह उपक्रम अपनी मनमानी नहीं कर पायेगा क्योंकि उसको इस देश में पैदा किय गये उर्वरकों तथा आयात किये गये उर्वरकों के मूल्यों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।

मेरे कई मित्रों ने यहां पर मुझसे रुपये के अवमूल्यन के बारे में प्रश्न किया है। मैं नहीं समझता कि जो कुछ कहा गया है उससे अधिक कुछ और कहने की आवश्यकता है। मेरे साथी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि सरकार का मुद्रा अवमूल्यन करने का कोई विचार नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : प्रश्न यह नहीं था। सरकार की अवमूल्यन न करन की इच्छा का सब को पता है। प्रश्न तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमारी मुद्रा का वास्तविक रुप से अवमूल्यन हो गया है और हमारे रुपये की कीमत पाकिस्तान के रुपये से भी कम हो गई है। इस वास्तविक अवमूल्यन को रोकने के लिये कुछ किया जा रहा है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने बहुत ही स्पष्ट भाषा में उत्तर दे दिया है। इसका केवल एक ही हल है और वह यह कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाय ताकि निर्यात में वृद्धि की जा सके।

पानीपत की घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : INCIDENT AT PANIPAT

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही मैं आपके और माननीय सदस्यों के समक्ष खड़ा हूं मेरा दिल भारत माता के उन तीन जवान बटों की याद से भर आया है जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में अपनी जाने दीं कि जिनको शब्दों में नहीं रखा जा सकता। उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक हालत में हुई है।

हम सबको अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये और संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना भेजनी चाहिये और उनको बताना चाहिये कि उनके भारी दुःख में हम सब शामिल होते हैं।

इस दुर्घटना के संबंध में पंजाब सरकार से मुझे एक वक्तव्य प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार 15–3–66 को दोपहर के लगभग ढाई बजे लगभग 500 व्यक्तियों का एक जुलुस जिसमें जनसंघ के कार्यकर्ता और विद्यार्थी भी शामिल थे, पुलिस स्टेशन, पानीपत के रास्ते पुराने किले के मैदान की ओर, वहां पर जलसा करने के लिये बढ़ रहा था। इस जलूस ने अपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन किया था इसलिये इसे तितरबितर होने के लिये कहा गया। जलूस काबू से बाहर हो गया और डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट ने अस्रु गैस छोड़ने का आदेश दिया। चूंकि इस गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ इसलिये गोली चलानी पड़ी और इसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी मृत्यू हो गई। जब इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो 1000 व्यक्तियों के एक जुलूसने इसका पीछा किया। इस भीड़ से भयभीत हो कर कांग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्ता दीवान चन्द कक्कड़ अपनी दुकान में भाग गये। दो और व्यक्ति क्रान्ति कुमार

[श्री नन्दा]

और सन्त राम लम्बा ने, जो कि कांग्रेसी ही थे, भीड़ से बचाव के लिय उनका पीछा किया। जलूस में शामिल व्यक्तियों ने दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। जब मलबे को हटाया गया तो तीन व्यक्तियों की लाशें प्राप्त हुईं। इस संबंध में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

यह कोई अकेली घटना नहीं है। इस प्रकार की बुरी प्रवृत्ति अब कुछ बढ़ती जा रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार हिंसा को समाप्त करने और नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने के लिय कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी।

पंजाब सरकार ने पहले ही काफी कार्यवाही की है सभी राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि उनके लिये सांवधानिक तथा शांतिमय तरीकों में विश्वास रखना ही काफी नहीं है, उनको एसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे हिंसात्मक कार्यवाहियों को बढ़ावा मिले। केवल प्रस्ताव पास करने और हिंसा की आलोचना में वक्तव्य जारी करने से ही काम नहीं चलेगा, देश में लोकतन्त्र को उचित ढंग से चलाने के लिये उन्हे सरकार को सहयोग देना चाहिये। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने का हम सब का काम है। यदि इस सभा का कोई सदस्य कोई ऐसी बात कहता है जिसमें हिंसा की केवल झलक हो तो उसके भी गहरे परिणाम निकल सकते हैं। हम यहां पर जो कुछ बोलते हैं आम लोगों पर उसका प्रभाव होता है।

Shri Ram Rewak Yadav (Barabanki) : We would like to know something about the Ludhiana incident also from the Hon. Minister.

Shri U.M. Trivedi (Mandsaur): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon. Minister has not given a correct version of the facts. The hon. Minster stated that the boy was wounded by the police firing and he was taken to hospital where he subsequently died, but the fact is that the boy was shot dead by the police and his dead body was taken to the hospital.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : सभा के इस ओर के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अब इस विषय पर झगड़ा न करें। पंजाब के लोगों में पहले ही बहुत आग भड़की हुई है और उन्हें अब इस मामले को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की दोनों ओर से सभी सदस्यों से मैं अपील करता हूं कि व अब स्थिति और अधिक गम्भीर न बनाये।

कुछ माननीय सदस्य : हम सब इससे सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसा कोई प्रश्न न करें जिससे स्थिति को कोई लाभ न पहुंचता हो।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमन्, आप हमें प्रश्न करने की भी अनुमति नहीं देते और न ही कोई वक्तव्य देने की अनुमति देते हैं। आपने मंत्री महोदय को तो न केवल शोक और संवेदना ही व्यक्त करने का अवसर दिया अपितु लम्बा चौड़ा भाषण देने का भी अवसर दिया। हम सब भी वसे ही सहानुभूति महसूस करते हैं। हमारी समाजिक अशांति में जो तीन व्यक्ति शहीद हुए है उनके बारे में, मुझे विश्वास है इस ओर के सभी प्रतिपक्षी सदस्यों को दुःख है।

माननीय गृह-मंत्री ने कहा कि हमें इस सभा में कुछ भी कहने से पूर्व उसके परिणामों को सोचना चाहिये। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह यह क्यों समझते हैं कि केवल गृह-कार्य मंत्री बन जाने से उनमें जिम्मेदारी की अधिक भावना है।

एक बात स्पष्ट है कि देश की हालत खराब है। इसके लिये जिम्मेवार कौन है? मेरे माननीय मित्र का ख्याल है कि इसके लिये प्रतिपक्षी दल अधिक जिम्मेवार है। परन्तु ज्यादा हद तक और सिद्धान्त रूप में इसके लिये सरकार ज़िम्मेवार है।

अब समय आ गया है जब कि सरकार को अपने दिल में झांक कर देखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि क्या वह इस देश को एक योग्य और संतोषजनक नेता देने की स्थिति में है, और क्या ऐसा नहीं है कि योग्य नेता न होने के कारण ये सब घटनाएं घटी गई है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपूर) : माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से हर कोई सहमत है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस प्रकार की दुर्घटना की मिसाल विश्व के इतिहास को देखने से नहीं मिलती है।

मुझे दुःख इस बात का है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस राष्ट्र को, उन्होंने जो सुन्दर उपदेश दिया है उसपर जीवित रहना है। पंजाब में विधि तथा व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जायेगी; ऐसी स्थिति कब और कैसे लाई जायेगी कि जब एक पंजाबी चैन का सांस ले सकेगा? जो आग आज पंजाब में फैली हुई है वह कल अन्य राज्यों में भी फैल सकती है और सारे देश को अपनी लपेट में ले सकती है।

प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह खड़ी हो कर यह आश्वासन दे कि ऐसा भारत के अन्य राज्यों में नहीं होगा और भारत के लोग बिना किसी हिंसा अथवा उस के स्वतन्त्र रूप से रह सकेंगे।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : This matter relates to our area. We must be given the opportunity to speak.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : श्रीमन्, मुझे आशा नहीं थी कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस दुःख के अवसर को उपदेश देकर जो उन्होंने अभी दिया, उपदेश देने के अवसर मे बदल देंगे। बड़ी शर्म की बात है कि यहां पर गुंडे मनुष्यों को जला कर मारते है और फिर बच निकलते हैं।

जब चौरा चौरी की घटना हुई थी और कुछ पुलिस के सिपाहियों को जलाया गया था तो गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की दुर्गन्ध आ रही है आज भी वैसा ही हो रहा है, मुझे इस बात पर लज्जा आती है कि इस देश में बड़े भयंकर अपराध हो रहे हैं। हम सरकार से यह आशा करते थे कि गृह-मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किन हालत में वह सब बातें हुई और सरकार इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न हो सकें। परन्तु खेद की बात है कि श्री नन्दा ने कुछ बताने के स्थान पर यह कहना शुरू कर दिया कि हमें इन घटनाओं पर खेद होना चाहिये। खेद तो हमें है ही, परन्तु हम पंजाब के पुनर्निर्माण का लोकप्रिय आधार पर विचार करत रहे हैं। जो लोग मरे है अथवा शहीद हुये हैं उसपर हमें भी उतना ही खेद है जितना श्री नन्दा को है। परन्तु उनका यह कहना खेदजनक है कि इस सदन के कुछ सदस्य मामले को हवा दे रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। इससे किसी भी अर्थों में शिष्टापूर्ण नहीं कहा जा सकता।

यदि श्री नन्दा चाहते हैं कि हम लोगों के दुःखों और कठिनाइयों को किसी भी प्रकार से इस सदन में व्यक्त न करें तो हमें खेद है कि एक आत्म अभिमानी होने के नाते हम एसा नहीं कर सकते। ऐसी बात तो कभी अंग्रज़ों ने भी नहीं चाही थी हालांकि उनके

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। गांधी जी ने भी लोगों का साथ दिया था। हम भी लोगों का साथ देंगे। हमारा व्यवहार सिद्धान्तों के आधार पर निर्माण होता है। जो कुछ भी हम जनता के हित में ठीक समझेंगे उसे हम करेंगे। सत्ताधारी लोग क्या कहते हैं इसकी हमें चिन्ता नहीं।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : हमें यह जान कर बड़ी लज्जा आती है कि पंजाब के लोगों ने दिन-दहाड़े ऐसे बुज़दिली के अपराध किये हैं। यह देखते हुये कि इतने भयंकर अपराध हुये हैं क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि केवल 6 या 8 व्यक्तियों का पकड़ा जाना स्थिति की गम्भीरता के अनुसार पर्याप्त नहीं है ?

श्री नन्दा : इस सम्बन्ध में सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया है।

श्री दे० द० पुरी : क्या सरकार का विचार है कि पंजाब में पानीपत तथा अन्य क्षेत्रों में दांडिक तथा सामूहिक जुर्माना लगाया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वरा नन्द।

Shri Rameshwaranand : Hartal was organised by citizens and students. A procession was taken out through the main streets of the city but no incident took place. When the procession was being taken out on the 15th, an A.D.M., and some police officers did not allow it to go into the Gur Mandi market at about 2 O'clock. The demonstrators wanted to go through the market. On this, the police station officer, Shri Mallik, fired shots. No teargas, lathi charge or firing in the air was done. A student, whose family is associated with the Congress, was standing at a distance of about 60 yards from this place. The station officer fired three shots at this boy and until he fell down on the ground, the station officer did not put back his pistol. The boy was taken to a hospital on the G.T. Road. Upon the death of that boy, all the city assembled at the hospital. Some people went to a cycle shop and asked the shopkeeper to close down the shop owing to the death of the boy. One Shri Kranti Kumar replied that it would have been better if at least seven or eight people had died. Somebody from the crowed set the shop on fire. People could not come out of the shop. Anyway, I want that judicial enquiry be made into these incidents.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि स्थिति को और संगीन न बनायें।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : मेरा एक समापन का प्रस्ताव है।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं समापन का प्रस्ताव रखता हूं। आप सभा के मत का अनुमान ले लीजिये।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : नियम 372 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है :

> "लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाये उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

अतः इसका समापन किया जाये।

श्री कपूर सिंह : हम लोग भी देश का हित चाहते हैं। जो घटनायें हुई हैं उन से हिन्दी विरुद्ध पंजाबी अथवा पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र विरूद्ध हरियाना क्षत्र अथवा हिन्दू-सिख सम्बन्धों को नहीं बल्कि आज़ाद भारत की 1947 से बनाई हुई नींव को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में लोगों की धारणा है कि पंजाब में गड़बड़ी शुरू होने से कुछ दिनों पूर्व पुलिस तथा कार्यपालन प्राधिकारियों को ऐसी हिदायतें दी गई थीं कि वह स्थिति को शान्त करने तथा उसपर नियंत्रण पाने के लिये अपनी शक्ति का उपयोग न करें।

श्री खाडिलकर (खेड) : श्री कपूर सिंह ने कहा है कि विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अधिकारियों ने शक्ति का उपयोग नहीं किया था। यह बहुत गम्भीर दोषारोपण है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं इन दुःखद परिस्थितियों में लोगों के मरने पर दुःख प्रकट करता हूं और श्री नन्दा ने जैसा कहा है उस से सहमत हूं। यह बड़े दुःख की बात है कि देश में हिंसा की वृद्धि हो रही है और जैसा कि माननीय गृह-मंत्री ने कहा है, इस सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। इस वक्तव्य में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती जिसे उपदेश कहा जाये। कुछ भी हो, एक बुनियादी बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये और वह यह है कि भारत की एकता को बनाए रखा जाना चाहिय। यदि भारत नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा ?

हम साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र चाहते हैं। मैं गृह-मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि फूट डालने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि यदि आवश्यक हो तो पंजाब राज्य के लिये सरकार सीधी जिम्मेदारी ले ले ताकि वहां शान्ति लाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to draw the attention of the House to the burning alive of the sons of revolution. Those who supported the English rule are in the government today. This is the result which has come out after 18 years.

Some thing has got mixed up with our culture so that today we easily attack one who is a weakening; we are afraid of attacking one who is strong. We have become cruel and stupid and we do not know how to run government. Hence thought should be given to this matter and the defect located.

I want to present the situation in detail. There is no doubt about it that due to the tyrannical ways of the Minister and the police, reality does not come to light. They have been committing tyranny in innumerable ways.

I cannot say whether any party is connected with the recent incidents in Panipat, Krishnanagar, and Tamilnad. Mere delivering of speeches here will be of no avail. We have to go out and put on stop to these incidents.

The situation is not what has been described by Shri Nanda. The hands of government are stained with blood. Shri Nanda said that there was breakdown of social and economic life. He does not say whether he said this much or included political life also.

Where there has been breakdown of social and economic life, the notice of an adjournment motion tabled by Shri Bagri may be admitted and a full debate should be held on this matter. Only there it is possible to assess the faults of both

[Dr. Ram Manoher Lohia]

the sides. If the debate will not be allowed, only accusations will be made by each other and the Prime Minister and the Home Minister will not be able to save the country from ruin.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : This is a matter concerning my area. This is not the question of Punjabi Suba or Hariana. Government should take strict action in order to suppress these undesirable elements.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अभी हाल की हुई घटनाओं पर मुझे बहुत दुःख है और मैं उन तीन व्यक्तियों के प्रति जो एक ऐसे मामले के लिये शहीद हुये हैं जो सारे देश को प्रिय है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध हमारे राष्ट्र के अस्तित्व से, हमारे लोकतंत्र तथा हमारी असाम्प्रदायिक व्यवस्था से है ; पुलिस की ज्यादतियों के बारे में इतना अधिक कहा गया है कि इस प्रकार पुलिस द्वारा कार्य करने में बाधा होती है अतः किसी स्थिति का भली प्रकार मुकाबला करने के लिये यह आवश्यक है कि उनको विशेष हिदायतें दी जाये।

जो कुछ श्री स्वामीजी ने कहा है मुझे सुन कर बहुत दुःख हुआ है। मैंने कुछ लोगों को पानीपत भेजा था और मुझे यह रिपोर्ट मिली है कि क्रान्ति कुमार ने वह शब्द नहीं कहे थे जो कि कहा जाता है उन्होंने कहे थे।

मैंने प्रतिपक्षी दल के कथन का तो समर्थन ही किया है। क्रान्ति कुमार तथा अन्य लोग अच्छे कांग्रेस कार्यकर्ता थे। दिवान चन्द कक्कड़ राज्य की कांग्रेस समिति के सचिव थे और संत राम लांबा कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता थे। क्रान्ति कुमार का दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तथा स्वाधीनता संग्राम से सम्बन्धित सभी लोगों से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था।

असहयोग आन्दोलन के तुरन्त बाद उन्होंने महाविद्यालय छोड़कर लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वे भगत सिंह इत्यादि के साथ जेल गये तथा जेल में 9 वर्ष बिताये थे। वास्तव में उनका नाम हंसराज था परन्तु भगत सिंह ने उनका नाम क्रान्ति कुमार रख दिया था।

प्रतिपक्षी दल के सदस्यों ने हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कहा है। मैं उसका समर्थन करती हूं।

मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि इन घटनाओं के लिये सरकार उत्तरदायी है। यह बिलकुल ग़लत है। जैसा कि मैंने कहा है, आप यह कह सकते हैं कि किसी विशेष समय जो कार्यवाही की गई थी वह पर्याप्त नहीं थी। स्थिति अब काबू में है परन्तु मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि देश में हिंसा की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि धीरे धीरे हुई है। सरकार की यह प्रथम जिम्मेदारी है कि इस प्रवृत्ति की वद्धि को रोका जाये। परन्तु मैं प्रतिपक्षी दल के सदस्यों से अपील करती हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें सब दलों को सहयोग देना चाहिये।

हम ने स्वाधीनता से पूर्व तथा उसके पश्चात् यह देखा है कि किस प्रकार किसी विचार अथवा विचारधारा के फैलने से कुछ स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। हिंसात्मक कार्य चाहे इक्का दुक्का हो, मैं उसे किसी भी प्रकार क्षमा नहीं कर सकती। परन्तु सभा में या सभा के बाहर किसी व्यक्ति की जान-बूझ कर फूट पैदा करने तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। यहां मुझे यही कहना था।

सरकार को स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है और उसका सामना करने तथा उसे काबू करने के लिये सरकार हर प्रयत्न करेंगी ।

Mr. Deputy Speaker : I do not allow the Adjournment Motion.

Shri Bagri : Everybody admits that Government has failed. You should admit the Adjournment Motion.

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है ।

लेखानुदानों की मांगें, 1966-67

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS, 1966-67

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिए लेखानुदानों की मांगें संख्या 1 से 146 प्रस्तुत की गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यत: इस समय कोई भाषण नहीं होते ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने विचार प्रकट न करूं । श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम 214 की ओर दिलाता हूं । नियम 214(3) में दिया है कि :—

"प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तावित किये गये संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति होगी . . . ."

अत: इस नियम के अन्तर्गत संशोधनों पर ही नहीं अपितु प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है ।

और नियम 214(4) में दिया है :—

"अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो ।"

मैं इसको अनुदान की मांग समझ कर ही ले रहा हूं ।

अनुच्छेद 113 में भी ऐसा ही दिया हुआ है । मैं उसे पढ़ देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आवश्यक नहीं है; आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री हरि विष्णु कामत : सर्वप्रथम मैं उनकी लापरवाही का उल्लेख करना चाहता हूं ताकि नये वित्त मंत्री मांगों के शीर्ष निश्चित करते समय या उनके मुद्रण के समय इन ग़लतियों की ओर अधिक ध्यान दें । यहां लेखानुदान की एक मांग है जो परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय के सम्बन्ध में है परन्तु प्रश्न सूची में इस मंत्रालय को परिवहन, उड्डयन, नौवहन और पर्यटन मंत्रालय का नाम दिया गया है । मैं नहीं समझ पाता कि वास्तव में कौनसा मंत्रालय काम कर रहा है । सब ही सरकारी पत्रों में एक ही नाम होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह छापने वालों की ग़लती है । प्रथम इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि क्या यह मांग केवल परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय से ही सम्बन्धित है अथवा परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय के बारे में है ।

श्री ब० रा० भगत : आप का क्या सुझाव है ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो आप के ऊपर निर्भर है। यह आप की मांग है। मैं आपकी लापरवाही के बारे में कह रहा हूं। 15 वर्ष हो गये हैं परन्तु आप अभी तक लापरवाह हैं। यह मेरे देखने का कार्य नहीं है।

अब मैं राज्य सभा की मांग को लेता हूं। यह मांग संख्या 111 है जो पृष्ठ 8 पर दी हुई है। यह प्रभृत मांग है और 14,000 रुपये की है।

यदि आप अनुदानों के लिये मांगों के संक्षेप को देखें तो आप को पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े मिलेंगे। लोक सभा के लिये प्रभृत मांग 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 में एक सी है—केवल बहुत थोड़ा अन्तर है—राज्य सभा की राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 18 मार्च, 1966/फाल्गुन 27, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 18, 1966/ *Phalguna* 27, 1887 (*Saka*)

भा० स० मु—से० —1—38 लोक-सभा 66—10-7-67—600.